लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

JMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]
Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit 18-6-92
Fumigated On 30.12.83
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक ---शुक्रवार, 15 एप्रिल, 1966/25 चैत्र, 1888 (शक)

No. 40—*Friday*, *April* 15, 1966/*Chaitra* 25, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1130	पन्ना की हीरे की खानें	Panna Diamond Mines . .	6629–32
1131	गुजरात में ऐल्यूमिनियम पिघलाने का कारखाना	Aluminium Smelting Plant in Gujarat	6632–35
1132	बिजली के सामान का निर्यात	Export of Electrical Goods .	6635–37
1133	शल्य चिकित्सा के औजारों का निर्माण	Manufacture of Surgical Instruments	6637–38
1134	खान मालिकों को वित्तीय सहायता	Financial Help to Mine Owners	6638–39
1135	चीनी के निर्यात पर भाड़े की छूट	Exemption of freight on export of sugar	6640–41
1136	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स काम्पलैक्स	Hindustan Machine Tools Complex	6641–43
1137	सरकारी उपक्रमों द्वारा निर्यात	Exports by Public Undertakings	6643–45
1138	इस्पात कारखानों के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Steel Plant Employees	6645–47
अ० सू० प्र० S.N.Q.			
19	महाराष्ट्र में सूती कपड़ा मिलें	Cotton Textile Mills in Maharashtra	6647–50

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
1129	नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की आवश्यकताएं	Requirements of Neyveli Lignite Corporation	6650
1139	बिजली से चलने वाले मोटर का निर्माण	Manufacture of Electric Motors	6650–51
1140	कपड़ा बनाने की मशीनों का आयात	Import of Textile Machinery .	6651
1141	रेल के माल डिब्बों का निर्यात	Export of Railway Wagons .	6651–52

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—56 L. S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1142	भारत और चेकोस्लोवाकिया का आर्थिक आयोग	Economic Commission between India and Czechoslovakia .	6652
1143	मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी, लिमिटेड	M/s. Jessop and Co., Ltd. .	6652–53
1144	आदर्श तालिका (माडल रोस्टर)	Model Rosters	6653
1145	नेवैली तापीय विद्युत संयंत्र	Neyveli Thermal Plant . .	6653
1146	कृषिजन्य पदार्थों के निर्यात में कमी	Shortfall in Agricultural Export	6653–54
1147	उड़ीसा से लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore from Orissa .	6654
1148	दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेलवे सम्पत्ति को हानि	Loss of Railway Property on S.E. Railway	6654
1149	टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T.V. Sets . .	6654–55
1150	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters .	6655
1151	तयार खाद्य पदार्थों का निर्यात	Export of processed Food . .	6655–56
1152	रेलवे लोको शैड	Railway Loco Sheds . .	6656
1153	अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था से ऋण	Loan from United States Agency for International Development	6656
1154	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग	Economic Commission in Asia and Far East . . .	6656–57
1155	बिस्कुटों के दाम	Prices of Biscuits . . .	6657
1156	पाकिस्तान जाने वाले परन्तु भारत में रोके गये माल का लौटाया जाना	Release of Pakistan Bound Cargoes detained in India . .	6657

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

3686	केरल में नारियल जटा सहकारी विपणन समितियां	Coir Co-operative Marketing Societies in Kerala . .	6658
3687	हथकरघा उद्योग	Handloom Industry . . .	6658–59
3688	क्षेत्रीय दियासलाई निर्माता सहकारी समिति	Zonal Match Manufacturing Co-operative Society . . .	6659
3689	केरल में दियासलाई के कारखाने	Match Factories in Kerala .	6659–60
3690	रतनगढ़ दिल्ली रेलवे लाइन	Ratangarh-Delhi Railway Track.	6660
3691	केरल में बिजली की कमी	Power Shortage in Kerala .	6660
3692	दिल्ली-किशनगंज स्टेशन पर साइकिल स्टैंड	Cycle Stand at Delhi-Kishanganj Station	6660–61
3693	उत्तर बिहार में चीनी की मिलें	Sugar Factories of North Bihar .	6661
3694	तीन टायर वाले शयनयान	Three Tier Sleeper Coaches .	6661–62

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3695	रेलगाड़ी के नीचे आ जाने से कुचली गई औरतें	Women run over by Train . .	6662
3696	प्रीमियर टायर्स लिमिटेड, कलमस्सेरी	Premier Tyres Limited, Kalamessery	6662
3697	देश में बने तथा आयात किये गये ट्रैक्टरों के मूल्य	Prices of indigenous and imported Tractors	6663
3698	रेलवे में पदोन्नति वाले पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग	S.C. and S. T. in Promotional Posts in Railways . . .	6663
3699	केलों का निर्यात	Export of Banana . . .	6663–64
3700	भारत-अफ़गानिस्तान व्यापार करार	Indo-Afghanistan Trade Agreement	6664
3701	भोजन बनाने तथा भोजन करने का डिब्बा (डाइनिंग-कम-किचन कार)	Dining-*cum*-kitchen Car . .	6664
3702	रमनिया में रेलवे स्टेशन	Railway Station at Ramnia .	6665
3703	बालोतरा जंक्शन पर निर्माण कार्य	Construction work at Balotra Junction	6665
3704	केरल में औद्योगिक विस्तार परियोजना	Industrial Extension Project in Kerala	6665
3705	निराकारपुर में हावड़ा-मद्रास एक्सप्रेस गाड़ी का रुकना (हाल्ट)	Halt of Howrah-Madras Express at Nirakarpur . .	6665–66
3706	रेलगाड़ियों में स्थान की व्यवस्था	Accommodation in Trains . .	6666–67
3707	लोहना रोड-झंझारपुर रेलवे लाइन	Lohna Road-Jhanjharpur Railway Line	6667
3708	लोहे से बनी मशीनों का निर्माण	Production of Hardware Machinery	6667
3709	चलती रेलगाड़ियों में अपराध	Crimes in Running Trains. .	6667–68
3710	देशी रेशम तथा ऊन	Indigenous Silk and Wool .	6668–69
3711	नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal .	6669
3712	अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint . .	6669–70
3713	चाय के बागान	Tea Plantations	6670
3714	अभ्रक का निर्यात	Export of Mica	6670
3715	मिर्चों का निर्यात	Export of Chillies . . .	6670–71
3716	पूर्व रेलवे में रेलगाडियों में चोरियां	Thefts in Trains of Eastern Railway	6671
3717	कच्चे लोहे का आयात	Import of Pig Iron . . .	6671–72
3718	उत्तर प्रदेश में दस्तकारी उद्योग	Handicrafts Industry in U.P. .	6672
3719	उत्तर प्रदेश में रेशम-उत्पादन का विकास	Development of Sericulture in U.P.	6672

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3720	आसाम में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना	Tractor Factory in Assam . .	6672
3721	मोटर गाड़ियों के फालतू पुर्जों का आयात	Import of Automobile Spare Parts	6673
3722	तीसरी श्रेणी के सोनेके डिब्बों (स्लीपर)	Third Class Sleepers . . .	6673
3723	पंजाब को स्टेनलैस स्टील का नियतन	Allotment of Stainless Steel to Punjab	6673–74
3724	पंजाब में उद्योग	Industries in Punjab . . .	6674
3725	लघु उद्योग	Small Scale Industries . .	6674–75
3726	छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries . .	6675
3727	राज्यों के लिये कोयले का कोटा	Coal Quota for States . .	6676
3728	रेशम का आयात	Import of Silk	6676
3729	हौजरी उद्योग	Hosiery Industry . .	6676
3730	टाइलो का निर्यात	Export of Tiles . .	6677
3731	उड़ीसा के लिये इस्पात का आयात	Import of Steel for Orissa	6677
3732	उड़ीसा में भारी उद्योग	Heavy Industries in Orissa .	6677–78
3733	अदन और ईरान को निर्यात	Exports to Aden and Iran .	6678
3734	डीजल इंजनों से चलने वाली रेलगाड़ियां	Trains run with Diesel Locomotives	6678–79
3735	दिल्ली मुख्य स्टेशन के पार्सल कार्यालय में गबन	Misappropriation in Parcel Office Delhi Main Station . .	6679
3736	पूर्वी जर्मनी से उर्वरक	Fertilizers from East Germany .	6679
3737	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में बनी कलाई घड़ियां	H.M.T. Wrist Watches . .	6680
3738	चिकोरी का आयात	Import of Chicory . . .	6680
3739	पंजाब में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Punjab	6680
3740	बनिआडीह बिजली घर	Baniadih Power House . .	6681
3741	बोकारो कारखाने पर रूसी परियोजना प्रतिवेदन	Soviet Project Report on Bokaro Plant	6681
3742	पर्ल यामाहा स्कूटर	Pearl Yamaha Scooters . .	6681–82
3743	आगरा में रेल के माल डिब्बों में आग लग जाना	Burning of Wagons at Agra .	6682
3744	सुपौल और प्रतापगंज के बीच रेल सेवा	Railway Service between Supaul and Pratapganj . . .	6682–83
3745	केरल प्रदेश निर्यात संवर्धन निगम	Kerala Pradesh Export Promotion Corporation . . .	6683

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3746	नीलम्बूर रोड-कालीकट लाइन	Nilambur Road Calicut Railway Line	6683
3747	कोजीकोड जिले में लोहे के निक्षेप	Iron Deposits in Kozhiokode District	6683–84
3748	गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे की क्षमता	Pig Iron Capacity in Private Sector	6684
3749	माल न मिलने के कारण भारत के माल वाले जहाजों का फारस की खाड़ी के पत्तनों में रुके रहना	Indian Sailing Vessels stranded at Persian Gulf Ports for Want of Cargo	6684–85
3750	खजूर तथा मेवों के आयात के लिये काम में लाये जाने वाले भारतीय पाल वाले जहाज	Indian Sailing Vessels used for Import of dates and dry fruit.	6685
3751	बिहार में खानें	Mines in Bihar	6685–86
3752	आदिम जातियों के रेलवे कर्मचारी	Tribal Railway Employees .	6686
3753	चक्रधरपुर में रेलवे क्वार्टर तथा स्कूल	Railway Quarters and School at Chakradharpur . .	6686–87
3754	राजखरसावां चाईबासा सवारी गाड़ी	Raj Kharsawan Chaibasa Passenger Service	6687
3755	लोहे के माल की चोरी	Theft of Iron Goods . .	6687
3756	श्रेणी दो संवर्ग के लिये पदोन्नति	Promotion to Class II Cadre .	6688
3757	युगोस्लाविया से सहायता	Aid from Yugoslavia . .	6688
3758	कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills . .	6689
3759	लाइट डीजल इंजनों का निर्माण	Manufacture of Light Diesel Locomotives	6689–90
3760	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors . .	6690
3761	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां संसद-सदस्यों को बेचा जाना	Sale of H. M. T. Watches to M.Ps.	6690–91
3762	राजस्थान में कुटीर उद्योग	Cottage Indsutries in Rajasthan	6691
3763	जर्मनी के सहयोग से इस्पात कारखाने	Steel Plants with German Collaboration	6691
3764	मलाबार में रबड़ की खेती	Rubber Cultivation in Malabar	6691
3765	रबड़ अनुसंधान केन्द्र, कोट्टयम	Rubber Research Centre, Kottayam	6692
3766	शराब का निर्यात	Export of Wine . . .	6692
3767	लकड़ी के बुरादे का उद्योग	Saw Dust Industry . . .	6692
3768	रबड़ बोर्ड	Rubber Board . . .	6692–93
3769	नंगल डैम में माल-डिब्बों की मरम्मत करने की वर्कशाप	Wagon Repair Workshop at Nangal Dam	6693
3770	विदेशों में प्रदर्शन कक्ष	Show Rooms Abroad . .	6693

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3771	खान मालिकों द्वारा लौह अयस्क का भेजा जाना	Desptach of Iron Ore by Mine Owners	6693–94
3772	कारों का निर्माण	Manufacture of Cars . .	6694
3773	रेलवे कर्मचारी	Railway Staff	6694–95
3774	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	6695
3775	रेलवे विभागों में हिन्दी आशुलिपिक	Hindi Stenographers in Railway Departments	6695
3776	हिन्दी टंकन तथा हिन्दी आशुलिपिका प्रशिक्षण	Training in Hindi Typing and Hindi Shorthand . . .	6695–96
3777	क्षेत्रीय रेलवे में पदाधिकारी	Officers on Zonal Railways .	6696
3778	कोटा जंक्शन पर विस्फोट	Explosion at Kotah Junction .	6696
3779	दूध बेचने वाले	Milk Vendors	6696–97
3780	रतलाम रेलवे डिवीजन में रेलवे गार्ड	Railway Guards in Ratlam Division	6697
3781	दिल्ली रेलवे स्टेशन का पूछताछ कार्यालय	Railway Station Enquiry Office, Delhi	6697–98
3782	केरल में लघु ढलाई घर	Small Scale Foundries in Kerala.	6698
3783	खोपरे का आयात	Import of Copra . . .	6698
3784	निर्यात संवर्धन परिषदें	Export Development Councils .	6699
3785	चावल की भूसी से तेल निकालना	Manufacture of Rice Bran Oil .	6699
3786	त्रिपुरा में औद्योगिक बस्ती	Industrial Estate in Tripura .	6699–6700
3787	त्रिपुरा में प्लाईवुड और वेनियरिंग मिलें	Plywood and Veneering Mills in Tripura.	6700
3788	लुग्दी कागज निगम	Pulp Paper Corporation . .	6700–01
3789	मैसूर राज्य में रेलवे पुल	Railway Bridges in Mysore State	6701
3791	श्री भारती कपड़ा मिल, पांडिचेरी	Sri Bharathi Textile Mills, Pondicherry	6701
3792	अर्जेनतीना के साथ व्यापार करार	Trade Pact with Argentina .	6702
3793	पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात	Exports to East European Countries	6702
3794	रेलवे कुलियों का सम्मेलन	Conference of Railway Coolies .	6702–03
3795	इस्पात कारखानों के महाप्रबन्धों का सम्मेलन	Conference of General Managers of Steel Plants . . .	6703
3796	भटिंडा जंक्शन पर प्लेटफार्म पर सायबान (शेड)	Platform Shed on Bhatinda Junction	6703
3797	पंजाब मेल	Punjab Mail	6704
3798	रेलवे के पुर्जों तथा सामान का निर्माण	Manufacture of Railway spares and components . . .	6704

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3799	चाय बोर्ड	Tea Board	6704–05
3800	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लुमडिंग-मरियानी सेक्शन पर माल गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना	Derailment on Lumding Mariani Section of N.E.F. Railway .	6705
3801	पंजाब में बिना जोड़ की टयूबों का निर्माण	Manufacture of Seamless Tubes in Punjab	6705–06
3802	तैयार खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन योजना	Processed Food Export Promotion Scheme . . .	6706
3803	मैसूर में ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors in Mysore	6706
3804	कुसला रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment at Kursela Railway Station	6706–07
3805	आयात नीति	Import Policy	6707
3806	निर्यात के सम्बन्ध में प्रदर्शनी	Exhibition on Exports . .	6707–08
3807	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	Central Silk Board . . .	6708
3808	इस्पात की नलियों का निर्यात	Export of Steel Pipes . .	6708
3809	इस्पात की पटरियों का निर्यात	Export of Steel Rails . .	6708–09
3810	पम्पों का आयात	Import of Pumps . .	6709

विषय	SUBJECT	PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	
(1) सियालकोट सीमा से भारतीय सेना के पीछे हटाये जाने के समाचार—	(i) Reported withdrawl of Indian Troops from Sialkot Border—	
श्री हुकमचन्द कछवाय	Shri Hukamchand Kachhavaiya	6709–10
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan . .	6710–13
(2) यूनाइटड चेम्बर आफ ट्रेड यूनियन्स द्वारा हड़ताल का आवाहन—	(ii) Strike call given by the United Chamber of Trade Unions—	
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	6738
श्री नन्दा	Shri Nanda . . .	6738–41
सदस्य की परोल पर रिहाई—	Release of Member on Parole—	
(श्री बीरेन दत्त)	(Shri Biren Dutta) . .	6713–14
सभा से बाहर दिये गये सरकारी वक्तव्यों के बारे में	Re: Statements of Government made outside the House . .	6714
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में	Re: Calling Attention Notice .	6714
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table . .	6715–16
विधेयक पर राय	Opinions on Bill . . .	6716
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha .	6716

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक—	Merchant Shippping (Amendment) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूपमें—सभा पटल पर रखा गया	As Passed by the Rajya Sabha—Laid on the Table . . .	6716
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from the sittings of the House—	
सोलहवां प्रतिवेदन	Sixteenth Report	6716
सभा का कार्य	Business of the House .	6716–17
विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report . . .	6718
अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—	
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय—	Ministry of Health and Family Planning—	
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar . .	6718–24
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय—	Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation—	
श्री बूटा सिंह	Shri Buta Singh .	6325–26
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pande . .	6728–29
श्री मुहमद इलियास	Shri Mohammad Elias .	6730
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
पचासीवां प्रतिवेदन	Eighty-fifth Report	6731
विधेयक पुरस्थापित—	Bills Introduced—	
(1) स्वास्थ्य (भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की सामयिक डाक्टरी परीक्षा) विधेयक (डा० चन्द्रभान सिंह का)	(i) Health (Period cal Medical Check-up of President and Prime Minister of India) Bill by Dr. Chandrabhan Singh	6731
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 80, 87 और 176 का संशोधन) (श्री किशन पटनायक का)	(ii) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 80, 87 and 176) by Shri Kishan Pattnayak . .	6731
(3) हिन्दु विधुर पुनर्विवाह विधेयक (श्री जगदेव सिंह सिद्धांती का)	(iii) Hindu Widowers' Re-marriage Bill by Shri Jagdev Singh Siddhanti . . .	6732
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 59, 66, 158 आदि का संशोधन) (श्री हरि विष्णु कामत का)	(iv) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 59,66,158 etc.) by Shri Hari Vishnu Kamath . . .	6732

संविधान (संशोधन) विधेयक—	Constitution (Amendment) Bill—	
(अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन) (श्री हरि विष्णु कामत का)—	(Amendment of articles 75 and 164) by Shri Hari Vishnu Kamath—	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	6732-33
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	6734
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	6734-35
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	6735-36
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav .	6736-37
श्री खाडीलकर	Shri Khadilkar . . .	6737
श्री ब० कु० दास	Shri B. K. Das . .	6737, 6741
श्री नि० च० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee .	6741
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh .	6741-42
श्री शिंकरे	Shri Sinkre . . .	6742
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf . .	6742
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	6742-43
श्री मानसिंह पृ० पटेल	Shri Man Singh P. Patel .	6743
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	6743
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain .	6743-44

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 15 अप्रैल, 1966/25 चैत्र, 1888 (शक)
Friday, April 15, 1966/Chaitra 25, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Panna Diamond Mines

+
***1130. Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borooah:
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the expenses incurred on management and the cost of production of diamonds since the Diamond Mines at Panna were taken over by the National Mineral Development Corporation;

(b) the total value of diamonds extracted since then;

(c) the views of experts on the possibilities of reducing expenses on management and extracting more diamonds; and

(d) whether it is a fact that previously the private miners used to mine more diamonds at lesser management cost than the present cost?

खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सै० अ० मेहदी) : (क) पन्ना की रामखेड़िया तथा मझगवान खानों से हीरे प्राप्त करने का नियमित उत्पादन कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। इन खानों में पूर्वेक्षण कार्य होते समय जिसपर 154.17 लाख रुपया खर्च हो चुका है कुछ हीरे प्राप्त हुए है। इस अवस्था में उत्पादन की लागत तथा प्रबंध खर्च का लेखा करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) पूर्वेक्षण कार्य तथा अधिभार हटाने के समय लगभग 21 लाख रुपये के 6,226 केरट हीरे प्राप्त हुए है।

(ग) विशेषज्ञों से परामर्श लेने की स्थिति अभी नहीं आई है ।

(घ) इसकी कोई तुलना करना सम्भव नही है क्योंकि गैर सरकारी खनिकों की लागत की सूचना प्राप्त नहीं है और जैसा पहले कहा जा चुका है इन खानों से नियमित उत्पादन अभी आरम्भ होना बाकी है ।

श्री भागवत झा आजाद : जब से सरकार ने इस को अपने नियन्त्रण में लिया है क्या कारण है कि सरकार लागत के बारे में कोई विचार नहीं कर सकी या पहले किये गये उत्पादन से इसकी तुलना नहीं कर सकी और स्वयं सरकार ने वहां पर उत्पादन कार्य आरम्भ क्यों नहीं किया ? मुख्य उत्तर में जो 'नहीं' का व्यापक उपयोग किया गया है उसका क्या कारण है ?

श्री सै० अ० मेहदी : जब से ये खानें सरकार ने अपने नियन्त्रण में ली हैं वहां पर निरन्तर खोज कार्य हो रहा है और 1961 में एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था । इसपर पुनः विचार के बाद तीसरी परियोजना काटा के लिये एक परियोजना तैयार की गई थी । यह योजना परामर्शदाताओं को दिखाई गई थी । इस क्षेत्र की खुदाई में कुछ कठिनाइयां हैं । योजना बना ली गई थी तथा इसपर योजना आयोग तथा वित्त मंत्री द्वारा विचार किया जा रहा है । आशा है कि लगभग अगले वर्ष तक इसकी मंजूरी मिल जायेगी और उसके 18 महीने पश्चात वास्तविक खनन कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : परियोजना प्रतिवेदन 1961 में तैयार किया गया था और अब 1966 में हमें बताया जा रहा है कि खानों की खुदाई लगभग एक और वर्ष या इससे भी अधिक समय लग जायेगा। क्या इन सब बातों से सरकार की कार्यकुशलता का पता लगता है यदि नहीं तो योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या वे इसके लिये एक वर्ष या कुछ और वर्ष लेंगे ? इस समय इस मामले की स्थिति क्या है ?

श्री सै० अ० मेहदी : निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है क्योंकि यह समस्त कार्य खानों के समन्वेषण से सम्बन्धित है । जैसा कि मैंने पहले बताया है कि भारतीय खान विभाग के पास जो कुछ भी मशीनरी तथा सामग्री है वह अपर्याप्त है । इसलिये उनको उच्च कोटि के विशेष ों से परामर्श करना पडा था जिन्होंने इसका पुनरीक्षण कर दिया है और अब ये परियोजनायें योजना आयोग तथा सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री सुबोद हंसदा : रामखेड़िया खानों के समन्वेषण का प्रथम चरण जून 1965 में पूरा हो गया था और तदनुसार लागत सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था और लगभग 85.13 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान था । रामखेड़िया परियोजना कितने चरणों में पूर्ण होगी ?

श्री सै० अ० मेहदी : इस परियोजना की दो चरणों में पूर्ण होने की आशा है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि जब श्री संजीवया खान तथा धातु मंत्री थे तो उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया था और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और उन्होंने क्या नई सलाह दी थी ।

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मैं इस प्रश्न को समझ नहीं सका हूं ।

श्री स० चं० सामन्त : जब श्री संजीवय्या इस मंत्रालय के मंत्री थे तब क्या उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया था और उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : श्री संजीवय्या कभी भी इस मंत्रालय के मंत्री नहीं थे । श्री संजीव रेड्डी इस मंत्रालय के मंत्री अवश्य थे । उनकी प्रतिक्रिया के बारे में मैं कुछ नहीं

बता सकता। परन्तु यह बात तो स्पष्ट ही है कि यदि उनकी प्रतिक्रिया इस के पक्ष में नहीं होती तो वह इस परियोजना के कार्य को आगे नहीं बढ़ाते तथा इस परियोजना के समन्वेषण के लिये विदेशों से राय दने और हमें यह बताने के लिये कि हम इस परियोजना पर आगे कार्य करें या नहीं उच्च कोटि के परामर्शदाता न बुलाते।

Shri Bade : Since the establishment of the Mineral corporation, the experts have been called. But according to the special experts of Panna Mines, to find a diamond is a matter of luck. These experts have been there for a long time. Therefore these people take small bits and pass them through scenes and sometimes get a diamond amongst them. Have you obtained their co-operation? Is it a fact that since the establishment of this corporation, chances of procurement of diamonds have been reduced in the Panna Mines?

श्री सु० कु० डे : मुझे विश्वास है कि सभा यह मानेगी कि यह मामला चाहे हीरे संबंधी हो या खनिजों संबंधी परन्तु हम सैकड़ों वर्षों से ऐसी खुदाई करते रहे हैं। परन्तु आज हम पुराने तरीकों को छोड़कर नये वैज्ञानिक तरीकों से यह कार्य करने का यत्न कर रहे हैं।

श्री बड़े : आपके वैज्ञानिकों से तो अनुभव अधिक अच्छा है।

श्री हेडा : 1961 में प्रथम प्रतिवेदन मिलने के पश्चात गत पांच वर्षों में कितना आवर्तक व्यय हुआ है और क्या अगले वर्ष भी यही आवर्तक व्यय होगा या यह उसमें जोड़ दिया जायेगा ?

श्री सु० कु० डे : गत पांच या छ: वर्षों में व्यय निम्नलिखित प्रकार से किया गया है :

अन्वेषण व्यय .	63.70 लाख रुपये
टूल, मशीनरी, प्लांट . .	32.99 लाख रुपये
निर्माण कार्य . . .	23.99 लाख रुपये
सामान	11.83 लाख रुपये, और
संस्थापन	21.66 लाख रुपये।

इसलिये चिन्ता की कोई बात नहीं है।

Shri R. S. Tewari : I would like to know that whether the aim of Government in nationalising these diamond mines is to feed their own men or is to raise the national income? Government are spending lot of money over it but without any return.

श्री सु० कु० डे : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अधिकारी वहां पर कार्य कर रहे हैं उनको वेतन दिया जाता है। यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों का पेट भरने के लिये ही कोई कार्य शुरू नहीं कर सकती। मुख्य उद्देश्य सरकार के लिये लाभ कमाना है।

Shri Raghunath Singh : It is necessary to cut a diamond in Belguim style. If a diamond is cut properly a thousand rupees diamond can be sold for twenty thousands rupees. Have government made any such arrangements to cut a diamond in Belgium style?

श्री सु० कु० डे : जब हम बड़े पैमाने पर हीरे निकालना आरम्भ कर देंगे तभी इनको काटने का प्रश्न उत्पन्न होगा और तब हम इसको काटने के बारे में कुछ प्रबन्ध करेंगे।

Shri Yashpal Singh : Is the Government aware that it would be a mistake to leave such a big industry merely on chance? Upon whom does the Government rely? There is no such course in the universities. Since its nationalisation it

is running into loss. I would like to know whether Government propose to reconsider this matter and whether they are prepared to obtain cooperation from the experts?

श्री सु० कु० डे : देश अथवा विदेश में उपलब्ध विशेषज्ञों की सेवाओं तथा जानकारी का लाभ उठाने के लिये सरकार सदैव प्रयत्नशील है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि प्रश्न के भाग (घ) में निर्दिष्ट उत्पादन तथा लागत का ढांचा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के सम्बन्ध में करीब-करीब सर्वव्यापी ढांचा है ; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सु० कु० डे : मैं इस सम्बन्ध में सामान्य बात नहीं कहना चाहता किन्तु अपने बारे में ही कह सकता हूँ। जब से मैंने इस मंत्रालय का कार्य-भार संभाला है तब से सर्व प्रथम विचार यही रहा है कि खान और धातु मंत्रालय के अधीन उपक्रमों को कुशलतापूर्वक चलने योग्य बनाया जाय और हम सभी संभव कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है, न कि मेरे प्रश्न का।

श्री सु० कु० डे : कार्यकुशलता का अभिप्राय लाभ से है। बिना लाभ के कोई कार्यकुशलता नहीं हो सकती।

श्री कपूर सिंह : मैंने कार्यकुशलता अथवा लाभ के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा था।

श्री दी० चं० शर्मा : इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या सावधानियां बरती गई हैं कि प्रत्याशित हीरे खोदने वालों और इस निगम को चलाने वालों की जेबों में न चले जायें ?

श्री सु० कु० डे : मेरी धारणा है कि ऐसे प्रत्येक उपक्रम में, जिस में सोने अथवा हीरे की खानें शामिल हैं सरकार के हितों की रक्षा के लिये पूरी आवश्यक कार्यवाही की गई है।

गुजरात में एल्यूमिनियम पिघलाने का कारखाना

*1131. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मानसिंह पृ० पटेल :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में ऐल्युमिनियम पिघलाने का एक कारखाना स्थापित करने का है जो कच्छ के बौक्साइट निक्षेपों पर आधारित होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारखाने की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा होगी अथवा राज्य सरकार द्वारा ;

(ग) क्या परियोजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी तथा कारखाने की क्षमता क्य होगी ?

खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सै० अ० मेहदी) : (क) और (ख) : गुजरात खनिज विकास निगम जो राज्य सरकार निकाय है, से एक एल्युमिना प्लांट स्थापित करने का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। एल्युमिनियम प्रद्रावक स्थापित करने के लिये एक गैर-सरकारी पक्ष से दूसरा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।

(ग) नहीं, महोदय।

(घ) लागत का ठीक अनुमान प्राप्त नहीं है। प्रस्तावित क्षमताएं हैं :—

(1) 2,00,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष एल्युमिना और ;

(2) 50,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष एल्यूमिनियम धातु।

श्री सुबोध हंसदा : ये आवेदन पत्र सरकार को कब प्राप्त हुये थे और क्या इन आवेदन पत्रों में उन्होंने सरकार अथवा बाहर से कोई सलाहकार-सेवाओं की मांग की है ?

श्री सै० अ० मेहदी : यह आवेदन पत्र गत वर्ष ही प्राप्त हुआ था और वह विचाराधीन है। सलाह-मशवरे का प्रश्न बाद में पैदा होगा।

श्री सुबोध हंसदा : क्योंकि देश में बहुत से एल्यूमिनियम पिघलाने के कारखाने स्थापित किये जायेंगे, तो क्या इन सलाहकार सेवाओं को विकसित करने के लिये सरकार की ओर से कोई प्रयास किया जा रहा है ताकि हमें बाहर के मुल्कों के सलाहकारों की आवश्यकता न पड़े ?

खान और धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : ऐसा किया जायेगा। जैसा कि सभा को विदित है, सरकारी क्षेत्र में भी भारत एल्यूमिनियम के नाम से एक उपक्रम है और हम दो एल्यूमिनियम पिघलाने के कारखाने—एक कोयना में और दूसरा कोरबा में—स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनके चालू होने पर हम सलाह-मशवरा सेवाएं आरम्भ करेंगे और इन सेवाओं को हम प्रत्येक के लिये, जिसे उनकी आवश्यकता हो, उपलब्ध भी करेंगे।

श्री स० चं० सामन्त : गैर-सरकारी क्षेत्र से कितने आवेदनपत्र आये थे और क्या राज्य सरकारों द्वारा भी वही स्थापना-स्थल सुझाये गये थे जिनका उल्लेख उन्होंने किया था ?

श्री सु० कु० डे : मैं समझता हूं कि प्रश्न केवल गुजरात के निक्षेपों से सम्बन्धित है। जे० के० इन्डस्ट्रीज से एक आवेदन पत्र आया था जिन्हें केरल में एक एल्यूमिनियम पिघलाने का कारखाना स्थापित करने का आशयपत्र दे दिया गया है। उन्होंने उस पिघलाने वाले कारखाने को गुजरात में उत्पादित कच्चा एल्यूमिना अथवा गुजरात से प्राप्त बाक्साइट पर, आधारित करने की आशा की थी किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाई है क्योंकि गुजरात सरकार ने खुद अपना एल्यूमिना कारखाना खोलने का निश्चय किया है।

इस सिलसिले में, गुजरात निगम द्वारा उत्पादित एल्यूमिना पर आधारित एक एल्यूमिनियम पिघलाने का कारखाना गुजरात में स्थापित करने के बारे में बम्बई के पावर केबल कम्पनी से एक अनुपूरक आवेदन-पत्र मिला है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या प्राप्त विभिन्न आवेदनपत्रों तथा अनुपूरक आवेदनपत्रों में इस आशय का कोई संकेत है कि गुजरात के बौक्साइट निक्षेपों अथवा अन्य कच्चे माल, जिनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने बताया है, को मात्रा के बारे में इन पार्टियों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री सु० कु० डे : इस सम्बन्ध में पहले ही काफी सर्वेक्षण किया जा चुका है और देखा गया है कि अब तक स्थित अयस्कों से 60 लाख टन बौक्साइट मिल सकता है जिसमें 57–61 प्रतिशत एल्यूमिना है।

यह मात्रा लगभग 100,000 टन वार्षिक क्षमता वाले एक एल्यूमिना कारखाने को सप्लाई करने के लिये काफी है।

श्री प्र० चं० बरुआ : देश में इस समय एल्यूमिना की कितनी आवश्यकता है और कितनी मात्रा में वह उपलब्ध है और इस कारखाने के पूरा हो जाने पर हमें आयात कितना कम करना पड़गा ?

श्री सं० अ० मेहदी : इस समय उत्पादन लगभग 88,000 टन है और इन सभी परियोजनाओं के पूरा हो जाने के पश्चात् उत्पादन 423,000 टन तक पहुंच जायेगा। मैं समझता हूं यह मात्रा अनुमानित मांग से ज्यादा होगी।

Shri Vishwa Nath Pandey : The hon. Minister has stated that the applications received in connection with the setting up of Aluminium smelters are under consideration. I want to know when a final decision will be taken by Government in this regard.

श्री सु० कु० डे : हमें गुजरात सरकार से कुछ और जानकारी हासिल करनी है जो अग्रेतर तकनीकी अध्ययन पर आधारित है। जानकारी प्राप्त होते ही हम निर्णय ले लेंगे।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : मंत्री महोदय के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए और गुजरात राज्य में बॉक्साइट तथा एल्यूमिना के कच्चे उत्पादों से कई अन्य उत्पादों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये, कच्च उत्पादों का उपयोग सरकारी उपक्रमों द्वारा स्थानीय क्षेत्र में करवाने अथवा उसे किसी बाहर वाले को और गैर-सरकारी उपक्रम को आवंटित करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री सु० कु० डे : सरकार की वित्तपोषण सम्बन्धी क्षमता पर यह बात निर्भर करेगी इसलिये इस मामले पर हम सभी पहलुओं से बाद में विचार करेंगे।

Shrimati Jayaben Shah : I want to know the time by which a final decision will be taken on the applications received from the public and private sectors, and in case Government want to operate it of their own, what will be their view regarding finances ?

श्री सु० कु० डे : चौथी योजना में वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में अन्तिम रूप से निर्धारण कर लेना इस समय कठिन है। सभा के समक्ष इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने में, मैं समझता हूं, सरकार को कुछ महीने और लग जायेंगे।

श्री शिवनंजप्पा : क्या गुजरात में एक एल्यूमिना कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय गुजरात के बारे में ही बात चल रही है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : देश में आजकल अलौह धातुओं की कमी तथा आयात हकदारी सम्बन्धी अपनाई गई नीति को और इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि एल्यूमिना, तांबे, विशेषकर तांबा 'कण्डक्टरों' के लिये एक अच्छी स्थानापन्न वस्तु होगी, देश में तांबे की मांग को पूरी करने के उद्देश्य से एल्यूमिना को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

श्री सु० कु० डे : ठीक ऐसा ही किया जा रहा है। विद्युत उपक्रमों में एल्यूमिना को काफी मात्रा में तांबे के स्थान पर काम में लाया जा रहा है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या एल्युमिना को बर्तन तथा अन्य वस्तुओं के लिये काम में लाने के बदले तकनीकी प्रयोजनों के लिए बचाने की दृष्टि से उचित उत्पादन योजना बनाई गई है ?

श्री सु० कु० डे : मैं समझता हूं कि उद्योग मंत्रालय तथा संभरण तथा विकास मंत्रालय योजना बनाते समय इन सभी बातों पर पूरी तरह विचार करते ह कि किन किन वस्तुओं को अत्यावश्यक सेवाओं के वर्ग में स्थान मिलना चाहिये और किन वस्तुओं को अपेक्षाकृत उक्त वर्ग से भिन्न वर्ग में स्थान मिलना चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, the question put by Smt. Jayaben Shah has not been answered. The hon. Minister said that it would depend upon the capacity of the Government to finance. I want to know whether Government takes into considerations the available financial resources with them when planning is done by them and if the resources are at their disposal, what are the obstacles coming in the way and if not, the reasons for inviting so many applications for the purpose?

श्री सु० कु० डे : हमने आवेदनपत्र नहीं मांगे हैं। कैन्द्र में आवेदनपत्र आते रहते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या ये बौक्साइट निक्षेप कच्छ के उन क्षेत्रों में पाये गये हैं जिन पर पाकिस्तान अपना दावा करता है?

श्री सु० कु० ड : मझे ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है।

बिजली के सामान का निर्यात

*1132. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एलक्ट्रिकल मैनुफैक्चरर्स असोसियशन ने हाल में नई दिल्ली में हुई अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में बिजली के सामान का उत्पादन बढ़ाने, उसकी किस्म को सुधारने तथा निर्यात को बढ़ाने के बारे में विचार किया था तथा इसके लिए एक योजना तैयार की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निणय किये गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार से यदि कोई सहायता मांगी गई है तो क्या ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी हां, दिसम्बर, 1965 में हुई वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्ष ने अपने भाषण में कई बातें उठाई थीं।

(ख) उस बैठक में किए गए किसी निर्णय की सरकार को कोई भी जानकारी नहीं है।

(ग) यह कहा गया था कि एसोसियेशन अपने प्रस्तावों के बारे में सरकारी अधिकारियों से बात-चीत करेगी। लेकिन जान पड़ता है कि अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि देश के बिजली का सामान बनाने वालों उद्योग को आयात किए हुए कच्चे माल और मशीनों पर कहां तक निर्भर रहना पड़ता है और चौथी योजना में इस मांग को देश में ही पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इस्पात की चादरों, ट्रान्सफार्मर, तेल, तांबा और जस्त का मुख्यतः आयात किया गया है। तांबे के स्थान पर ऐल्यूमिनियम के प्रयोग के बारे में एक समिति पहले ही नियुक्त कर

दी गई है। जहां तक बिजली की इस्पात की चादरों के निर्माण का सम्बन्ध है, इस्पात की चादरों को देश में निर्माण करने के सम्बन्ध में पहले ही एक प्रस्ताव है और ट्रांसफार्मर तेल के, जो कि अभी पूर्णतया आयात किया जाता है, दो कारखानों के लाइसेंस दे दिए गए हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या थक्कर समिति को बिजली के सामान के प्रश्न की जांच करने के लिए कहा गया है?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : योजना आयोग के श्री नाथ के सभापतित्व में पहले ही एक नाथ समिति है। उसने एक रिपोर्ट पेश की है। जिस समिति का मैंने जिक्र किया वह तांबे के स्थान पर ऐल्यूमिनियम के प्रयोग के बारे में है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि सरकार उपकरणों के बाहर से आयात की व्यवस्था करने के साथ कुछ मामलों में ऋण देकर देश के अन्दर जो कारीगर हैं उनको प्रोत्साहन नहीं दे रही है। और क्या मैं जान सकता हूं कि जो सुविधाएं सरकार दे रही है उत्पादन कहां तक उनके अनुरूप है।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इस वर्ष आई० डी० आई० से ऋण मिलने के कारण उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होगी। जहां तक बिजली के सामान के उत्पादन का सम्बन्ध है, मुझे सभापति के भाषण से यह पता चला है कि 250 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बिजली के सामान का उत्पादन हो रहा है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इंडियन इलेक्ट्रिकल मैनुफैक्चर्स एसोसियेशन में लघु उद्योग भी शामिल हैं, यदि हां, तो बिजली के सामान के निर्यात के लिए लघु उद्योगों को क्या कोई विशेष सहायता दी जाती है?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इसमें लघु उद्योग शामिल नहीं हैं; लघु उद्योग क्षेत्र को राज्य सरकारें सहायता देती हैं।

श्री सुबोध हंसदा : लघु उद्योगों को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए क्या रियायतें दी जाती हैं और पिछली बैठक में निर्यात बढ़ाने के लिये उन्होंने क्या सुझाव दिए?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : निर्यात संवर्धन योजनाएं बनाई गई हैं जो आयात अधिकार देती हैं और बिजली के सामान के मामले में तो यह अधिकार 75 प्रतिशत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार को पता है कि इंडियन इलेक्ट्रिक वर्क्स, जो बिजली के सामान बनाने का एक बहुत बड़ा कारखाना है, अब बन्द होने वाला है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार का इसमें बहुत अधिक धन लगा हुआ है, इस कंपनी की स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जहां तक इस कम्पनी का सम्बन्ध है मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता सरकार इसका ध्यान रख रही है परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहे तो मैं इनको सभी आंकड़े बता सकता हूं।

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : जहां तक इस फर्म का सम्बन्ध है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है यह बहुत ही वित्तीय कठिनाई में है और कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता देने के लिए सरकार ने हाल ही में उसको कुछ सहायता भी दी थी। इसको अपने हाथ में लेने की वांछनीयता पर हम बराबर विचार कर रहे हैं।

श्री फिरोदिया : किस राज्य से सब से अधिक बिजली का सामान निर्यात होता है?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह कहना बहुत कठिन हैं ; शायद गुजरात राज्य से होता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is an acute shortage of Electric wires and they are not available at the rates at which their prices have been fixed but are available at higher prices. Have the Government taken any steps to check it?

श्री संजीवय्या : यदि इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने लाए गए तो हम अवश्य कार्यवाही करेंगे।

शल्य चिकित्सा के औजारों का निर्माण

*1133. **श्री मधु लिमये :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शल्य-चिकित्सा के अच्छे औजारों का निर्माण करने में भारत ने कितनी प्रगति की है ; और

(ख) इनकी किस्म में सुधार करने तथा इस समय देश में न बनने वाले नई किस्मों के औजारों का निर्माण आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। **[सभा पटल पर रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6048/66।]**

Shri Madhu Limaye : I would like to know whether the demand for surgical instruments is increasing day by day in the country; if so, whether these instruments are generally imported and if so, the total amount of foreign exchange spent on them?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह कहना कठिन है कि पिछले कुछ वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है। इस वर्ष 1.1 करोड़ रुपय व्यय हुए हैं। पिछले दो वर्षों में यह 1.58 करोड़ रुपये के लगभग थे।

अध्यक्ष महोदय : क्या मांग में वृद्धि हुई है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मांग 5 करोड़ रुपये के लगभग है।

Shri Madhu Limaye : It is clear from the reply of the hon. Minister that Government have ignored the manufacture of surgical instruments and in the written answer he has stated that the quality of the instruments manufactured in small factories was not good. Have any talks been held with East and West Germany, who have progressed a lot in this field, for the manufacture of these instruments on large scale and whether any assistance has been asked from these countries ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मद्रास में शल्य उपकरण कारखाना इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड का अंग है, जैसे कि हैदराबाद में एंटीबायोटिक प्लांट और सिथैटिक प्लांट हैं। हमें रूस से 9.52 करोड़ रुपये का ऋण मिला है। यही विदेशी मुद्रा इसमें लगेगी।

अध्यक्ष महोदय : वह पश्चिम जर्मनी के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : हम रूस के साथ सहयोग कर रहे हैं। दो अन्य फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं और मेरा विचार है कि ये पर्याप्त रहेंगे।

डा० रानेन सेन : विवरण में यह मान लिया गया है कि कई ऐसी छोटी फर्में हैं जो काफी समय से शल्य उपकरणों का निर्माण कर रही हैं। उनको कुछ तकनीकी सहायता देने के अतिरिक्त क्या सरकार ने वित्तीय सहायता देने के बारे में भी सोचा है जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जहां तक लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का सम्बन्ध है, यह उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। अब चिकित्सा उपकरणों तथा औषधियों सम्बन्धी सलाहकार समिति ने यह सुझाव दिया है कि ऐसे एककों के समूह के पास कोई एसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनको तकनीकी सहायता दी जा सके।

Shri Sidheshwar Prasad : From the statement it is clear that such instruments are forged in small factories and from the reply of the hon. Minister, it is clear that the factory which has been set-up would not be enough for our demand. I want to know what steps the Government is going to take to improve the quality of the instruments?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैंने पहले ही कह दिया है कि सरकारी उपक्रमों के क्षेत्र के अतिरिक्त, हम छोटे निर्माताओं के उत्पादों में सुधार करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन आधुनिक शल्य उपकरणों के लिए एक विशेष प्रकार के इस्पात की आवश्यकता पड़ती है। सरकार ने इस बात के लिए क्या व्यवस्था की है कि मद्रास में जो कारखाना खोला गया है उसको विशेष इस्पात की कमी के कारण हानि न उठानी पड़े।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जैसा कि मैंने पहले कहा, सोवियत संघ विदेशी मुद्रा सप्लाई करेगा।

खान मालिको को वित्तीय सहायता

\+
***1134. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री 3 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 650 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खान मालिकों को अपनी खानों का विकास करने के लिये वित्तिय सहायता देने की योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सै० अ० मेहदी) : (क) और (ख) : कोयला खानों का विकास करने के लिये कोयला खान स्वामियों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

Shri Vishwa Nath Pandey : How many mine owners have asked for financial assistance?

Shri S. A. Mehdi : So far no request has been received, fourth Plan targets are being discussed and the demands of the private sector are being considered. Reports received so far are being examined. We have to take into consideration several factors. Therefore, no decision can be taken at this stage.

Shri Vishwa Nath Pandey : Have you received any interim report in this regard?

Shri S. A. Mehdi : No such report has been received.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : विश्व बैंक ने कितना ऋण दिया। इन में से खान मालिकों ने कितना भाग खानों के विकास पर खर्च किया ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं। मैं समझता हूं कि ये आंकड़े पहले सभा में बताये जा चुके हैं। मेरे विचार से विश्व बैंक ने 16 करोड़ रुपये दिये थे और कोयला खानों द्वारा लगभग 13 करोड़ रुपयों का उपयोग किया गया है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : चूंकि निर्यात करने वाले विश्व के देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये खानों में मशीनों का प्रयोग करना आवश्यक हो गया है, अतः क्या सरकार ने इन खानों में मशीनों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ; और यदि हां, तो यह किस आधार पर किया जा रहा है और इसके लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्री सै० अ० मेहदी : यह कोयले का उत्पादन 1 करोड़ 70 लाख टन से बढ़ा कर 3 करोड़ 70 लाख टन करने का प्रश्न है। इसके लिये हमें उत्पादन क्षमता दुगुनी से भी अधिक करनी है। सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस उद्योग को किस प्रकार सहायता दी जाये। मशीनीकरण और सहायता के अन्य सब उपायों पर विचार किया जा रहा है।

डा० रानेन सेन : कुछ समय पूर्व सरकार ने निर्णय किया था या छोटी खान के मालिकों से सिफारिश की थी कि छोटी खानों का विलय किया जाये और सरकार का उनको सहायता देने का प्रस्ताव था। खान मालिकों को सरकार के इस सुझाव से कहां तक लाभ हुआ और सुझाव का क्या परिणाम रहा ?

श्री सु० कु० डे : विलय कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। छोटी खानों के मालिक एक दूसरे में विलय करन में प्रतिरोध दिखा रहे हैं। खानों का यंत्रीकरण तथा वैज्ञानिकन में यह बाधक है। हमें मशीनों का प्रयोग आरंभ करने के लिये कोई आधार चाहिये।

Shri Raghunath Singh : How many applications for mechanisation have been received from the mine owners?

श्री सु० कु० डे : कोयला खानों से हमें कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिले हैं, किन्तु कुछ बड़ी खानों ने अपनी खानों का आधुनीकीकरण करने का प्रयत्न किया है और अन्य आधुनीकीकरण के सम्बन्ध में कार्यक्रम बना रही हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में यदि खान मालिक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आधुनिकीकरण करेंगे तो इस कार्य पर लगभग 15 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक खर्च होने का अनुमान है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Do the Government propose to impose any conditions, while giving loans to mine owners, who have asked for it, and if so, on what conditions finance will be given?

श्री सु० कु० डे : सरकार वह कार्य दिल से करना चाहती है किन्तु इसमें कुछ वित्तीय कठिनाई है अतः इसका निश्चित उत्तर देना कठिन है।

Shri Bibhuti Mishra : Besides coal mines, there are other mines also. Rakhe Copper mine is a very prospective mine but it is not being exploited because Government have not adequate facilities and resources for it, we have to import large quantity of copper from other countries. May I know what steps are being taken by Government in this connection?

श्री सु० कु० डे : हम कोयला के आधुनिकीकरण के संबंध में कोयला खान मालिकों की कठिनाइयों की चर्चा कर रहे हैं। मैं तांबे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में पृथक प्रश्न पूछे तो, मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या माननीय मंत्री इस समस्या को हल करने के लिये खान मालिकों की सहकारी समितियां स्थापित करने में यह भावना पैदा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

Exemption of Freight on Export of Sugar

*1135. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the sugar dealers have sent a memorandum to Government demanding full exemption from freight on the exports of sugar from Northern India; and

(b) if so, the decision taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No such memorandum has been received. There were, however, some representations requesting that a uniform charge of one rupee per maund be levied for despatches from any sugar factory station to any port for export.

(b) It was decided that the request could not be acceded to. Nevertheless, considering that empties are moved to Kandla for loading imported foodgrains, concessional station to station rates for export sugar at 30% below the normal tariff rate were quoted from all sugar booking stations on North Eastern Railway to Kandla with effect from lst January, 1966.

Shri Bibhuti Mishra : There are a large number of sugar mills in North India which produce large quantity of sugar. Sugar produced in South India is exported, as a result of which the local demand is met by the supplies from North India. This sugar costs much. May I know as to why Government do not adopt uniform freight policy for the whole of the country?

Dr. Ram Subhag Singh : This question does not relate to the Ministry of Railways because the Ministry of Food and Agriculture lays down policy in this regard. I have told about the decision taken regarding freight.

Shri Bibhuti Mishra : Why the Ministry of Railways has fixed different freight charges for sugar in different parts of the country while there are uniform freight rates in respect of several other articles? Why facilities are not given for the import of sugar from North Bihar?

Dr. Ram Subhag Singh : Freight rates are fixed on the basis of geographical, distance. Ministry of railway fixes freight rates in consultation with the Ministry concerned. I have just mentioned that the rate has been reduced by 30 per cent with effect from lst April, 1966 it has been changed to 55-B special instead of 65-B and the existing rate has been reduced from Rs. 268.40 to Rs. 231.00 i.e. 28 maunds of wagon on broad gauge and for 100 kilometer. The difference is not very much and sufficient facilities have been provided.

Shri Vishwa Nath Roy : It has been stated that the difficulties in the way of export will be removed. May I know whether steps are being proposed to remove the difficulty of freights rates in the export of sugar in Uttar Pradesh and also to encourage the export of sugar?

Dr. Ram Subhag Singh : Incentives must be given to export. In order to increase the scope of incentive this reduction in freight rates of sugar to be exported from Kandla port has been effected i. e. it has been reduced by 30% with effect from lst January and twenty five percent w. e. f. lst May.

Shri K. N. Tiwary : In view of the fact the recovery percentage of sugar in Uttar Pradesh is much less as compared to that of Bombay, Calcutta etc., will the Government consider to reduce the freight charges on sugar from U. P. also?

Dr. Ram Subhag Singh : I fully appreciate the suggestion made by the hon. Member. I think he is aware of the fact that concession in freight has already been given on sugar from North Bihar and U. P. Railway Ministry is not supposed to assist in all the factors entering into the competition.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या वाणिज्य मंत्रालय ने चीनी व्यापारियों का ज्ञापन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार कर लिया है और क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय समूचे चीनी के निर्यात के सम्बन्ध में सभा को विस्तारपूर्वक बता सकता है ?

डा० राम सुभग सिंह : समूचे प्रश्न पर वाणिज्य मंत्रालय से परामर्श करके विचार किया गया था और दरें मुख्यतः निर्यात दरें, निर्धारित की गई। इस मामले से सम्बन्धित अन्य मंत्रालयों से भी परामर्श किया गया था।

Shri Sheo Narain : What are the reasons for exporting sugar from the ports of Western India instead of Calcutta port whereas Calcutta port is more nearer?

Dr. Ram Subhag Singh : It depends on the choice of exporters.

Shri Raghunath Singh : Sugar produced in sugar mills of northern India costs more in foreign markets than the sugar produced in sugar mills of South India as the mills of South India are nearer to Bombay port and they pay less freight. Keeping in view this fact will the Government take some necessary steps as has been done in the case of coal freight.

Dr. Ram Subhag Singh : Coal freight has also been fixed according to the distance. The freight rates have been fixed on the basis of exemption of freight on export of sugar which includes shipping also.

Shri Raghunath Singh : Rates in shipping are uniform.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स काम्पलैक्स

\+

*1136. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० के० देव :

श्री प० ह० भील :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स काम्पलैक्स ने अपने कारखानों में सर्वोत्तम डिजाइन के तथा आधुनिकतम किस्म के मशीनी औजारों का निर्माण करने के लिये अमरीकी फर्मों से सहयोग करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं ; और यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इन कारखानों में ऐसी मशीनों का कब निर्माण आरम्भ होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : जी, हां। स्वचालित खरादों के निर्माण के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अमरीका के मेसर्स वाटरबेरी फैरेल के जोन्स एण्ड लैमसन डिवीजन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इस करार में मशीनें, पुर्जे और सहायक पुर्जे आदि खरीदने के लिये गारंटी के रूप में तकनीकी जानकारी, खाके तथा निर्माण अधिकार इत्यादि देने की व्यवस्था की गई है।

(ग) अब से लगभग दो वर्षों में।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार इसमें लगाई जाने वाली पूंजी के बारे में बतायेगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : विदेशी सहयोग के बारे में जब करार होता है सामान्यतया तकनीकी ज्ञानकारी तथा अन्य सहायता के लिये रायल्टी दी जाती है। किन्तु इस मामले में रायल्टी नहीं दी जायेगी। केवल उनसे 50 लाख रुपये की मशीनें खरीदने पड़ेंगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन मशीनों को खरीदने के लिये इस समय कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है और बाद में कितना उत्पादन होगा जिससे विदेशी मुद्रा बचाई जा सके ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इस 80 प्रतिशत मशीनों का आयात होता है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं कुल राशि के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैं राशि के बारे में नहीं बता सकता हूं।

श्री पी० रा० रामकृष्णन : क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी कार्यक्रम नियंत्रण मशीनें बनाने की योजना बना रहा है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जी, नहीं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं समझती हूं कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित मशीनें बाजार में पहिले से ही काफी संख्या में हैं। क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इन मशीनों की देश में खपत हो जायगी या ये बाजार में जमा होती रहेंगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इन नई किस्म की मशीनों की देश में बहुत अधिक आवश्यकता है। इसीलिये इन्हें देश में बनाना आवश्यक समझा गया।

श्री रा० बरुआ : क्या अमरीकी सहयोगकर्ताओं के साथ सामान्य अंश में पूंजी लगाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ; और यदि हां तो किस प्रतिशत में ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : सामान्य अंश पूंजी की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : इस सहयोग करार का उत्पादन कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और देश के लिये अथवा निर्यात करने के लिये हम इन आधुनिक मशीनों को कहां तक बना सकेंगे ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इसमे अनुमानतः दो-तीन वर्ष लग जायेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : अमरीकी सहयोग से स्थापित किया जाने वाला यह नया कारखाना वर्तमान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से किस रूप में भिन्न होगा और क्या यह उसके कार्य में सहायक होगा अथवा बाधक ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह उसके कार्य में सहायक होगा। वह अब तक बनाई जाने वाली मशीनों के अतिरिक्त इन मशीनों को भी बनायेगा।

Shri Onkar Lal Berwa : Will the American experts come for this purpose and the countries other than America with whom talks were conducted in this regard and what is their reaction?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : हम इस बात का पता लगाने के लिए कुछ विशेषज्ञ भेज रहे हैं कि भारत में क्या पुर्जे बनाये जा सकते हैं और वह भी अपने विशेषज्ञ यहां भेज रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अमरीका या कोई अन्य देश।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : अमरीका।

सरकारी उपक्रमों द्वारा निर्यात

+

*1137. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री रामपुरे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार बोर्ड ने बम्बई में अपनी हाल की बैठक में अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से सरकारी उपक्रमों के लिये वर्ष 1966 और 1967 के निर्यात के लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1965 में सरकारी उपक्रमों ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण की प्रक्रिया में रत सरकारी उपक्रमों, जिनके उत्पाद निर्यात किये जाते हैं अथवा जिनके उत्पादों की निर्यात क्षमता है, के अध्यक्षों की एक बैठक फरवरी, 1966 में हुई थी। उनके विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, इन संगठनों ने प्रथमतः 1966 और 1967 के लिये निर्यात के निम्न लक्ष्य अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिय हैं। 30 अप्रैल, 1966 को होने वाली व्यापार बोर्ड की बैठक में सरकारी उपक्रमों के निर्यात प्रयत्नों के साथ इन लक्ष्यों का पुनर्विलोकन किया जायगा।

(1) हिन्दुस्तान स्टील लि०	6.00 करोड़ रु०
(2) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	1.00 करोड़ रु०
(3) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज . .	0.80 करोड़ रु०
	7.80 करोड़ रु०

अन्य सरकारी उपक्रमों द्वारा प्राप्त किये जा सकने वाले निर्यात आर्डरों से होने वाली आय को ध्यान में रखते हुये, सरकारी उपक्रमों (प्रतिरक्षा समेत) के लिये 9 करोड़ रु० का सम्पूर्ण निर्यात-लक्ष्य सम्भव समझा जाता है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी उपक्रमों ने अगले दो-दो वर्षों के लिये लगभग 2 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा कमाने का लक्ष्य स्वीकार कर लिया है।

(ग) सरकारी उपक्रमों ने निर्यात तथा विदेशी जहाजों की मरम्मत से 4.02 करोड़ रु० कमाये। इसके अतिरिक्त तीन व्यापारिक निगमों, अर्थात् भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०, भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०, और भारतीय दस्तकारी एवं हथकरघा निर्यात निगम लि०, जो कि वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, ने निर्यात द्वारा 57.62 करोड़ रु० कमाये।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये अब क्या उपाय अपनाये गये है और कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं बता चुका हूं कि इस वर्ष 11 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप इस वर्ष के लिए स्वीकार किये 4 करोड़ रुपये के लक्ष्य के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रम 7 करोड़ रुपये का माल निर्यात करेंगे। हम इन उपक्रमों के जनरल मैनेजरों तथा सरकारी क्षेत्र, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, इस्ट्रूमेन्ट फैक्टरी, कोटा, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हिन्दुस्थान स्टील लिमिटेड में से प्रत्येक के निर्यात मैनेजर को भी विदेशों में भेज रहे हैं। हम 6 लाख टन इस्पात और कच्चे लोहे का कोटा दिया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : हमारे स्थानापन्न निर्यात में कितनी प्रगति हुई जिससे हम अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकें ?

श्री मनुभाई शाह : 11 करोड़ रुपये भी काफी नहीं हैं। मैं समझता हूं कि सरकारी उपक्रम आसानी से 100 करोड़ रुपये का वार्षिक निर्यात कर सकते हैं। हम यह लक्ष्य 5.7 वर्ष में प्राप्त कर लेंगे।

श्रीमती रेणुका राय : क्या इस बात का कोई अध्ययन किया गया है कि निर्यात बढ़ाने के लिये दिये गये प्रोत्साहनों तथा आर्थिक सहायता के परिणामस्वरूप हमने कुल राष्ट्रीय आय के अतिरिक्त कितनी विदेशी मुद्रा कमाई और हमने कितनी ऐसी विदेशी मुद्रा कमाई जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हुई।

श्री मनुभाई शाह : उत्पादन के क्षेत्र में निर्यात से हमारी कुल आय 200 करोड़ रुपये की होती है। इसमें से लगभग 50 करोड़ रुपये की आयात हकदारी है और 150 करोड़ रुपये हमारे पास रह जाते हैं। इस 50 करोड़ रुपये की हकदारी में से भी लगभग 37.8 करोड़ रुपये का वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस से किताबी हस्तांतरण होता है। वास्तविक उपभोक्ता के रुप में उन्हें पहले जो कुछ मिलता था, वह बन्द कर दिया गया है और वह अब निर्मित माल के निर्यात के अनुसार दिया जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि 11 करोड़ रुपये का लक्ष्य काफी नहीं है। क्या प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को स्वयं अपनी निर्यात संस्थाएं बनाने के तथा विदेशों में अपने कार्यालय खोलने के लिये धन खर्च करने की अनुमति है अथवा सरकार समझती है कि वे राज्य व्यापार निगम की वर्तमान व्यवस्था तथा विदेशों में अन्य व्यवस्था का उपयोग करें ताकि अनावश्यक खर्च न हो ?

श्री मनुभाई शाह : इसके दो पहलू हैं। जहां लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों की भांति हमारा सामान थोक में विकता है ये उपक्रम राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु निगम के माध्यम से कार्य करते हैं किन्तु मशीन टूल्स अथवा प्रति जीवाणु पदार्थों आदि के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम द्वारा सारा निर्यात नहीं किया जा सकता है। अतः यही अच्छा है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम स्वयं अच्छा भारतीय माल का संभरण करें और हम राज्य व्यापार निगम के द्वारा उनकी सहायता करें।

श्री रा० बरुआ : आयात किये जाने वाले कच्चे माल की कमी को देखते हुए क्या सरकार को निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की आशा है ?

श्री मनुभाई शाह : आयात को निर्यात के साथ सम्बद्ध किया जाता है। निर्यात करने वालों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिक से अधिक कच्चा माल दिया जाता है। इसलिये कभी कमी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहना कहां तक सच है कि विदेशों में कुछ मरम्मत की दुकानें तथा अन्य वर्कशाप खोलने से हमारा निर्यात काफी बढ़ सकता है और यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो अन्य देशों में ऐसी वर्कशाप तथा प्रदर्शन कक्ष खोलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : मरम्मत वर्कशॉप प्रदर्शन कक्षों से भिन्न हैं। प्रदर्शन कक्ष खोले जा रहे हैं। विदेशों में खोले गये प्रदर्शन कक्षों की एक सूची मैंने सभा पटल पर रखी थी। मरम्मत के सम्बन्ध में भी हमने कुछ कार्यवाही की है। जहाजों की मरम्मत के लिए हमने तीन बन्दरगाहों पर वर्कशाप खोली हैं।

श्री जोकिम अल्वा : हाल में फ्रान्स का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था और उसने हथ करघा उत्पादों के निर्यात के बारे में बातचीत की थी। फ्रान्स को हथकरघा उत्पादों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

श्री मनुभाई शाह : लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपये का। अब उसने फ्रान्स को हथ करघे से बने कपड़े के निर्यात पर सभी प्रतिबन्ध हटा दिये हैं।

श्री शिंकरे : क्या मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा की बचत के उपाय के रूप में हमारे निर्यात को कम करने के प्रश्न पर अच्छी तरह विचार किया है क्योंकि हमारे निर्यात व्यापार को अभी शैशवावस्था में ही तीव्र प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है इसलिए केवल निर्यात बढ़ाने से हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति ठीक होना आवश्यक नहीं है? यदि सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री मनुभाई शाह : हमने इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार किया है। सभी अनावश्यक वस्तुओं के आयात को बन्द करने तथा उनके स्थान पर देश में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग के बावजूद भी विकासशील भारतीय अर्थ व्यवस्था तथा विकास कार्यक्रमों के कारण हमारा आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। अतः आयात करने के साथ साथ निर्यात बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

इस्पात कारखानों के कर्मचारियों की छंटनी

+

*1138. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :**	**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :	**श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद :	**श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :	**श्री लिंग रेड्डी :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 9 जनवरी, 1966 के "अमृत बाजार पत्रिका" में प्रकाशित समाचार के अनुसार दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों के बहुत से कर्मचारियों की छंटनी किय जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उन्हें पुनः रोजगार देने के लिये सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उस की मोटी रूपरेखा क्या है?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हाल के महीनों में दुर्गापुर अथवा राउरकेला इस्पात कारखानों में कोई छंटनी नहीं की गई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

श्री गोकुलानन्द महंती : क्या कर्मचारियों ने इस छंटनी के बारे में सरकार को अथवा रूरकेला अधिकारियों को कोई अभ्यावेदन दिया था?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं बता चुका हूं कि इन कारखानों में कोई छंटनी नहीं की गई है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने भिलाई, दुर्गापुर तथा रूरकेला, तीनों कारखानों में रोजगार के अवसरों का कोई उचित मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो यदि इन में फालतू कर्मचारी हों, तो क्या सरकार ने उन्हें बोकारो इस्पात कारखाने में रोजगार देने के लिये कोई योजना बनाई है?

श्री प्र० चं० सेठी : इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला यह कि इन तीनों इस्पात कारखानों में इमारत बनाने वाले मजदूर हैं। निर्माण कार्य पूरा होते ही उनकी छंटनी की जायेगी। हम उन्हें दूसरे काम पर रखने का भरसक प्रयत्न करेंगे। हमने उन्हें रोजगार देने के लिये रोजगार मंत्रालय से भी बातचीत की है। किन्तु इन कारखानों के अन्य फालतू कर्मचारियों को हम बोकारों अथवा हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन लिमिटेड में से किसी में भी काम पर रखने का प्रयत्न करेंगे।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने कारण कारखानों में काफी मात्रा में इस्पात जमा हो गया है ; और यदि हां, तो क्या यह छंटनी भी आवश्यकता से अधिक उत्पादन का आंशिक परिणाम है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी नही। इसके कारण कोई छंटनी नहीं की गई। जो कुछ भी छंटनी होगी वह निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की होगी।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it not a fact that retrenched workers can be absorbed in various public sector undertakings which are established from time to time and if it is a fact why the Government do not absorb them in Bokaro and such other plants?

Shri P. C. Sethi : Bokaro plant is in Bihar and the land of local people has been acquired for the purpose. These people are.demanding to give them employment in the proposed plant. Even then we will try to give employment to the local people as well as the surplus workers in other plants in order to maintain the balance.

श्री स० चं० सामन्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर कर्मचारियों की छंटनी की जाती है। क्या दुर्गापुर और रूरकेला में भी छंटनी की गई है और यदि हां, तो क्या उन्हें रोजगार देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री प्र० चं० सेठी : भिलाई का मामला दुर्गापुर और रूरकेला से इस तरह भिन्न है कि भिलाई में अधिकांश निर्माण कार्य स्वयं विभाग द्वारा किया जाता है जब कि रूरकेला और दुर्गापुर में यह कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। तब भी दुर्गापुर और रूरकेला में लगभग दो हजार कर्मचारी निर्माण कार्य में लगे हैं। निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर यह प्रश्न सामने आयेगा। हम अभी कोई छंटनी नही कर रहे हैं।

श्री मुहमद इलियास : भिलाई में कुछ हजार निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की छंटनी के विरूद्ध बहुत क्षोभ है। सरकार ने उन्हें बोकारों तथा अन्य स्थानों में रोजगार देने का आश्वासन दिया है। इनमें से कितने लोगों को बोकारो तथा अन्य स्थानों पर रोजगार दिया जायेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : मुख्य प्रश्न केवल दुर्गापुर और रूरकेला के बारे में है। यह सच है कि भिलाई में काफी संख्या में निर्माण कार्य में मजदूर लगे हैं। उनमें से हमने अभी तक 5,000 मजदूरों को रोजगार देने का प्रयत्न किया है फिर भी बड़ी संख्या में छंटनी करनी पड़ेगी।

Shri Onkar Lal Berwa : Are these 2000 workers are permanent or temporary. If they are temporary, why they have not been confirmed so far?

Shri P. C. Sethi : Though construction workers are not permanent, we did not retrench them as the contractors generally do. We are retrenching them after paying them retrenchment compensation.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has stated that so far about 5,000 workers have been given employment and remaining 11,000 thousand workers are not still absorbed. Do the Government propose to give them lay off? when they will be absorbed?

Shri P. C. Sethi : They will be employed till the construction work is over and after that they will be retrenched. The workers, who are given lay off, will be paid retrenchment compensation.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि सरकार विभिन्न इस्पात कारखानों में निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर छंटनी किये गये अथवा छंटनी किये जाने वाले अकुशल, अर्ध कुशल तथा कुशल कर्मचारियों का कोई सामूहिक पूल बनाने की योजना बना रही थी यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस्पात कारखानों का निर्माण एक निर्माण कम्पनी के माध्यम से कराने की योजना थी। कम्पनी स्थापित हो चुकी है। किन्तु कम्पनी में कर्मचारियों की संख्या बहुत सीमित है। जो कार्य यह कम्पनी कर रही है वह भी सीमित है ।

Cotton Textile Mills in Maharashtra

+

S.N.Q. 19. Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Bank of India has refused to extend loans to Cotton Textile Mills in Maharashtra which are in difficulty;

(b) whether it is also a fact that this refusal was despite the loan guarantee offered by the Union and Maharashtra Governments;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the alternative arrangements made for providing finance to the Mills?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कुरेशी) : (क) से (घ) : महाराष्ट्र में सूती कपड़ा मिलों को स्टेट बैन्क अन्य बातों के साथ सम्बद्ध मिल की वित्तीय स्थिति ध्यान में रख कर ऋण देता रहा है। अब तक केवल ऐसे एक मामले का पता चला है जब कि राज्य सरकार की गारंटी होते हुए भी महाराष्ट्र के इस मिल को स्टेट बैन्क ऋण नहीं दे सका। ज्ञात हुआ है कि स्टेट बैन्क ने इस मिल की अत्यन्त असन्तोषजनक वित्तीय स्थिति देखकर और इस डर से कि मिल के भावी उपार्जन में से ऋण के भुगतान होने की आशा नहीं है, इस मिल को ऋण नहीं दिया। कोई अन्य व्यवस्था कर लेने के प्रश्न पर विचार करने का काम स्वयं इस मिल का है ।

Shri Madhu Limaye : In case the State Bank refuses to advance loans due to their unsatisfactory financial position, are the Government taking any initiative to take over the management of these industries under the Industrial Development and Control Act, so that the management and financial provision may be provided by the Government?

Shri Shafi Qureshi : The Maharashtra Government asked for assistance to be given for six mills. For three mills an assistance of Rs.10 lakhs, each was asked for and for the remaining three mills the amount of assistance asked for was more than Rs. 10 lakhs each. So far as the assistance of Rs. 10 lakhs is concerned it is the

responsibility of the State Govt. While granting loans and guarantee the bank takes into account the financial position of the mill, the condition of its machinery and its working. In one case the bank refused to grant loan because in the banks opinion the financial position of the mill was unsatisfactory beyond control.

Shri Madhu Limaye : It is not the reply to my question. I wanted to know since the bank refused to grant loans due to unsatisficatory financial position, are the government preparing a scheme to take over the management of those mills.

Shri Shafi Qureshi : The procedure is this. First an investigater is appointed and after receiving its report Government decides whether a financial assistance should be given or not.

Shri Shinkre : The hon. Minister has asked about taking over the management.

Shri Shafi Qureshi : We appoint a Controller for this purpose who take over the mill.

Shri Madhu Limaye : I would like to draw the attention of hon. Minister to the State Bank of India Act, 1955 in which it has been laid down that the Bank is being nationalised with a view to expand its business for public enterprises further under section 18 of the bill it is laid down that if any question arises whether a direction relates to a matter of policy involving public interest in connection with the direction issued by the Govt. in consultation with the Governor of the Reserve Bank and the Chairman of the State Bank, the decision of the Central Government shall be final. I want to know whether it is not a matter of policy involving public interest. If Government does not want to take over the mills, it can grant loan or order the State Bank to grant loan, otherwise several mills will be closed. The Govt. should take one of the two actions suggested, otherwise the poor labour would be exploited as before.

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : यह एक संवैधानिक प्रश्न है और हमने इस पर अच्छी तरह विचार किया है। यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को स्टेट बैंक का आदेश देने का अधिकार है। किन्तु इस स्वायतशासी बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के निदेशक बोर्ड के विरूद्ध काम करना उचित नहीं हैं। इसलिए हम सदभावना से कार्य कर रहे हैं। इन तीन मिलों में दो मिलों को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण देने के लिये हम चैयरमैन और बोर्ड से कहेंगे। एक कठिनाई में है। पिछली बार महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री दिल्ली आये थे और हम दोनों वित्त मंत्री से मिले थे। आशा है कि तीसरी मिल के लिए भी कोई हल निकल आयेगा।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I seek your protection. The hon. Minister has said about the Board of Directors but under the Act the decision of the Central Government regarding the direction, regarding policy matters will be final.

Mr. Speaker : We cannot discuss it at this moment; The hon. Member may raise it in different manner.

Dr. Ram Manohar Lohia : Working of nearly one third of the textile mills is not satisfactory and one of the factors responsible is that there is a large number of surplus workers there. Keeping in view the fact that this problem can not be solved unless these surplus wokers are absorbed in some new industries, what action Government have proposed to solve this basic problem. Loans given by the

bank is misused even if Government takes over these mills. Have the Governmen proposed to take serious action against the big Government officers who misuse the public money?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, हम इस पर कई बार विचार कर चुके हैं और भारतीय मजदूर सम्मेलन के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह निर्णय किया गया है कि बिना किसी को हानि पहुंचाए कपड़ा मिलों का युक्तीकरण किया जायेगा और फालतू कर्मचारियों को मिलों का आधुनिकीकरण तथा विस्तार करके काम दिया जायेगा।

मैं यह नही मानता हूं कि एक तिहाई मिलों का कार्य ठीक नहीं चल रहा है। देश में लगभग 600 900 मिले हैं जिनमें से 19 मिलें वास्तव में कठिनाई में हैं। हमने उन्हें ऋण देने के लिये कई कदम उठाये हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी अनुमति से महाराष्ट सरकार के अधिकृत नियंत्रक अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत इन मिलों को अपने हाथ में ले लेगा। किन्तु हम इन छोटी बातों के लिए निदेश देना उचित नही समझते हैं जबकि हमारे पास दूसरे उपाय हैं।

सरकारी अधिकारियों को भी उसी प्रकार दंड दिया जाता है जिस प्रकार जन साधारण को। अधिकृत नियंत्रण के अन्तर्गत हमने इन मिलों में घाटा नही उठाया बल्कि मुनाफा कमाया।

Dr. Ram Manohar Lohia : Will the hon. Minister place the papers regarding the action to be taken against the big Government officer running the mills on the the Table of the House?

श्री मनुभाई शाह : सब के लिए एक समान कानून है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Law of India is a separate thing. Mr. Speaker my question is quite different.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या किसी को सजा दी गई है।

श्री मनुभाई शाह : सरकारी अधिकारी पर भी वही कानून लागू होता है जो कि भारत के एक नागरिक पर होता है। इसके अतिरिक्त सरकारी अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नही है।

Shri Kishen Pattnayak : Is it a fact that Government took over the management of Dhan Raj Mill for 11 months and after an improvement was made in its affairs it was again handed over to the owner? I understand that the affairs of the mill are again being mismanaged. May I know what steps Government propose to take in these matters?

Shri Manubhai Shah : In most cases the condition of the mills was improved after the Government had taken over the management. However these have to be handed over to the owners. The Governmen tnow propose to introduce a bill so that the controlling interests of such mills may be brought over by the Government themselves.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सत्र है कि सरकार द्वारा सभा में तथा सभा से बाहर आश्वासन दिये जाने के बाद भी स्टेट बैंक ने कुछ मिलों को ऋण नहीं दिया। महाराष्ट्र के अलावा कानपुर में 60 लाख रुपये देने का वचन दिया गया था किन्तु केवल 10 लाख रुपये दिये गये। क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि यह रकम दी जाये।

श्री मनुभाई शाह : यदि ऐसा है तो यह बहुत बुरी बात है। मैं इस सम्बन्ध में व्यक्तिरूप से जांच करूंगा। कल कानपुर के अधिकृत नियंत्रक से मेरी बातचीत हुई थी किन्तु उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था।

श्री बड़े : क्या यह सच है केन्द्रीय सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऋण मंजूर किये जाने के बावजूद ऋण नहीं दिया गया जब कि सरकार द्वारा गारंटी दी जाने के बाद बैंक कोई जांच पड़ताल नहीं करता है। गारंटी दी जाने के बावजूद स्टट बकने ऋण क्यों नहीं दिया गया? क्या इसके पीछे पक्षपात अथवा कोई राजनैतिक कारण हैं?

श्री मनुभाई शाह : इसके पीछ कोई राजनतिक कारण नहीं है। चुंकि बैंक एक वित्तीय संस्था है इसलिय बोर्ड के निदेशक गारंटी के अलावा अन्य बात भी देखते हैं। वे बक की आस्तियां देखते हैं ताकि यदि उन्हे न्यायालय की शरण लेनी पड़े तो व नीलाम द्वारा अपनी धनराशि वसूल कर सकें। शत्र का भुगतान गारंटी देने वाल को करना पड़ता है। अतः ऋण देने से पहल बैंक सभी बातों की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की आवश्यकताएं

***1129. श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने इस्पात सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं के लिये वर्ष 1960 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटड को क्रयादेश दिया था जो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा वर्ष 1961 में स्वीकार किया गया था ;

(ख) क्या बाद में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने क्रयादेशों के अनुसार माल देने में अपनी असमर्थता प्रकट की;

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने क्रयादेशों के अनुसार माल देने के लिए अनिश्चित समय मांगा और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को माल का आयात करने के लिये बाध्य होना पड़ा ; और

(घ) उस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और इस सम्बन्ध में आधुनिक स्थिति क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने आर्डर का कुछ माल सप्लाई करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी जबकि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी आर्डर किये हुए माल में से कुछ भी सप्लाई नहीं कर सकती थी।

(ग) क्रयादेश में कई प्रकार का माल शामिल था और कुछ का प्रकार का माल बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिये था; अतः हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड माल देने की कोई निश्चित तारीखें नहीं दे सके।

(घ) आयात के लिये 25.39 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी। जनवरी 1963 में आयात का काम पूरा हो गया।

बिजली से चलने वाले मोटर का निर्माण

***1139. श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादन को बढ़ाने के हेतु किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये देश में ही बिजली से चलने वाले मोटर और पम्पिग-सैट का निर्माण बढ़ाने के कुछ तरीके निकाले है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोई गोष्ठियां भी की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन की मोटी रूप-रेखा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) किसानों की आवश्यकता पूरी कराने के लिये सरकार ने पम्पिंग सेटों का निर्माण और पूर्ति करने को उच्च प्राथमिकता दी है और स्थिति की लगातार पुनरीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) : सरकार को कोई भी जानकारी नहीं है।

कपड़ा बनाने की मशीनों का आयात

***1140. श्री रामसेवक यादव :**
श्री बागड़ी :
श्री काजरोलकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा बनाने की मशीनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने कपड़ा उद्योग की मांग को पूरा करने के लिये देश में ही प्रबन्ध कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : हमारे स्वदेशी मशीन उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कपड़ा मिल की कुछ ऐसी अन्य मशीनों का आयात सीमित अथवा प्रतिबन्धित कर दिया गया है जिनकी निर्माण क्षमता का देश में विकास हो गया है।

रेल के माल डिब्बो का निर्यात

***1141. श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कुछ देशों को रेल के माल डिब्बों का निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1966 में किन किन देशों को रेल के माल डिब्बों का निर्यात किया जायेगा ; और

(ग) निर्यात की शर्तें क्या होंगी और इस से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1966 में 980 माल डिब्बों का निर्यात करने के लिये हाल में दो संविदा किये गये हैं।

(ख) 480 माल डिब्बे पूर्वी अफ्रीका और 500 माल डिब्बे हंगरी को निर्यात किये जायेंगे।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

रेल के माल डिब्बों का निर्यात करने के लिये हाल में किये गये दो संविदाओं का विवरण इस प्रकार है :—

(1) एक भारतीय फर्म ने पूर्वी अफ्रीकी रेलवे तथा बन्दरगाहों को 73.22 लाख रु० मूल्य के 480 माल डिब्बों का सम्भरण करने का एक आर्डर प्राप्त किया है। माल डिब्बों का

लदान मार्च, 1966 से शुरू होना था और 1966 के अन्त तक समाप्त होना है। चूंकि भुगतान विश्व बैंक द्वारा किया जायगा, अतः भुगतान का एक भाग (63.59 लाख रुपये) भारतीय रुपयों में प्राप्त होगा। 9.63 लाख रू० की शेष राशि विदेशी संघटकों का मूल्य चुकाने के लिये होगी जिन के आयात की अनुमति निर्यात के माल डिब्बों में लगाने के लिये नकद दो और माल उठाओं सिद्धांत के अन्तर्गत दी जायेगी।

(2) राज्य व्यापार निगम और निकेक (हंगेरियन व्यापार संगठन) के बीच 500 माल डिब्बों के सम्भरण के लिये 21.3.1966 को एक संविदा पर हस्ताक्षर हुए। इनका लदान 1966 में होगा। आदि रूप और निर्यात की शर्तों के अनुमोदन के पश्चात् राज्य व्यापार निगम को 1500 माल डिब्बों के लिये एक और आर्डर दिये जाने की भी संविदा में व्यवस्था है। इन माल डिब्बों का सम्भरण तीन वर्षों में किये जाने की आशा है। संविदा का मूल्य 500 माल डिब्बों के लिये लगभग 1.62 करोड़ रु० और कुल 2000 माल डिब्बों, जिसमें अन्त में संविदा किये गये 500 माल डिब्बे भी शामिल हैं, की कुल राशि लगभग 6.5 करोड़ रु० है। चूंकि निर्यात रुपया क्षेत्र के देश को होगा, अतः भुगतान भारतीय रुपयों में लिया जायगा।

भारत और चेकोस्लोवाकिया का आर्थिक आयोग

***1142. श्री वासुदेवन नायर :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चकोस्लोवाकिया के बीच अन्तंसरकारी आर्थिक आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग का कार्य-क्षेत्र और कृत्य क्या होंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) जी, हां।

(ख) समिति का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की विकासपरक आवश्यकताओं का संयुक्त अध्ययन करना, सहयोग की सम्भावनाओं, विशेषतः उत्पादन के क्षेत्र में और दोनों देशों के बीच हुए विभिन्न आर्थिक करारों के कारगर क्रियान्वयन के उपा ों का पता लगाना है समिति अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिये दोनों देशों की आयोजन संबंधी कार्यवाहियों का अध्ययन तथा उपयोग भी करेगी। समिति के प्रस्ताव के सार की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6049/66)**

मेसर्स जैसप एण्ड कम्पनी, लिमिटेड

***1143. डा० रानेन सेन :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **उद्योग** मंत्री 26 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जैसप एन्ड कम्पनी लिमिटेड के शेष अंशों को खरीदने में क्या कठिनाइयां पेश आ रही है ;

(ख) क्या अंशधारियों ने अपने अंश बेचने का कोई प्रस्ताव किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : कुछ अंशधारियों (शेयर होल्डरों) ने सरकार के हाथ अपने अपने हिस्से बेचने का प्रस्ताव किया है। इन प्रस्तावों पर पंच फैसला हो जाने के बाद निणय किया जायेगा।

आदर्श तालिका (माडल रोस्टर)

***1144. श्री बालकृष्णन :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अस्थायी और स्थायी पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में आदर्श तालिकाएं (माडल रोस्टर) रखी जातीय हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो आरक्षित पदों पर नियुक्तियां करने के लिये क्या अन्य व्यवस्था की जाती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख): स्थायी नियुक्तियों और उन अस्थायी नियक्तियों के लिये एक सामान्य तालिका होती है जिनके स्थायी होने या अनिश्चित काल तक चलते रहने की संभावना रहती है। बिलकुल अस्थायी ऐसी नियुक्तियों के लिये एक अलग तालिका रखी जाती है जिनके स्थायी होने या अनिश्चित काल तक चलते रहने की कोई संभावना नहीं रहती।

नेवेली तापीय विद्युत् संयंत्र

***1145. श्री कन्डप्पन :**
श्री शिवशंकरन :
श्री मुत्तु गोंडर :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली तापीय विद्युत् संयंत्र में बिजली का कम उत्पादन होने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा न हो इस प्रयोजन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कृषिजन्य पदार्थों के निर्यात में कमी

***1146. श्री फिरोदिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे की वर्तमान स्थिति के परिणामस्वरूप वर्ष 1965-66 में कृषि-जन्य वस्तुओं के निर्यात में होने वाली संभावित कमी के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) इस प्रकार होने वाली कमी अन्य वस्तुओं के निर्यात से कहां तक पूरी हो जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हाल ही में लगाये गये अस्थायी अनुमान के अनुसार कृषि-जन्य वस्तुओं के निर्यात में कमी होने कारण 1965 में 70 से 80 करोड़ रु० की हानि होने का अनुमान है।

(ख) कृषि-जन्य वस्तुओं के निर्यात में हुई लगभग समस्त कमी औद्योगिक उत्पादों, निर्मित वस्तुओं, खनिजों तथा अन्य वस्तुओं के अधिक निर्यात द्वारा पूरी कर ली गई थी। 1965 के कैलेण्डर वर्ष में भारत से हुए निर्यातों के कुल मूल्य का अनुमान 807.5 करोड़ रु० लगाया गया था जोकि 1964 के 809.8 करोड़ रु० की तुलना में नाम मात्र अर्थात् 2.3 करोड़ रु० कम है।

उड़ीसा से लोह अयस्क का निर्यात

*1147. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान तथा धातु व्यापार निगम को निर्यात के लिये उड़ीसा के संभरणकर्त्ताओं से लोह अयस्क नहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या इसका कारण यह बताया जाता है कि खान तथा धातु व्यापार निगम लोह अयस्क के उत्पादकों तथा संभरणकर्त्ताओं को अलाभप्रद मूल्य देता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : 1–1–66 से मूल्य बढ़ा देने का प्रस्ताव कर दिया गया है और उस खान मालिकों ने सामान्य रूप से स्वीकार भी कर लिया है यद्यपि उनमें से कुछ अभी मूल्य में और भी वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेलवे सम्पत्ति की हानि

*1148. **श्री दी० चं० शर्मा** :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के कुछ स्थानों में आग लगा तथा पटरी को बिगाड़ने के लिये किये गये प्रयत्नों के बारे में हाल में सूचना मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्य पुलिस का है। फिर भी, दक्षिण-पूर्व रेलवे सुरक्षा दल की हथियारबन्द और बिना हथियारबन्द दोनों शाखाओं की सेवायें राज्य पुलिस को अर्पित करके रेलवे ने उसकी पूरी सहायता की। रेलवे सुरक्षा दल के विशेष आपातिक दल की एक कम्पनी की सेवाएं भी राज्य पुलिस को सौंप दी गयी थी।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

*1149. **डा० चंद्रभान सिंह** :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री रामेश्वरानन्द :

श्री बृजराज सिंह :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या उद्योग मंत्री 4 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 360 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ फर्मों ने भारत में टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के हेतु लाइसेंस दिये जाने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने सरकार को यह आश्वासन दिया है कि टेलिविजन सेटों के निर्माण के लिये केवल आधुनिकतम (सोफिस्टीकेटेड) उपकरणों का ही आयात किया जायेगा तथा शेष पुर्जों का निर्माण पूर्णत: देशी तकनीकी जानकारी पर आधारित होगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : देश में टलीवीजन सेटों का निर्माण करने के लिये औपचारिक निर्णय कर लेने के बाद ही पार्टियों से इनका ब्योरा मांगा जायेगा ।

स्कूटरों का निर्माण

*1150. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **उद्योग** मंत्री 25 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूटरों के निर्माण के लिये लाइसेंस देने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या किसी विदेशी सहयोग की स्वीकृति दी गई है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) अब तक कितने लाइसेंस दिये गये है ; और

(घ) क्या बनाये जाने वाले स्कूटर का कोई मूल्य निश्चित किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवया) : (क) अभी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Export of Processed Food

*1151. **Shri D. N. Tiwary** : **Shri Bhagwat Jha Azad** :
Shri P. C. Borooah : **Shri Subodh Hansda** :
Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. C. Samanta** :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Seminar held in Bangalore in the second week of December, 1965 which was sponsored jointly by the Indian Institute of Foreign Trade, and the Processed Foods Promotion Council, it was decided to export processed food worth rupees twenty crores annually during the Fourth Five Year Plan period;

(b) if so, the target actually fixed;

(c) whether the members of the Planning Commission had attended the Seminar in their official capacity; and

(d) the quantity of processed food exported during the last two years?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir. The seminar recommended an export target of Rs. 22·31 crores for all processed foods by the end of Fourth Five Year Plan.

(b) The decision on the recommended target has not yet been taken.

(c) Dr. V. K. R. V. Rao, Member of the Planning Commission attended the plenary session of the seminar in his capacity as Chairman of the Indian Institute of Foreign Trade.

(d) A statement showing the export of processed foods during 1963-64 and 1964-65 is laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. L.T. 6050/66]**

रेलवे लोको शैड

***1152. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी रेलवे लोको शैडों से कोयले के अपने भण्डारों में बहुत कमी करने का निदेश दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। रेलें मई से अक्टूबर तक के मंदी के महीनों में अपनी आवश्यकता के लिये कोयले का स्टाक जमा करती हैं ताकि व्यस्त मौसम में रेलवे पर यातायात का बोझ कम हो और मौसम सम्बन्धी सामान्य माल यातायात के लिये अधिक क्षमता उपलब्ध हो सके। तदनुसार रेलें नवम्बर से मार्च तक के व्यस्त मौसम में अपनी मांग कम कर देती हैं और इस प्रकार उपलब्ध परिवहन क्षमता को समंजित करती हैं। यह एक सामान्य परिपाटी है और रेल परिवहन का उपयोग करने वालों और रेल प्रशासनों के हित में है। फिर भी, 1965 के अन्त तक कुछ आवश्यकताएं पूरी करने के लिये अस्थायी तौर पर रेलों को कोयले का अनिवार्यतः अधिक स्टाक रखना पड़ा। लेकिन उसके बाद जनवरी, 1966 के अन्त तक रेल प्रशासनों से कहा गया कि वे कोयले का स्टाक घटा कर सामान्य स्तर पर कर दें।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था से ऋण

***1153. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे ने भारत में डीजल रेल के इंजन बनाने के हेतु उपकरणों के आयात के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था से बड़ी राशि का ऋण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की राशि कितनी है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अमरीकी संस्था की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : अभी इस मामले पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी एजेंसी से प्रारम्भिक बातचीत चल रही है।

एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग

***1154. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री मुथिया :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री धर्मलिंगम :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग का अधिवेशन हाल में नई दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये किन किन मुख्य प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा उन पर क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6051/66 ।]**

बिस्कुटों के दाम

***1155. श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादकों ने बिस्कुटों के दाम हाल में बढ़ा दिये है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या देश में बिस्कुटों के दाम स्थिर रखने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : बिस्कुटों के मूल्यों में पिछले वर्ष कच्चे माल तथा पैक करने के सामान में मूल्य वृद्धि हो जाने के कारण कुछ बढ़ोतरी हुई है ।

(ग) बिस्कुटों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर निगरानी रखी जा रही है । बिस्कुट निर्माता संघ को बिस्कुटों के मूल्य उपयुक्त स्तर पर रखने के लिये सलाह दी गई है ।

पाकिस्तान जाने वाले परन्तु भारत में रोके गये माल का लौटाया जाना

***1156. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बडकटकी :
श्री रामपुरे :
श्री फिरोडिया :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले परन्तु भारत में रोके गये माल को माल भेजने वाले देशों को लौटाने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय एक-तरफा किया गया है ; और

(ग) क्या पाकिस्तान ने भी ऐसा ही करने का कोई संकेत दिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनभाई शाह) : (क) जी, हां । यह माल तीसरे देशों के हक्क में यह जांच करलेने के बाद छोडा जा रहा है कि उसकी मिल्कियत तीसरे देशों की ही है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पाकिस्तान ने अब तक ऐसा ही करने का कोई संकेत नहीं दिया है ।

केरल में नारियल जटा सहकारी विपणन समितियां

3686. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एरणाकुलम में केन्द्रीय नारियल जटा सहकारी विपणन समितियों के प्रधानों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या क्या मुख्य निर्णय किये गये;

(ग) क्या सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी गयी थी ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य उपमंत्री (श्री शफी कुरशी) : (क) कोचीन में केन्द्रीय कायर विपणन सहकारी समितियों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ था।

(ख) सम्मेलन द्वारा निम्न सिफारिशें किये जाने की सूचना मिली है :—

(1) केन्द्रीय कायर विपणन समितियों की अंश पूंजी में राज्य भागीदार बने ;

(2) सहकारी क्षेत्र के कायर श्रमिकों के लाभ के लिये 5 पैसे प्रति रु० का उत्पादन बोनस लागू किया जाय;

(3) केन्द्रीय कायर विपणन समितियों के विपणन कार्यों के समन्वय के लिये एक संयुक्त समिति गठित की जाय; तथा

(4) मंदी की अवधियों में कायर की प्राथमिक समितियों के कायर सूत के भण्डारण के लिये केन्द्रीय कायर विपणन समतियों को 25 लाख रु० का ऋण दिया जाय।

(ग) केन्द्रीय समितियों को लगभग 25 लाख रु० के और अधिक कार्यकारी पूंजी ऋण जारी करने के लिये सम्मेलन ने केरल राज्य सरकार से कहा है।

(घ) राज्य में केन्द्रीय कायर विपणन समितियों को केरल राज्य सरकार द्वारा कुल 23.75 लाख रु० की धन राशि दी गई थी।

हथकरघा उद्योग

3687. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री सें० वें० रामस्वामी :
श्री मलाइछामी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हथकरघा उद्योग को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार ने हथकरघा कपड़ा विपणन समिति, बम्बई के प्रधान के इस आशय के वक्तव्य पर ध्यान दिया है कि भारत में 70 लाख बुनकर आंशिक रूप में अथवा पूर्णतः बरोजगार है ;

(ग) क्या उन्होंने यह अनुरोध किया है कि उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कम से से कम तीन महीने तक 10 प्रतिशत छूट दी जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरशी) : (क) मद्रास राज्य में प्राथमिक बुनकर समितियों के पास भारी मात्रा में हथकरघा कपड़ा इकट्ठा हो जाने की सूचना सरकार को दी गई

थी और इन समितियों को राहत देन के लिये तत्काल उपाय किए गए थे। इन में ये भी शामिल थ :—

(1) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने हथकरघा कपड़े के विपणन के लिये मद्रास एपेक्स सोसाइटी को अतिरिक्त ऋण दिया,

(2) प्राथमिक समितियों से अधिक माल लेने के लिये मद्रास सरकार ने मद्रास एपेक्स सोसाइटी को 50 लाख रु० का ऋण दिया, और

(3) सहकारी समितियों द्वारा हथकरघा कपड़े की थोक बिक्री पर मद्रास सरकार ने 4 महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त छूट दी।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्षेत्रीय दियासलाई निर्माता सहकारी समिति

3688. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एक क्षेत्रीय दियासलाई निर्माता सहकारी समिति संगठित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का मुख्य उदेश्य क्या है ;

(ग) इस समिति की पूंजी कितनी होगी ; और

(घ) इसकी सदस्यता का आधार क्या होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां। केरल सरकार के विचाराधीन एक प्रस्ताव है जिसके अनुसार वह राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में एक क्षेत्रीय दियासलाई निर्माण सहकारी समिति का संगठन करना चाहती है इसमें त्रिवेन्द्रम, क्विलान तथा एलेप्पी के जिलें शामिल होंगे और उसका मुख्य कार्यालय क्विलान होगा।

(ख) प्रस्तावित समिति बनाने का प्रमुख उदेश्य एक मिला जुला कारखाना स्थापित किया जाना है जिसमें डुबाने तथा लकड़ी के टुकड़ों और तख्तों का बनाना शामिल है।

(ग) समिति की 10,500 रुपये की कुल अंश पूंजी सदस्यों से इकट्ठी की जायेगी ; राज्य सरकार औद्योगिक सहकारी समितियों को लघु उद्योग सहायता योजना के अधीन कार्यवाहक पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिये 1,05,000 रु० ऋण देगी।

(घ) इस समिति के सदस्य वे सभी व्यक्ति और सहकारी समितियां हो सकती है जो समिति के क्षेत्र के अन्तर्गत लकड़ी के टुकडों और तख्तों या डुबाने के कारखानों के मालिक है।

केरल में दियासलाई के कारखाने

3689. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में दियासलाई बनाने के कितने कारखाने है ;

(ख) क्या यह सच है कि वैनजीनाड मैचिस एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही एकमात्र यंत्रीकृत कारखाना है ;

(ग) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(घ) इस कारखाने को अधिकतम क्षमता पर चलाने में क्या कठिनाई है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 134 ।

(ख) मैसर्स वन्जीनाद मैचेज़ एण्ड इंडस्ट्रीज उस किस्म का मशीन चालित कारखाना नहीं है जैसा कि मैसर्स विमको ने स्थापित किया है। यह मद्रास के कोविल पट्टी, सट्टूर तथा शिवकाशी जिलों के कारखानों के समान ही एक अर्ध मशीन चालित कारखाना है।

(ग) 36,000 लाख तिलियां प्रति वर्ष ।

(घ) मैसर्स वन्जीनाद मैचेज एण्ड एण्डस्ट्रीज लि० ने सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी है ।

(ङ) फर्म द्वारा अपनी कठिनाइयां बताई जाने पर सरकार उसे यथा सम्भव सभी प्रकार की सहायता देने पर विचार करेगी ।

रतनगढ़-दिल्ली रेलवे लाइन

3690. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रतनगढ़ (चुरू जिला) में यातायात रेलवे लाइन से गुजर सके, क्या इस उद्देश्य से रतनगढ़ दिल्ली रेलवे लाइन पर नीचे का पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

केरल में बिजली की कमी

3691. **श्री प० कुन्हन** :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65 और 1965–66 में बिजली की अत्याधिक कमी होने के परिणामस्वरूप केरल में अलवाय स्थित फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवार जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में उत्पादन में कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) उक्त परियोजनाओं में उत्पादन कार्य को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : सम्बन्धित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

Cycle Stand at Delhi-Kishanganj Station

3692. **Shri Jagdev Singh Siddhanti** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have been receiving representations for putting up a cycle stand at Delhi-Kishanganj Railway Station for the last three years;

(b) if so, the action taken thereon so far; and

(c) When the cycle stand is expected to be put up at the said railway station?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) & (c). There has been difficulty in locating the cycle stand at Delhi-Kishangaj Railway Station due to a proper site not being available. The matter is being examined by the Railway Administration in consultation with Delhi Municipal Corporation.

उत्तर बिहार में चीनी की मिलें

3693. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेलवे द्वारा यातायात के लिये जो मार्ग अपनाये जाते हैं (रूटिंग आफ ट्रैफिक) उस के कारण उत्तर बिहार की चीनी मिलों पर, जो अखंड रेक में कोयला लेने में असमर्थ है, कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) ऐसी बात नहीं है। उत्तर बिहार की चीनी मिलों के लिये कोयला ब्लाक रेकों में गन्तव्य स्थान तक नहीं, बल्कि केवल गड़हरा और मडुवाडीह के यानान्तरण स्थलों तक भेजा जाता है जहां से उन्हें मीटर लाइन के मालडिब्बों में फुटकर रूप से आगे भेजा जाता है।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

तीन टायर वालें शयनयान

3694. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड विभिन्न किस्म के तीन टायर वाले शयनयानों के लिये योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न किस्म के ये प्रस्तावित यान किस प्रकार के होंगे; और

(ग) वर्तमान शयनयानों में क्या सुधार किये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) : जी, हां। बड़ी लाइन पर दो तरह के डिब्बों की व्यवस्था करने का विचार है : (i) एक पूर्ण शयनयान जिसमें पूरे डिब्बे में समान संख्या में यात्रियों के लिये बैठने/सोने की जगह रहेगी, (ii) बैठने एवं सोने की व्यवस्था वाला डिब्बा, जिसमें आधे भाग में केवल बैठने और बाकी आधे भाग में तीन टायर वाली व्यवस्था करके बैठने तथा सोने की व्यवस्था रहेगी। मीटर लाइन पर भी बैठने-एवं-सोने की व्यवस्था युक्त तीन टायर वाले डिब्बे बनाये गये हैं, जिनमें डिब्बे के आधे भाग में तीन टायर वाली व्यवस्था है और सोने के लिये शायिकाएं पूरी लम्बाई में रखी गयी हैं। इनके अलावा मौजूदा शयनयान भी चालू रहेंगे।

(ग) निम्नलिखित सुधार किये जा रहे हैं :

(i) पूर्ण शायिकाओं वाले डिब्बों को विभाजित करके उनमें महिलाओं के लिए अलग कक्षा ।

(ii) मीटर लाइन के बैठने-एवं-सोने की व्यवस्था वाले डिब्बों में शायिकाओं की लम्बाई बढ़ाकर 1930 एम० एम० (6′ 4″) कर दी गयी है, जब कि पूर्ण शायिकाओं वाले मौजूदा डिब्बों में इनकी लम्बाई 1524 एम० एम० (5′) है।

रेलगाड़ी के नीचे आ जाने से कुचली गई औरतें

3695. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8/9 मार्च, 1966 की रात को दिल्ली में चलती हुई रेलगाड़ी के नीचे आ जाने से दो औरतों की मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) : 8-3-1966 को शाम के लगभग 4 बजे लाहोरी गेट के पानी पम्प के निकट रेलवे लाइन से कोयला इकट्ठा करती हुई एक महिला एक शंटिग इंजन के नीचे आ गयी और कुचल कर मर गयी। 9-3-1966 को दिन में लगभग 10 बज कर 20 मिनट पर एक अन्य महिला यमुना पुल के निकट लाइन को अनधिकृत रूप से पार करते समय नं० 1 डी एस यू सवारी गाड़ी के नीचे आ गयी और मर गयी।

प्रीमियर टायर्स लिमिटेड, कलमस्सेरी

3696. **श्री प० कुन्हन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रीमियर टायर्स लिमिटेड, कलमस्सेरी, केरल ने वर्ष 1963–64, 1964–65 और 1965-66 में कितनी प्रगति की ;

(ख) क्या उक्त अवधि में उत्पादन में कोई कमी हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) प्रीमियर टायर्स लिमिटेड, कलमस्सेरी में वर्षवार उत्पादन निम्न प्रकार हुआ :—

वर्ष	उत्पादन (संख्या) में	
	मोटर गाड़ियों के टायर	मोटर गाड़ियों के ट्यूब
1963–64	72,722	90,885
1964–65	80,064	85,226
1965–66	58,142	55,371

(ख) 1965–66 में पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन में कमी हुई है।

(ग) यह मुख्य रूप से बिजली में कटौती, कच्चे माल की कमी और कारखाने में मजदूरों के झगड़े के कारण हुई है।

देश में बने तथा आयात किये गये ट्रैक्टरों के मूल्य

3697. **श्री मौर्य :**

श्री मधु लिमये :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आयातित ट्रैक्टरों के मूल्य तथा देश में निर्मित ट्रैक्टरों के मूल्य में बड़ा अन्तर है ;

(ख) परिमाण और मूल्य की दृष्टि से कितने प्रतिशत आयातित तथा देश में निर्मित ट्रैक्टरों के पुर्जे और भाग क्षतिग्रस्त हालत में होते हैं ;

(ग) क्या सरकार ने प्रशुल्क आयोग द्वारा देश में निर्मित ट्रैक्टरों की लागत और मूल्य की जांच करवाने की व्यवहारिकता का विचार किया है ;

(घ) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(ङ) भारत में बने ट्रैक्टरों के मूल्य कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) :(क) जी, हां। देशी ट्रैक्टर आयात किये गये ट्रैक्टरों से महंगे है ।

(ख) इस समय जो ट्रैक्टर बनाये जाते हैं उनमें लागत बीमा भाडा सहित मूल्य के रूप में देशी हिस्से का औसत 50 से 55 प्रतिशत तक होता है।

(ग) से (ङ) : देश में खेती के ट्रैक्टर बनाने वाले कारखानों की उत्पादन लागत का इस समय सरकारी लागत लेखा अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा है ।

रेलवे में पदोन्नति वाले पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग

3698. **श्री मौर्य :**

श्री मधु लिमये :

श्री किशन पटनायक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 27 अप्रैल, 1959 के पत्र संख्या इ (एस० सी० टी०) 57 सी० एम० 1/20 तथा दिनांक 24 दिसम्बर, 1963 के पत्र संख्या ई (एस० सी० टी०) 62 सी० एम० 15/10 के अनुसार रेलव के विभिन्न सेक्शनों, कार्यालयों तथा वर्कशापों में विभागीय प्रतियोगि परीक्षाओं अथवा अन्य तरीकों से पदोन्नति वाले पदों पर की गई नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग किस अनुपाद में हैं ; और

(ख) यदि निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार नियुक्तियां नहीं की गई हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केलों का निर्यात

3699. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962-63 से 1965-66 तक केरल से कुल कितनी मात्रा में केलो का निर्यात किया गया ।

(ख) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(ग) केलों को खरीदने तथा उनका निर्यात करने का कार्य किस अधिकरण को दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : केलों के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े राज्यानुसार नहीं रखे जाते और इसलिये केरल से हुए केलों के निर्यात तथा उससे उपार्जित की गई विदेशी मुद्रा के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) केरल में केले खरीदने तथा उनके निर्यात का कार्य किसी विशेष अभिकरण को नहीं सौंपा गया है।

भारत-अफ़गानिस्तान व्यापार करार

3700. श्री राम हरख यादव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-अफगानिस्तान व्यापार करार में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परिवर्तनों का आयत तथा निर्यात की जानेवाली किन-किन वस्तुओं पर प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : नई दिल्ली में 21 जनवरी, 1964 को हस्ताक्षरित किया गया भारत-अफगानिस्तान व्यापार करार पहले 31 जनवरी 1965 तक वैध था। इसे और एक वर्ष के लिये 31 जनवरी, 1966 तक थोड़े संशोधन के साथ बढ़ा दिया गया था। यह संशोधन अफगानिस्तान से होने वाले आयात के मूल्य लगाने की प्रणाली के बारे में था। जनवरी 1964 में जो दरें स्वीकार की गई थीं उनका अमल सन्तोषजनक नहीं पाया गया था इस लिय उनके स्थान पर सीमा-शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्य रखे गये थे।

(ग) मूल्य लगाने की प्रणाली में परिवर्तन हो जाने का अफगानिस्तान से आयात की जाने वाली तथा अफगानिस्तान को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

भोजन बनाने तथा भोजन करने का डिब्बा (डाइनिंग-कम-किचन कार)

3701. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में भारतीय रेलों के दिल्ली-मद्रास तथा कालका-हावड़ा पर भोजन बनाने तथा भोजन करने के दो नये सेट चालू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये डिब्बे उपयोग में लाये जाने के लिये तैयार हैं और उन्हें कब से प्रयोग में लाने की सम्भावना है ; और

(ग) इन यानों की आनुमानित लागत क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नये भोजन या लगभग तीन महीने में चालू हो जायेंगे।

(ग) 3 लाख 70 हज़ार रुपये प्रति यान।

Railway Station at Ramnia

3702. **Shri Tan Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a request for a railway Station at Ramnia on Samdari-Bhildi section in Jodhpur Division of the Northern Railway from the residents of that place has been received; and

(b) if so, Government's reaction there to?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Yes.

(b) The porposal is under examination.

Construction work at Balotra Junction

3703. **Shri Tan Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the construction work at Balotra Junction in Jodhpur Division of the Northern Railway has not been taken up sofar although there has been a provision for the same for the last three years continuously;

(b) the difficulties in regard thereto; and

(c) when the same is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) Plans and estimates for the work of certain Railway users amenities at Balotra have already been approved in May 1965. The construction, however, could not be started for want of a suitable contractor in the context of the recent conflict with Pakistan.

(c) The work is likely to be completed within 9 months after the contractor is appointed. Tenders are again being invited.

केरल में औद्योगिक विस्तार परियोजना

3704. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक औद्योगिक विस्तार परियोजना के लिये केरल राज्य में अलेप्पी जिले में अरूर नामक स्थान में भूमि अर्जित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव है और कितने परिवार वहां से बेदखल किये जायेंगे और

(ग) यह परियोजना कब आरम्भ हो जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

निराकारपुर में हावड़ा-मद्रास ऐक्सप्रेस गाड़ी का रुकना (हाल्ट)

3705. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे पर निराकारपुर में हावड़ा-मद्रास ऐक्सप्रेस गाड़ी के रुकने (हाल्ट) की व्यवस्था करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि लम्बे सफर वाला यातायात काफी न होने के कारण हवड़ा मद्रास एक्सप्रेस गाड़ी को निराकारपुर स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था नहीं की जा सकी, फिर भी निराकारपुर स्टेशन पर ठहरने वाली अन्य गाड़ियों, अर्थात् 48 अप पुरी-हैदराबाद पसेंजर और 226 डाउन वाल्टेर–खुर्दा रोड पैसेंजर के समय में समंजन कर दिया गया है, ताकि निराकारपर से खुर्दा रोड जाने आने वाले यात्रियों की जरूरतें ठीक तरह से पूरी हो सकें।]

Accommodation in trains

3706. Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansada :
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The percentage of rise in the number of passengers who travelled by trains in 1965 over 1960 and also the percentage of this rise over the figures of 1946-47;

(b) The reasons for not providing accommodation in trains for the increased number of passengers specially in Third class where it is difficult to travel sitting or standing; and

(c) The difficulties faced by Government in increasing the number of trains in accordance with the increase in the number of passengers and the efforts being made to remove these difficulties?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Statistics on railways are maintained by financial years. The number of passengers originating on Indian Government Railways during 1964-65, the latest year for which complete information is available, shows an increase of 25 per cent over the traffic carried in 1960-61. The figures for 1964-65 are not comparable with those for 1946-47 due to the effects of partition in 1947 and the integration of the erstwhile Indian State Railways in 1950. A comparison with the figures for 1950-51 reveals an increase of 55·1 per cent.

(b) & (c). The extent of additional stock and passenger train services provided in relation to the increase in passenger traffic may be broadly judged from the following comparative data:—

	Percentage increase in 1964-65 over 1950-51
Number of passengers oiginating (III Class)	54·9%
Number of seats (III Class)	67·7%
Number of passenger-carrying vehicles	64·5%
Passenger kilometres (III Class)	42·0%
Train kilometres	36·8%
Vehicle kilometres	56·4%

It will be seen from the figures given above that the number of seats provided and vehicle kilometres have increased in a higher proportion than the number of originating passengers. Additional coaches have been provided on passenger trains as far as possible and more and more passenger trains are being added in succesive time tables, consistent with the line capacity and availability of power, stock, etc.

लोहना रोड-झंझारपुर रेलवे लाइन

3707. **श्री बागड़ी :** **श्री उटिया :**
श्री किशन पटनायक : **श्री रामसेवक यादव :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 515 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने झंझारपुर और लोहना रोड स्टेशनों के बीच के पुल की लम्बाई तथा क्षमता को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है, जो केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के विचाराधीन था ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : झंझारपुर और लोहना रोड स्टेशनों के बीच कमला बलान नदी पर रेलवे पुल नं० 88 के विस्तार को अन्तिम रूप देने के लिये पानी की निकासी के प्रश्न पर केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग का निर्णय मिल गया है। तदनुसार पुल को फिर से बनाया जा रहा है जिसमें 16 × 40 फुट के स्पैन वाला जलमार्ग होगा।

लोहे से बनी मशीनों का निर्माण

3708. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप तथा निर्यात बढ़ाने के हेतु लोहे से बनी विभिन्न प्रकार की मशीनों के संतुलित निर्माण के लिये कोई उपयुक्त उत्पादन योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : इस प्रश्न का संबंध सम्भावतः हार्डवेयर मशीनों के उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनों के नियोजित उत्पादन से है। सभी किस्म की हार्ड-वेयर की वस्तुएं तथा मशीनें बनाने के लिये आवश्यक वस्तु मशीनों औजार होते है। सरकार ने विभिन्न प्रकार की मशीनी औजारों के उत्पादन के मोटे तौर पर लक्ष्य निर्धारित कर दिये है। मशीनी औजारों के उत्पादन के नमूने में केवल देश की आवश्यकताओं की पूर्ति को ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात को भी ध्यान में रखा गया है। 1970-71 के लिये उत्पादन का अस्थायी लक्ष्य 119 करोड़ रु० का है जिसमें से 4 करोड निर्यात के लिये है।

चलती रेलगाड़ियों में अपराध

3709. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती रेलगाड़ियों में अपराधों तथा माल की चोरी की घटनाओं में कमी हुई है ;

4—56 LS/66

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) वर्ष 1964–65 में कितनी राशि का मुआवजा दिया गया; और

(घ) वर्ष 1963–64 के ऐसे आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) चलती गाड़ियों में अपराधों की संख्या में कमी हुई है। लेकिन माल की चोरी की घटनाओं की संख्या लगभग पहले जितनी ही है ।

(ख) चलती गाड़ियों में चोरी के जिन निश्चित मामलों का पता चला, उनकी संख्या नीचे दी गयी है :—

1963–64	919
1964–65 . . .	809

जहां तक आमतौर पर होने वाली माल चोरी के मामलों का सम्बन्ध है, जिन मामलों में मुआवजा दिया गया है और जो चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं में आते हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

1963–64 . .	1,54,036
1964–65	1,57,653

1964–65 में जो मामूली बढ़ती हुई है उसे यातायात में हुई कुल बढ़ती की तुलना में देखना उपयुक्त होगा ।

(ग) और (घ) : चोरी और उठाईगीरी के कारण हुई हानि के सम्बन्ध में जो मुआवजा दिया गया, उसका विवरण नीचे दिया गया है :—

1963–64	1,36,82,669 रुपये
1964–65	1,50,58,191 रुपये

यातायात में बढ़ती के अलावा मूल्यों में भी बढ़ती हुई है।

देशी रेशम तथा ऊन

3710. **श्री मधु लिमये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी रेशम तथा बढ़िया किस्म की ऊन के उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) हिमालय के क्षेत्रों, राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में रेशम और उनके उत्पादन में और वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) रेशम का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6052/66**]

(ग) रेशमी कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे है :—

(i) सम्वर्धन कार्य अर्थात् व्यापार प्रतिनिधि मंडल बाजार संबंधी सूचना, फैशन का रूख, हस्ताहारों और फोलडरों का प्रकाशन जिसमें भारतीय रेशमी कपड़े के विशेष गुणों का उल्लेख किया गया है ।

(ii) निर्यात सहायता परियोजना का कार्यान्वियन।

(iii) कपड़ों के क्वालिटी निरक्षण नियंत्रण का लागू करना।

नेपाल के साथ व्यापार

3711. **श्री मधु लिमये :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के वाणिज्य मंडल ने नेपाल के साथ व्यापार को बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये है ;

(ख) क्या वहां नये उद्योगों की स्थापना में सहयोग के लिये भी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है; और

(ग) यदि हां, तो नेपाल सरकार तथा भारत सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : नेपाली उद्यम कर्त्ताओं के सहयोग से नेपाल में उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के विचार से दिसम्बर, 1964 में बिहार वाणिज्य मण्डल का एक प्रतिनिधि मंडल नेपाल गया। मण्डल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में नेपाल में मध्यम, लघु तथा कुटीर उद्योग संयुक्त उद्यमों के रूप में स्थापित करने तथा दोनों देशों के मध्य व्यापार बढ़ाने की गुंजायश का उल्लेख किया गया। ऐसे उद्योगों को स्थापित करने के लिये मण्डल ने कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किये। बिहार वाणिज्य मंडल का प्रतिवेदन संभावित उद्यमियों के उपयोग के लिये जानकारी से परिपूर्ण है।

बिहार वाणिज्य मण्डल का प्रतिवेदन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल संघ की सेवा में उसके सदस्यों के सूचनार्थ भेज दिया गया है।

अखबारी कागज का आयात

3712. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों से अखबारी कागज, अखबारी कागज बनाने के संयंत्र, कागज तथा लुग्दी (अखबारी कागज बनाने का कच्चा माल) का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अगले वर्ष तथा उसके बाद के चार वर्षों में इनका कितना आयात किया जायेगा; और

(ग) इस पर रुपयों में कुल कितना व्यय होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : 1966 में सोवियत रूस तथा अन्य पूर्वी युरोपीय देशों से अखबारी कागज, कागज तथा लकड़ी की लुग्दी के आयात के लिये 141.6 लाख रु० की (31.7 लाख रु० की अतिरिक्त सम्भावनाओं के साथ) व्यवस्था की गई है। अगले वर्षों में अधिकतर पूर्वी यूरोपीय देशों से मंगाई जाने वाली वस्तुओं की सूचियां अभी नहीं बनाई गई है। अखबारी

कागज बनाने वाले संयंत्र के आयात के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं है; परन्तु पूंजीगत मालकी सामान्य व्यवस्था के अधीन इसके आयात की व्यवस्था की जा सकती है, बशर्ते कि लायसेंस प्राधिकारी किसी भी पूर्वी यूरोपीय देश से आयात करने के लिये सहमत हो जाये।

Tea Plantations

3713. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1333 on the 26th November, 1965 and state:

(a) whether the scheme for eradication of pests in the tea plantations, which was being prepared by the Tea Board, has been finalised; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) & (b). The matter is under consideration of Government.

अभ्रक का निर्यात

3714. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1956–57 से 1964–65 तक प्रतिवर्ष कितने मूल्य तथा कितनी मात्रा में अभ्रक का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि में कितने मूल्य तथा कितनी मात्रा में अभ्रक के कतरण आदि (अवशिष्ट) का निर्यात किया गया; और

(ग) प्रतिवर्ष अभ्रक का निर्यात घटने तथा अभ्रका के कतरण आदि का निर्यात बढ़ने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6053/66।]

मिर्चों का निर्यात

3715. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका तथा अन्य देशों को आन्ध्र प्रदेश से वर्ष 1963–64, 1964-65 तथा 1965-66 में पृथक्-पृथक् कितनी मात्रा में सूखी मिर्चों का निर्यात किया गया; और

(ख) यदि निर्यात की गई मिर्चों की मात्रा तथा वसूल की गई कीमत में कोई अन्तर है, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : आन्ध्र प्रदेश से निर्यात की गई मिर्चों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। हां, आन्ध्र प्रदेश में उत्पादित मिर्चों की काफी मात्रा मद्रास राज्य के व्यापारियों, अधिकांशतः विरुद्धनगर तथा टूटीकोरीन से खरीदी जाती है और वर्गीकृत कर के हर साल श्रीलंका को निर्यात करदी जाती है। चूंकि मद्रास राज्य के व्यापारियों द्वारा की गई खरीद आन्तरिक उपयोग तथा साथही निर्यात उद्देश्य के लिये की जाती है और क्योंकि मद्रास राज्य के व्यापारियों द्वारा महाराष्ट्र एवं मैसूर राज्यों के विपणन केन्द्रों से भी कीमत की सुविधानुसार इसी प्रकार खरीद की जाती है। अतः यह बिल्कुल ठीक निश्चय कर पाना सम्भव नहीं है कि मद्रास से निर्यात की गई मिर्चों में से कितनी मात्रा आन्ध्र प्रदेश की थी। श्रीलंका को मिर्चों का निर्यात करने के लिये कोटे स्थापित करते हुए नये निर्यातकों के लिये भी जो व्यवस्था कर दी गई है उससे सीधे आन्ध्र प्रदेश से श्रीलंका को निर्यात करने हेतु एक और मार्ग खोल दिया गया है।

Thefts in Trains of Eastern Railway

3716. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several incidents of theft and robbery have taken place in trains on the Eastern Railway between Sahibganj and Kiul Railway Stations;

(b) whether it is also a fact that, between the 24th and 25th December, 1965 tape-recorders belonging to foreign press correspondents were stolen; and

(c) if so, the action being taken to stop such incidents?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) Yes, but the theft occurred on 30-11-1965.

(c) All the affected trains are being escorted between Pakur and Kiul stations during night by the Govt. Railway Police under the supervision of Assistant Sub-Inspectors of Police. Railway Protection Force escorts are also being provided on some of the affected trains.

कच्चे लोहे का आयात

3717. श्री सुबोध हंसदा : क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कच्चे लोहे की कमी को पूरा करने के लिये इसका रूस से आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसे विभिन्न फर्मों को बेचा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इसे बेचने में कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो यह कठिनाई किस प्रकार की है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 31-1-1966 तक 1,77,435 टन कच्चा लोहा आयात किया गया जिसमें से 1,17,078 टन बेचा जा चुका है।

(ग) कुछ फर्में आयात किया गया कच्चा लोहा उठाने में अनिच्छा व्यक्त कर रही हैं क्योंकि देश में बने कच्चे लोहे की तुलना में आयात किये गये कच्चे लोहे का मूल्य अधिक है।

मूल्य अधिक होने का कारण हाल में सीमा शुल्क में की गई वृद्धि है। आयात किये गये कच्चे लोहे को न उठाने का कुछ कारण यह भी है कि देश में तैयार किए गए कच्चे लोहे की प्रदाय स्थिति अच्छी हो गई है और इसकी मांग भी कुछ घट गई है।

उत्तर प्रदेश में दस्तकारी उद्योग

3718. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में राज्य में दस्तकारी उद्योग के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि दी;

(ख) उक्त अवधि में उस राज्य ने कितनी धनराशि का उपयोग किया; और

(ग) वर्ष 1966–67 में उसी प्रयोजन के हेतु उस राज्य को कितनी धनराशि देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) राज्य सरकार के अनुमानित खर्च के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 2,55,000 रु० का अनुदान तथा 85,000 रु० का ऋण, कुल 3,40,000 रु० दिये गये हैं।

(ख) अभी राज्य सरकार से ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) 1966–67 में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में रेशम-उत्पादन का विकास

3719. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में रेशम उत्पादन के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उक्त अवधि में उसे दी गई सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि का उपयोग किया?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 4 लाख रु० (2.51 लाख रू० का अनुदान और 1.49 लाख रु० का ऋण)।

(ख) जी, हां ।

आसाम में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना

3720. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जापान के सहयोग से आसाम में ट्रैक्टर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

मोटर गाडियों के फालतू पुर्जों का आयात

3721. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली है कि मोटर-गाड़ियों के फालतू पुर्जों के आयात के लिये दिये गये लाइसेंसो का लाइसेंस धारियों द्वारा दुरूपयोग किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1965 में ऐसे कितने मामलों का पता चला; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) से (ग) : 1965 में केवल दो मामले सरकार के ध्यान में लाये गये जिनके विषय में जांच की जा रही है।

तीसरी श्रेणी के सोने के डिब्बे (स्लीपर)

3722. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगल बांध से दिल्ली तक तथा दिल्ली से नांगल बांध तक एक्सप्रेस गाड़ी में तीसरी श्रेणी के सोने के डिब्बे (स्लीपर) लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से यह व्यवस्था हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : इस समय नांगल डैम और दिल्ली के बीच कोई सीधी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलती। लेकिन, नांगल डैम और दिल्ली के बीच एक पहले और दूसरे दर्जे का मिला-जुला और एक तीसरे दर्जे का यान 1/2 कालका-दिल्ली-हावड़ा डाकगाड़ियों और उनसे सम्बद्ध 53/54 नांगल डैम एक्सप्रेस गाडियों के साथ चलता है। लम्बी दूरी के लिए सीधी/खण्डीय यान-सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर लेने के बाद तीसरे दर्जे के सीधे यान की जगह शयन-यान चलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

पंजाब को स्टेनलैस स्टील का नियतन

3723. **श्री दलजित सिंह :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य को 1965–66 में कितने स्टेनलैस स्टील की आवश्यकता थी तथा 1966-67 में उसे इसकी कितनी आवश्यकता है; और

(ख) 1965–66 में पंजाब के लिये कितना स्टेनलैस स्टील नियत किया गया था तथा 1966-67 में कितना स्टेनलैस स्टील देने का विचार है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) राज्य सरकार के अनुसार पंजाब की 1965–66 और 1966–67 के वर्षों के लिये स्टेनलैस स्टील की आवश्यकता निम्नलिखित है:–

	1965–66 मात्रा (मीटरी टन)	1966–67 मात्रा (मीटरी टन)
(i) बर्तन बनाने के काम के लिये	1,400	1,450
(ii) अन्य कामों के लिये	354	360

ऐसा अनुमान है कि वास्तविक आवश्यकताएं काफी कम है।

(ख) 1965–66 में किसी भी राज्य को बर्तन बनाने के लिये स्टेन्लैस स्टील का नियतन नहीं किया गया है और नहीं 1966–67 में नियतन किये जाने की संभावना है। बर्तन निर्माण के काम को छोड़कर दूसरे कामों के लिये 1965–66 में पंजाब को 23.60 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा नियत की गई थी। 1966–67 के लिए नियतनों पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

पंजाब में उद्योग

3724. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिये वर्ष 1965–66 और 1966–67 में केन्द्रीय सरकारने कितनी राशि मंजूर की है ;

(ख) राज्य सरकार ने वर्ष 1965 में कितनी राशि खर्च की ; और

(ग) उक्त अवधि में पंजाब में कितने औद्योगिक कारखाने स्थापित किये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवया) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिये कोई भी राशि मंजूर नहीं की जाती है। राज्य सरकारों को लघु उद्योगों के विकास के लिये अति उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अधीन छोटे कारखानों को ऋण देने, सामान्य सुविधा केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करने, लघु एककों को विद्युत सम्भरण में सहायता देने तथा प्रशिक्षण आदि के दौरान कारीगरों को वजीफे आदि के रूप में केन्द्र द्वारा इकट्ठी धनराशि, ऋण और अनुदान के रूप में दी जाती है। औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने के लिये भी राज्य सरकारों को ऋण दिया जाता है। पंजाब राज्य को 1965–66 के लिये निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता दी गई :—

(1) लघु उद्योगों का विकास	औद्योगिक बस्तियां
ऋण और अनुदान	ऋण
6.17 लाख रु०	37.61 लाख रु०
(अस्थायी)	(अस्थायी)

पंजाब राज्य को लघु उद्योगों तथा औद्योगिक बस्तियों के लिये वर्ष 1966–67 की केन्द्रीय सहायता की राशि अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं की गई। ग्रामीण तथा लघु उद्योग के कार्यकारी दल द्वारा पंजाब राज्य के लिये तैयार किये गये 1966–67 की वार्षिक योजना के अस्थायी अनुमान निम्न प्रकार है :—

लघु उद्योग	111.69 लाख रु०
औद्योगिक बस्तियां . .	27.72 लाख रु०

(ख) वर्ष 1965–66 के लिये राज्य सरकार का सम्भावित खर्च लगभग 231.03 लाख रु० है।

(ग) पंजाब में 1965 में पंजीकृत किये गये औद्योगिक एककों की संख्या 1649 है।

लघु उद्योग

3725. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सहायता से वर्ष 1964-65 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लघु उद्योग स्थापित किये गये ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कितने वर्तमान उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये सहायता दी गई;

(ग) वर्ष 1965 के अन्त तक कितनी औद्योगिक बस्तियां चलती रहीं; और

(घ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने अब तक कितनी राशि विनियोजित की है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा वर्ष 1964-65 में ग्रामीण क्षेत्र के दो लघु एककों को तीन मशीनों का संभरण किया गया था।

(ख) ग्रामीण उद्योग आयोजन समिति द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार परियोजना क्षेत्र में लगभग 1975 वर्तमान एककों को उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा सहायता दी गई थी।

(ग) 30-9-1965 को 180 औद्योगिक बस्तियां कार्य कर रही थीं।

(घ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा 31 मार्च 1965 तक किया गया विनियोजन (1965-66 का लेखा अभी बन्द नहीं किया गया है) निम्न प्रकार है :—

(1) आद्यरूप उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र	257.79 लाख रु० [उपर्युक्त धन राशि में विदेशी सरकारों (अमरीका, पश्चिमी जर्मनी और जापान) से उपहार में मिली मशीनें शामिल हैं। जिसकी कुल राशि 49 लाख रु० है]
(2) किराया खरीद योजना	1,300 लाख रु०
(3) नैनी औद्योगिक बस्ती	25.84 लाख रु०
(4) प्रदर्शनी मण्डप, नई दिल्ली . .	2.81 लाख रु०

छोटे पैमाने के उद्योग

3726. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 1966-67 में सरकार का विचार छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये नये उपाय अपनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन उपायों का स्वरूप क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : भूतपूर्व उद्योग मंत्री ने लघु उद्योग कार्यक्रम में परिवर्तन और नवीनीकरण करने की आवश्यकता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। मोटे तौर पर उनका विचार यह था कि आयातित कच्चे माल पर अत्यधिक और निर्भरता मशीनों से चलने वाले अधिकांश लघु एककों की पूरी क्षमता का उपयोग न किये जाने के कारण भविष्य में ऐसे उद्योगों के विकास को उत्साहित नहीं करना चाहिये और ऐसे उद्योगों के विकास के लिये, जिनके लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है या निकट भविष्य में आसानी से उपलब्ध होने की सम्भावना है, सुनियोजित कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और उसे अमल में लाया जाना चाहिये। लघु उद्योग क्षेत्र में तैयार वस्तुएं बनाने वाले कारखानों के बजाय अनुसूचित कारखानों को पुर्जे हिस्से तथा मध्यवर्ती सामान इत्यादि के सम्भरण के लिये सहायक उद्योगों के वास्ते राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चाकांक्षी कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये। लघु उद्योग क्षेत्र का खास कुछ चीजों जैसे इलेक्ट्रानिक्स, उन्नत कृषि उपकरण, कीट नाशक दवाइयों तथा कुछ प्लास्टिक की वस्तुओं के क्षेत्र में विशेष लाभ है। ऐसे क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों की तुलना में निश्चित रूप से तरजीह दी जानी चाहिये तथा उसी के अनुसार बड़े उद्योगों के लाइसेंसो का नियमन किया जाना चाहिये।

राज्यों के लिये कोयले का कोटा

3727. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के लिये सरकार ने कोयले के कोटे में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1966–67 में विभिन्न राज्यों के लिये कितना-कितना कोटा नियत किया गया है और 1965–66 की तुलना में वह कम है अथवा अधिक ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) से (ग) : विभिन्न राज्यों की कोयले तथा हार्ड कोक की नियोजित श्रणियों का कोटा राज्य अधिकारियों से प्राप्त सिफारिश के अनुसार कायम किया जाता है। 1965–66 का मासिक वण्टन और 1966–67 का प्राप्त वार्षिक वंटन का विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6054/66।]** नान-कोकिंग कोयला II तथा III श्रेणी के तथा साफ्ट कोक के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है।

रेशम का आयात

3728. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में कुल कितने रेशम का आयात किया गया; और

(ख) इस अवधि में उससे कितना शुल्क वसूल हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) पूरे वर्ष के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। अप्रैल 1965 से जनवरी 1966 तक 52,506 कि० ग्रा० कच्चे रेशम का आयात किया गया।

(ख) अप्रैल 1965 से जनवरी 1966 तक की अवधि में 30.17 लाख रु०।

हौजरी उद्योग

3729. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के निर्यात व्यापार में हौजरी उद्योग ने अब तक कितना योगदान दिया है;

(ख) क्या इसके विदेश-व्यापार के विस्तार की सम्भावना का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस का निर्यात किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6055/66।]**

टाइलों का निर्यात

3730. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाइलों का निर्यात बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां

(ख) मलयेशिया और सिंगापुर हमारे पुराने बाजार थे। इनमें अब उनके अपने टाइल उद्योग का विकास हो गया है। इन देशों ने कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी लगा दिये हैं। इसके अतिरिक्त अब सीमेण्ट टाइल जैसे सस्ते बदलों का भी अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है।

(ग) स्थिति सुधारने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उनमें अधिक महत्वपूर्ण ये हैं : मिट्टी के टाइलों के निर्यात पर 10 प्र० श० की दर से कर उधार की सुविधा दी गई है और मद्रास से सिंगापुर भेजने के लिये 1000 टाइलों का जहाजी भाड़ा 89.75 रु० से घटा कर 76.5 रु० कर दिया गया है।

उड़ीसा के लिये इस्पात का आयात

3731. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965–66 में इस्पात के आयात के लिये उड़ीसा राज्य को कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई थी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : उड़ीसा राज्य को वर्ष 1965–66 में लघु उद्योगों के लिये इस्पात का आयात करने हेतु विदेशी मुद्रा का निम्न प्रकार नियतन किया गया था :

(1) इकट्ठी की जाने वाली वस्तुओं का आयात करने तथा खनिज और धातु व्यापार निगम के जरिये आयात करने में इस्तेमाल किये जाने के लिये	4.54 लाख रु०
(2) वास्तविक उपभोक्ता आयात लाइसेंस जारी करने में इस्तेमाल करने के लिये . .	0.24 लाख रु०
योग	4.78 लाख रु०

उड़ीसा में भारी उद्योग

3732. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966–67 में केन्द्रीय सरकार का उड़ीसा में कुछ भारी उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अदन और ईरान को निर्यात

3733. श्री प्र० के० देव :

श्री कपूर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अदन और ईरान को वर्ष 1965-66 में कुल कितना निर्यात किया गया ;

(ख) क्या इन देशों को किये जाने वाले हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ग) इस दिशा में प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

	(रु० लाखों में) 1965-66 (अप्रैल से दिसम्बर) निर्यात
(क) अदन	4,28
ईरान	4,98

(ख) जी, हां ।

(ग) अदन को होने वाले निर्यात का योग 1962-63 में 478 लाख रु० था, जो 1964-65 में बढ़ाकर 602 लाख रु० हो गया ।

ईरान को होने वाले निर्यात का योग 1963-64 में 468 लाख रु० था जो 1964-65 में बढ़कर 486 लाख रु० हो गया ।

डीज़ल इंजनों से चलनेवाली रेलगाड़ियां

3734. श्री मा० ल० जाधव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक तथा यात्री रेलगाड़ियों को डीज़ल इंजनों से चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब इन इंजनों से गाड़ियां चलायी जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, एक सीमित मात्रा में ।

(ख) हवड़ा-मद्रास डाकगाड़ी अक्टूबर, 1965 से डीज़ल इंजन से चलाई जा रही है । दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली सदर्न एक्सप्रेस/डीलक्स गाड़ियां, मद्रास और बेंगलुरु

के बीच चलने वाली वृन्दावन एक्सप्रेस और हवड़ा और आसनसोल तथा मुगलसराय और दिल्ली के बीच चलने वाली हवड़ा-कालका डाकगाड़ियां 1 अप्रैल, 1966 से डीजल इंजनों से चलायी जा रही हैं।

दिल्ली मुख्य स्टेशन के पार्सल कार्यालय में गबन

3735. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 सितम्बर, 1965 को दिल्ली मुख्य स्टेशन के मीटर गेज के आउटवर्ड पार्सल बुकिंग कार्यालय में काम करने वाले एक रेलवे कर्मचारी ने 100 रुपये का गबन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता।

पूर्वी जर्मनी से उर्वरक

3736. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मनी भारत को लगभग 2,50,000 मीट्रिक टन उर्वरकों की सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : राज्य व्यापार निगम ने मे० बर्गबड-बेंडल, बर्लिन के साथ एक त्रिवर्षीय करार किया है जो 1 जनवरी, 1966 से चालू होता है। इसके अधीन तीन वर्षों की अवधि में हमें 2,18,000 मी० टन 60 प्र० श० के ओ म्यूरियेट आफ पोटाश और 30,000 मी० टन 48/52 प्र० श० के ओ म्यूरियेट आफ पोटाश प्राप्त होगा जिसका विवरण नीचे दिया जाता है :—

1966 में . . .	78,000 मी० टन
1967 में . . .	85,000 मी० टन
1968 में . . .	85,000 मी० टन

कीमतों तथा माल देने की समय-अनुसूची के बारे में प्रति वर्ष अलग से बात-चीत की जानी है। 1966 के लिये निगम ने निम्न कीमतें स्वीकार की है :—

(1) म्यूरियेट आफ पोटाश 60 प्र० श० $के_2$ओ 268.33 रु० प्रति मी० टन

(2) म्यूरियेट आफ पोटाश 50 प्र० श० $के_2$ओ 219.33 रु० प्रति मी० टन

करार की शर्तों में मे० इन्टर कन्ट्रोल, जी० एम० बी० एच०, बर्लिन द्वारा निरीक्षण किये जाने, उधार-पत्र से भुगतान करने और दावों, यदि कोई हों, का निबटान गन्तव्य बन्दरगाह पर माल पाने के 45 दिनों के भीतर करने की व्यवस्था है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखानें में बनी कलाई घड़िया

3737. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में बनी कलाई घड़ियों के न मिलने के बारे कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ख) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) इस प्रकार की शिकायतों का कोई रिकार्ड न रखे जाने के कारण उनकी ठीक-ठीक संख्या बता सकना सम्भव नहीं है।

(ख) कच्चे माल तथा आवश्यक पुर्जों के आयात के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध न होने के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के घड़ियों के कारखाने में स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है। विदेशी मुद्रा की सम्पूर्ण उपलब्धता के अन्तर्गत तथा इसके साथ-साथ मांग की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए इस कारखाने के लिये विदेशी मुद्रा के नियतन को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे उत्पादन बढ़ा कर यथासंभव मांग पूरी की जा सके।

Import of Chicory

3738. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the import of chicory has been totally banned by Government;

(b) If so, the basis on which licences would be given to producers of chicory; and

(c) the steps taken to increase its production?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). Licences for the import of chicory seeds will, however, be issued to planters on a liberal basis on the recommendation of the Director of Agriculture of the State concerned.

पंजाब में लघु उद्योग

3739. **श्री दलजीत सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी को दूर करने के लिये पंजाब राज्य में लघु उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पंजाब सरकार से प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

बनिआडीह बिजली घर

3740. डा० रानेन सेन : क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रिय कोयला विकास निगम के अधीन गिरदीह का बनिआडीह बिजली घर बन्द कर दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय ।

(ख) यह बहुत पुराना उष्म शक्ति केन्द्र है जिसके वाष्पित्रों का आकल्पन बहुत ऊंची श्रेणी के कोयले के प्रयोग के लिये किया गया है। गिरीदीह कोयला खान के धीरे धीरे बंद होने से निगम को इस क्षेत्र में बिजली की आवश्यकताएं कम हो गई और इस विद्युत् केन्द्र को चलाए रखना अलाभकार है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य विद्युत मण्डल से बिजली सस्ते दर पर प्राप्त होती है। अतः विद्युत् केन्द्र को बन्द करने का निर्णय किया गया है।

बोकारो कारखाने पर रूसी परियोजना प्रतिवेदन

3741. श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दो० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री फिरोडिया :
श्री वासुदेव नायर :

क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी समिति ने बोकारो इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में रूसी परियोजना प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की है ;

(ग) उन सिफारिशों के बारे में बोकारो इस्पात बोर्ड की क्या राय है ; और

(घ) विभिन्न सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किये है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6056/66 ।]**

Pearl Yamaha Scooters

3742. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether Government have given the agency for Pearl Yamaha scooters to Northern Engineering Company, Jhandewalan, New Delhi;

(b) whether it is a fact that many persons who were on the waiting list and had also deposited the amount were not supplied scooters on their turn; and

(c) if so, the action proposed to be taken in this regard?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) No, Sir. Agents are appointed by the manufacturer concerned and not by Government.

(b) Government have not received any such complaint.

(c) Does not arise.

Burning of Wagons at Agra

3743. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on or about the 15th February, 1966, two wagons of a goods train caught fire near Jamuna bridge at Agra and were reduced to ashes; and

(b) if so, the causes thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, but the incident took place on 9-2-1966. Two wagons containing sugar-cane straw caught fire between Chhalesar Road and Kuberpur stations. Immediate action to extinguish the fire was taken at Jamuna Bridge. The contents were only partly burnt as a result of which the loss is estimated at Rs. 500 mately.

(b) A joint enquiry has been ordered to find out the causes of fire.

Railway Service between Supaul and Pratapganj

3744. **Shri Lahtan Chaudhry :**
Shri Yogendra Jha :
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that before the onslaught of Kosi river in Saharasa district in Bihar, there was a railway service between Supaul and Pratapganj *via* Bhaptiahi and between Bhaptiahi and Nirmali, which has been discontinued after Kosi onslaught;

(b) whether it is also a fact that the railway land, station, quarters and other equipment are still lying intact which has been personally seen by the Minister of State for Railways recently; and

(c) The steps being taken by Government to re-start the railway services on these lines in view of the development of this area as well as its border situation resulting from the taming of river Kosi?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) Railway land of the abandoned line is available, except about 2 Kms. between Thurbhita and Bhaptiahi, which has been engulfed by the left marginal embankment of the Kosi river. As regards buildings, these are avaiable at Thurbhita station in such condition that these can be made usable after repairs. The Minister of State for Railways had seen them during his recent visit. At other places, no such building is available which can be brought into use even after repairs.

(c) Reconnaissance engineering and traffic surveys for a railway line from Supaul to Kuarganj (14·7 Kms) and from Supaul to Thurbhita (12·78 Kms) the

old abandoned alignment), were recently carried out by the North-Eastern Railway. While the reconnaissance engineering survey report has been submitted by the Railway and is under consideration in the Railway Board's office, the Traffic Survey report is awaited from the Railway. Final decision on this restoration will be taken after the traffic survey report is received and considered by the Railway Board.

केरल प्रदेश निर्यात संवर्धन निगम

3745. श्री मुहम्मद कोया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में स्थापित निगम के समान केरल प्रदेश में एक निर्यात संवर्धन निगम स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : एक क्षेत्रीय निर्यात संवर्द्धन निगम बनाने के प्रश्न पर केरल प्रदेश सरकार विचार कर रही है। अन्य राज्यों की भांति केन्द्रीय सरकार नहीं वरन् राज्य सरकार ही निगम की स्थापना करेगी।

नीलम्बूर रोड-कालीकट रेलवे लाइन

3746. श्री मुहमद कोया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीलम्बूर रोड से कालीकट तक रेलवे लाइन बनाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को चौथी योजना में क्या प्राथमिकता दी गई है ;

(ख) क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् केरल के मालाबार भाग के लिये कोई नई रेलवे लाइन मंजूर की गई थी; और

(ग) क्या वतमान नीलम्बूर शोरानूर रेलवे लाइन लाभ में चल रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) केरल सरकार ने रेलवे की चौथी योजना में इस लाइन को बनाने की सिफारिश नहीं की है। उपलब्ध सीमित साधनों को देखते हुए ऐसा जान पड़ता है कि इस लाइन को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये पर्याप्त अग्रता नहीं मिल पायेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं, यह घाटे में चल रही है।

कोजीकोड जिले में लोहे के निक्षेप

3747. श्री मुहमद कोया : क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोजीकोड जिले में उपलब्ध लोहनिक्षेपों का अनुमान लगाने के लिये अग्रतर जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय।

(ख) 1965-66 के क्षेत्रकाल कार्य में भारतीय भौमिकी विभाग ने कोजीकोड जिले के कच्चे लोहे के निक्षपो की श्रेणी तथा संचय का निर्णय करने के लिये विस्तृत अन्वेषण किये हैं।

5—56 L S/66

इस उद्देश्य से 500 वर्ग किलोमीटर का भूमीक्षण मानचित्रण तथा 2 वर्ग किलोमीटर का विस्तृत मानचित्रण और कच्चे लोहे के आरम्भिक न्यादर्श बनाने के काम की योजना बनाई है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे की क्षमता

3748. श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **लोहा और इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे की क्षमता बढ़ाने के लिये गैर-सरकारी फर्मों अथवा कम्पनियों को कितने लाइसेंस दिए गए है ;

(ख) लाइसेंस दी गई इस क्षमता में से कितनी प्रतिष्ठापित हो गई है; और

(ग) कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : गैर-सरकारी क्षेत्र में 11 इन्टेन्ट-पत्र दिए गए है, जो 1.9 मिलियन टन की क्षमता के लिये है। प्रतिष्ठापित क्षमता 50,000 टन की है।

(ग) ऐसी संभावना है कि 1970-71 तक कच्चे लोहे की मांग 3-3.5 मिलियन टन हो जाएगी। बोकारो को मिलाकर सर्वतोमुखी कारखानों से लगभग 2 मिलियन टन कच्चा लोहा मिल सकेगा। आशा है निजी/राज्य क्षेत्र में अनुमोदित योजनाओं से 1 मिलियन टन कच्चा लोहा मिल जाएगा। यदि गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों के उत्पादन में कमी रही तो सरकारी क्षेत्र में उत्पादन के लिये और योजना बनायी जाएगी।

माल न मिलने के कारण भारत के माल वाले जहाजों का फारस की खाड़ी के पत्तनों में रुके रहना

3749. श्री प० चं० बर्मन :
श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को आयात किये जाने वाले खजूर तथा मेवों के न मिलने के कारण पिछले तीन महीनों से बत्तीस भारतीय माल वाले जहाज फारस की खाड़ी के पत्तनों में रुके हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी अवधि में बड़ी मात्रा में उक्त माल के आयात के संबंध में विदेशी जहाजों को अनुमति दी गई थी, और उन्हें माल ले जाने का काम दिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पहले भारतीय माल वाले जहाज प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ रुपये कमाते थे; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें इस काम से वंचित रखने क्या कारण है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सूचना मिली है कि इस समय भारतीय माल वाले कुछ जहाज फारस की खाड़ी के पत्तनों में खजूर का माल लादने की प्रतीक्षा में हैं।

(ख) खजूरों का अधिकांश भाग फारस की खाड़ी से केवल भारतीय माल वाले जहाजों द्वारा ही आयात किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय माल वाल जहाज लगभग 20,000

टन खजूर (सितम्बर 1965 से मार्च 1966 के तीसरे सप्ताह तक) भारत में लाये जब कि इसके विपरीत विदेशी माल वाले जहाजों द्वारा 8,000 टन माल लाया गया।

(ग) भारतीय माल वाले जहाजों द्वारा उपार्जित कुल अनुमानित भाड़ा 25 लाख रु० वार्षिक है तथा यह लगभग 70/80 रु० प्रति टन की औसत भाड़ा स्तर पर आधारित है।

(घ) जी नहीं। भारतीय माल वाले जहाजों को अधिकतम संरक्षण देने के लिये समय समय पर कदम उठाये गये हैं।

खजूर तथा मेवों के आयात के लिये काम में लाये जाने वाले भारतीय पाल वाले जहाज

3750. **श्री प० चं० बर्मन :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फारस की खाड़ी के पत्तनों से खजूर और मेवों का आयात करने के लिये राज्य व्यापार निगम को लाइसेंस दिये गये है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम ने अखिल भारतीय पाल वाले जहाज उद्योग मंडल संघ से कितने जहाज मांगे हैं और क्या उनको पूरी तरह काम में लाया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राज्य व्यापार निगम को ईराक से 50 लाख रु० मूल्य के और मस्कट से 5 लाख रु० मूल्य के खजूर आयात करने के लाइसेंस दिये गये हैं। मेवा आयात करने के कोई लाइसेंस निगम को नहीं दिये गये है।

(ख) बसरा से बम्बई तक 3604 टन खजूर लाने के लिये निगम ने 22 भारतीय पाल वाल जहाज किराये पर लिये हैं। इन में से 11 जहाजों को जहाजरानी के महानिदेशक की सलाह से और शेष को सीधा चार्टर पर लिया गया है। सभी जहाजों का पूरी तौर पर उपयोग किया जा रहा है।

बिहार में खानें

3751. **श्री ह० च० सोय :** क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में खनन कार्य के कारण, विशेषकर चीनी मिट्टी कोयला और लौह अयस्क के खनन के परिणामस्वरूप भू-प्रधान कृषि वाली भूमि कम हो जाने से खाद्य उत्पादन में कमी हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि परित्यक्त खानों तथा खोदी हुई भूमि को फिर नहीं भरा जाता ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) केन्द्रीय सरकार को इस विषय में कोई शिकायत नहीं मिली है। खनन पट्टे देते समय, राज्य सरकारों को अपने जंगल/कृषि विभाग की राय लेनी पड़ती है और खाद्य उत्पादन में हो सकने वाली हानि को ध्यान में रखना होता है। खाद्य उत्पादन में अवश्य इस हद तक असर पड़ता है कि भूमि कृषि के लिये प्राप्त नहीं रहती। तथापि राज्य सरकार इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखती है कि कृषि योग्य भूमि को कम से कम हानि पहुंचे तथा इस हानि के लिये पट्टा धारी द्वारा पर्याप्त प्रतिकर दिलाया जावे।

(ख) और (ग) : सरकार को इस स्थिति का ज्ञान नहीं है। तथापि, यद्यपि खनन विधान में ऐसा कोई विशिष्ट वैधानिक उपसबंध नहीं है जिसके अनुसार पट्टाधारी को छोड़ी हुई खानों केखोदे

हुए स्थानों की पूर्ति करने को कहा जा सके, फिर भी खनन पट्टे की शर्तों में आम तौर पर यह उपबंध रखा जाता है कि पट्टाधारी खनन सम्पत्ति को भली प्रकार मरम्मत की हुई दशा में तथा खान में आगे काम कर सकने की दृष्टि से सब प्रकार योग्य दशा में सरकार को सौंपे। यह राज्य सरकार पर है कि वह पट्टाधारी द्वारा इस शर्त का, यदि वह पट्टे की शर्त में शामिल है तो, पूरा पालन कराने के हेतु उपयुक्त कार्यवाही करे।

आदिम जातियों के रेलवे कर्मचारी

3752. श्री हु० च० सोय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जांच पड़ताल करने के बाद आदिम जाति के अभ्यर्थी होने के प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में बहुत सी जालसाजियों का पता चला है तथा यह पाया गया है कि बहुत से गैर-आदिम जातीय लोग रेलवे की नौकरी में आ गये हैं और उन्होंने झूठ मूठ अपने आप को आदिवासी बता कर पदोन्नति प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो अपराधी कर्मचारियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। अभी तक 20 ऐसे मामले नोटिस में आये हैं, जिनमें रेलवे में नौकरी पाने के लिए या पदोन्नति के लिए गैर-आदिम जाति के कर्मचारियों द्वारा आदिम जाति के जाली प्रमाण-पत्र पेश किये गये थे।

(ख) राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों प्रकार के दोषी कर्मचारियों को दण्ड देने के लिए जो कार्रवाई की गयी, वह इस प्रकार है :

(i) नौकरी से बरखास्तगी	7
(ii) संचयी प्रभाव सहित तीन वर्ष के लिए वेतन-वृद्धि का रोका जाना	1
(iii) स्थायी परावर्तन	1
(iv) पांच वर्ष के लिए पदोन्नति से वारित . .	1
(v) परावर्तन	2
(vi) छानबीन/जांच की जा रही है . .	8

चक्रधरपुर में रेलवे क्वार्टर तथा स्कूल

3753. श्री हु० च० सोय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में चक्रधरपुर में बनाये गये रेलवे क्वार्टरों तथा एक स्कूल के खराब निर्माण के बारे में जनता की ओर से शिकायत की गई थी और इस सम्बन्ध में जांच की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जांच-पड़ताल करने के बाद फर्म को आदेश दिया गया कि उसके द्वारा बनायी गयी इमारतों में जो दोष रह गये हैं, उन्हें वह ठीक करे या उनके ठीक करने का खर्च दे। ठेकेदार से लगभग 42,000 रुपये पहले ही वसूल किये जा चुके हैं और जो कुछ बाकी है, उसका समंजन उसको दी जाने वाली रकम के साथ किया जा रहा है। दक्षिण-पूर्व रेलवे ने ठेकेदार को मार्च, 1963 से जुलाई, 1964 तक के

लिए रेलवे के ठेकों से वर्जित कर दिया था। जुलाई, 1964 में इस मामले पर फिर से विचार किया गया और सभी बातों पर गौर करने के बाद ठेकेदार का नाम पुनः अनुमोदित सूची में शामिल कर लिया गया। इस ठेकेदार के काम पर कड़ी निगाह रखी जा रही है।

राजखरसावां चाईबासा सवारी गाड़ी

3754. **श्री ह० च० सोय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे पर राजखरसावां से चाइबासा तक और चाईबासा से राजखरसावां तक सवारी गाड़ी इस कारण बन्द कर दी गई है कि उसे चलाने में घाटा होता है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे की समूची आय और व्यय तथा लाभ का अनुमान क्या है जिससे इस गाड़ी को पुनः चलाया जा सकता हो;

(ग) क्या इस गाड़ी के चलने के समय में हेरफेर करने का प्रस्ताव है ताकि इस गाड़ी को चंडिल से चाईबासा और दक्षिण बिहार एक्सप्रेस के साथ मिलाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) : सफर करने वाले यात्रियों की संख्या कम होने के कारण राजखरसावां-चाईबासा खण्ड पर दो जोड़ी गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया था—एक 1–10–60 से और दूसरी 1–4–64 से।

इस समय राजखरसावां-चाईबासा खण्ड पर दो जोड़ी गाड़ियां चलती हैं—एक राजखरसावां और बड़ाजामदा के बीच और दूसरी गुआ और टाटानगर के बीच। इस तरह वहां सुबह और शाम के समय सुविधाजनक गाड़ियां उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में सड़क परिवहन का विकास हो जाने और रेल के रास्ते यातायात बहुत कम होने के कारण इस खण्ड पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के औचित्य नहीं है।

दक्षिण बिहार के यातायात सहित चाईबासा और चंडिल के बीच यातायात की मात्रा बहुत थोड़ी है। इसके अलावा चंडिल आने-जाने वाली शटल गाड़ी चलाने के लिए चंडिल में टर्मिनल सम्बन्धी सुविधाएं भी नहीं हैं। फिर भी, 1–4–66 से लागू होने वाली समय सारणी में चाईबासा से पटना और दक्षिण बिहार के दूसरे स्टेशनों को जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए टाटा में 414 डाउन गूआ-टाटा पैसेन्जर और 87 अप साउथ बिहार एक्सप्रेस के मेल की व्यवस्था कर दी गयी है। (414 डाउन पैसेंजर 19.05 बजे टाटा पहुंचती है और 87 एक्सप्रेस 19.40 बजे वहां से चलती है)।

Theft of Iron Goods

3755. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 4th March, 1966 the Ghaziabad Police arrested five persons who were caught red-handed while stealing iron goods belonging to the Railways and whether any railway employee was also amongst them and

(b) if so, the particulars of that employee and the post held by him ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

श्रेणी दो संवर्ग के लिये पदोन्नति

3756. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के अन्य सभी विभागों में श्रेणी दो संवर्ग में पदोन्नति के लिये पचास प्रतिशत भर्ती बाहर से की जाती है और पचास प्रतिशत पदोन्नति विभाग के कर्मचारियों में से ही की जाती है, किन्तु आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली के अधीन कार्यालय में केवल 25 प्रतिशत पदोन्नति विभागी अभ्यर्थियों में से की जाती है और 75 प्रतिशत सीधी भर्ती के द्वारा;

(ख) क्या ये आदेश 1956 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये गये है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि भारत सरकार के अन्य सभी विभागों में श्रेणी दो संवर्गों के लिए विभागिय पदोन्नति तथा सीधी भर्ती में 50 : 50 का अनुपात है। एक विभाग से दूसरे विभाग, यहां तक कि एक ही विभाग में एक पद से दूसरे पद, चाहे सभी पद श्रेणी दो संवर्ग के हो, प्रत्येक मामले में यह अनुपात योग्यता के अनुसार अलग अलग होता है ।

आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के संगठन में भी श्रेणी दो संवर्ग के पदों के कुछ मामलों में 50 : 50 का समानुपात है और अन्य मामलों में 25 : 75 का ।

(ख) आयात तथा निर्यात के सहायक नियंत्रक के मामले में 25 : 75 का समानुपात 1 जनवरी, 1952 से अमल में लाया गया है ।

(ग) संघीय लोक सेवा आयोग की सलाह से ऐसा किया गया है ।

युगोस्लाविया से सहायता

3757. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री फिरोडिया :
श्री मोहम्मद कोया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगोस्लाविया ने भारत को चौथी योजना के लिए 8 करोड़ डालर की सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) किन परियोजनाओं के लिए ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कुल 8 करोड़ डालर के ऋण का प्रस्ताव किया गया है । युगोस्लाविया की आर्थिक तथा ऋण संस्थाएं युगोस्लाव सरकार के प्रायोजन तथा समर्थन पर यह ऋण देगी ।

(ख) तथा (ग) : यह ऋण भारत में पूंजीगत माल के खरीदार के लिये होगा और उसकी शर्तों का ब्यौरा अभी युगोस्लाविया के विदेश व्यापार बैंक की सलाह से वित्त मन्त्रालय द्वारा तैयार होना शेष है ।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

3758. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री फिरोडिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय संकट के कारण कुछ कपड़ा मिलें बन्द कर दी गई हैं तथा उनके द्वारा बिक्री-कर और अन्य शुल्कों का भुगतान न किये जाने के कारण सरकार ने उनकी आस्तियां अपने अधिकार में ले ली है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1965 से कितनी तथा कौन-कौन सी कपड़ा मिलें इस प्रकार बन्द की गई हैं; और

(ग) मिलों के बन्द हो जाने के कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : 1–1–1965 से 31–3–1966 तक की अवधि में वित्तीय कारणों के परिणामस्वरूप 15 कपड़ा मिलें बंद हो गई (सूची संलग्न है) **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6057/66]** । बिक्री कर तथा अन्य शुल्कों का भुगतान न किये जाने के कारण आस्तियों को अधिकार में लेने सम्बन्धी कोई सूचना केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है ।

(ग) (1) देश में कपड़ा मिलों के बंद होने की स्थिति पर सरकार ध्यान दिये हुए है । आवश्यकता पड़ने पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत जांच कराई जाती है तथा जांच प्रतिवेदनों के आधार पर उचित मामलों में प्राधिकृत नियन्त्रकों की नियुक्ति द्वारा बंद कपड़ा मिलों का कार्य फिर से चालू कराने के लिये कार्यवाही की जाती है ।

(2) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कुछ अतिरिक्त ऋण सुविधाएं देने के लिये हिदायतें जारी की हैं ताकि मिल कपड़े तथा सूत का सामान्य से अधिक स्टाक रख सकें ।

(3) सरकारी गारंटी पर ऋण लेने के लिये भी उचित मामलों में सरकार सहायता कर रही है ।

(4) तोड़ी जाने वाली मिलों के बदले उन्हीं स्थानों पर नये मिल लगाने के लिए लाइसेंस मंजूर किये जा रहे हैं जिससे तमाम मजदूरों को वहीं फिर काम मिल जाय ।

लाइट डीजल इंजनों का निर्माण

3759. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहला लाइट डीज़ल इंजन, जिसका डिजायन और निर्माण भारत में किया गया है, अब खतौली इंजनियरी कारखाना, खतौली से तैयार होकर बाहर आया है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के इंजनों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है और देश में आयात किये हुए विद्यमान इंजनों में से अधिकांश इंजन अपनी सेवा की अवधि पूरी कर चुके है और उनकी मांग बहुत बढ़ रही है; और

(ग) इस मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) सरकार को कोई भी जानकारी नहीं है ।

(ख) इनके बनाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है । हल्के डीज़ल इंजनों की मांग का अभी तक पता नहीं लगाया गया है ।

(ग) जमशेदपुर की मेसर्स टाटा लोकोमोटिव इंजीनियरिंग कम्पनी ही एक ऐसी फर्म है जिसने 150 अश्वशक्ति के डीजल शंटर बनाने का काम प्रारम्भ किया है । इसे अभी तक 80 प्रतिशत तक देशी हिस्से बनाने में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो चुकी है ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

3760. श्री शशिरंजन :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या उद्योग मंत्री 25 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 977 तथा 1087 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी डी० टी० 14 बी० ट्रैक्टरों के निर्माण की योजना स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं, जब कि इन ट्रैक्टरों का परीक्षण किया जा चुका है तथा उन्हें भारत की परिस्थितियों में उपयुक्त पाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में 14/20 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों की वर्तमान वार्षिक मांग लगभग 15,000 ट्रैक्टर है तथा यह अनुमान है कि 1970 तक यह मांग 30,000 ट्रैक्टरों की हो जायेगी और यदि हां, तो इस मांग की पूर्ति करने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावित योजना में सरकार रायल्टी देने के लिये सहमत है, जब कि डी० टी० 14 बी० ट्रैक्टरों के निर्माण की सहयोग योजना में ऐसी कोई मांग नहीं है तथा अस्थगित रुपया भुगतान के आधार पर निर्माण करने का पूरा संयंत्र फौरन सप्लाई करने की पेशकश अभी कायम है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : 1970-71 तक 20 अश्व शक्ति तक के ट्रैक्टरों की मांग का अनुमान 12,000 लगाया गया है । इस मांग को सब से कम खर्च में पूरा करने का तरीका यह है कि उनका उत्पादन एक ही परियोजना में किया जाय । इसके अनुसार ऐसी परियोजना की स्थापना सरकारी क्षेत्र में करने का विचार है ।

इस कार्य के लिये जिस ट्रैक्टर का चयन किया गया है वह चैक-जेटर 2011 है । इसकी परीक्षा कर ली गई है और इसे भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पाया गया है । जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 977 के उत्तर में बताया जा चुका है । भारत सरकार ने चैकोस्लोवाकिया की सरकार के साथ आर्थिक सहयोग सम्बन्धी एक दूसरा समझौता पहले ही कर लिया है जिसमें प्रस्तावित ट्रैक्टर कारखाने की स्थापना के लिए चैकोस्लोवाकिया की सरकार द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता देना सम्मिलित है । चूंकि इसी प्रकार के ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए एक अन्य कारखाने की स्थापना करना वांछनीय नहीं होगा । अतः रूस के डी० टी० 14 बी० ट्रैक्टर के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सम्बन्धित चैक एजेन्सी के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समझौता कर लिया गया है । उत्पादन के लिए तकनीकी सहयोग की शर्तों पर अभी पत्र-व्यवहार किया जाना है ।

Sale of H. M. T. Watches to M. Ps.

3761. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Members of Parliament have to experience much difficulty and delay in getting H. M. T. watches; and

(b) if so, the steps Government propose to take in this regard?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) Representations have been received from some Members of Parliament on a few occasions about the difficulty they had experienced in getting H. M.T. watches.

(b) H. M. T.'s Watch Factory is working at almost half its rated capacity owing to non-availability of sufficient foreign exchange for import of essential components and raw materials. It is not, therefore, possible to meet the entire demand which is constantly increasing. H. M. T. sells watches on "first come first served" basis. In view of the acute shortage of watches, that the general public are facing it is not possible to make any special arrangements for supply of H. M. T. watches to Members of Parliament.

Cottage Industries in Rajasthan

3762. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the schemes formulated by Government for encouraging cottage industries in Rajasthan during 1966-67; and

(b) the amount which would be spent on these schemes during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) and (b). The informaton is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

जर्मनी के सहयोग से इस्पात कारखाने

3763. **श्री दशरथ देव :** क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के उप-क्षेत्रीय व्यापार प्रतिनिधि श्री अंद्रेज रेन ने हाल में पटना में कहा था कि उनका देश आधुनिकतम इस्पात संयंत्र तथा महासागरों में चलने वाले जहाजों के लिए जनित्र (जैनेरेटर) स्थापित करने में भारत की सहायता करने के लए तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मालाबार में रबड़ की खेती

3764. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में रबड़ की खेती के लिये गैर-सरकारी बनों की 50,000 एकड़ भूमि अर्जित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि अर्जित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) भारत सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रबड़ अनुसंधान केन्द्र, कोट्टायम

3765. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टायम के रबड़ अनुसन्धान केन्द्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो चवथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कितनी राशि नियत की जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में रबड़ अनुसन्धान संस्थान, जिसमें उसका विस्तार स्कन्ध भी शामिल है, के विस्तार पर लगभग, 30 लाख रु० की राशि खर्च होने की सम्भावना है ।

Export of Wine

3766. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that "Kesar-Kasturi" and "Jagmohan" brands of wine of Shriganganagar and 'Asha' wine of Udaipur distillery, Rajasthan are very much in demand in foreign countries; and

(b) if so, the steps taken by Government to export these types of wines with a view to earn foreign exchange?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) The Government is not aware of it.

(b) Does not arise.

Saw Dust Industry

3767. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some scientists of Poland have assured to give some assistance for establishing a saw-dust industry in India; and

(b) if so, when and to what extent?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) Government are not aware of any such offer for assistance from Polish scientists.

(b) Does not arise.

रबड़ बोर्ड

3768. **श्री मणियांगाडन :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबड़ बोर्ड ने बोर्ड के कर्मचारियों के लिये पेंशन एवं उपदान की योजना बनाने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो योजना की सिफारिश कब की गई थी ;

(ग) क्या योजना को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) योजना को मंजूर करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : रबड़ बोर्ड ने 1962 में अपने कर्मचारियों के लिये पेंशन एवं उपदान की एक योजना का प्रस्ताव किया था। यह योजना सरकार ने 1963 में सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर ली थी। योजना का विस्तृत ब्यौरा भी तैयार कर लिया गया है और गजट में आवश्यक अधिसूचना भी शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जायेगी। विस्तृत ब्यौरा तैयार करने में जो विलम्ब हुआ है उसका कारण कुछ असाधारण कानूनी कठिनाइयां थीं जिन्हें योजना की औपचारिक रूप से सूचना निकालने से पहले दूर करना आवश्यक था।

नंगल डैम में माल-डिब्बों की मरम्मत करने की वर्कशाप

3769. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक कारखाने के लिए नंगल डैम में भजे गए माल डिब्बों की जांच नहीं की जाती और वे प्रतिदिन खाली अवस्था में मरम्मत के लिए पुन: अम्बाला भेजे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन खाली माल-डिब्बे चलाकर यह हानि करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार की हानि को रोकने के लिए नंगल डैम में माल-डिब्बों की मरम्मत करने के लिए एक छोटी वर्कशाप स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) खाली मालडिब्बों की वापसी से नुकसान का सवाल नहीं उठता। जिन बन्द खाली डिब्बों का उपयोग नांगल डैम पर उर्वरकों के लदान के लिए नहीं किया जाता, उनका उपयोग नांगल डैम और सरहिन्द के बीच के स्टेशनों से भाभर घास के लदान के लिए कर लिया जाता है।

(ग) जी नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है।

विदेशों में प्रदर्शन कक्ष

3770. श्री विश्राम प्रसाद : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से जाकर्ता, मनीला, तेहरान तथा खारतूम में बहुत से प्रदर्शन कक्ष खोल रखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रदर्शन कक्षों पर 1962 से कतना खर्च किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) उल्लिखित स्थानों में से प्रत्येक में एक-एक प्रदर्शन कक्ष बनाये रखा जा रहा है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6058/66।]**

खान मालिकों द्वारा लोह अयस्क का भेजा जाना

3771. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंहभूम तथा क्योंझर के खान मालिको ने भारत के खनिज तथा धातु व्यापार निगम सीमित को लोह अयस्क भेजना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका (1) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के इस्पात कारखानों (2) लौह अयस्क के निर्यात व्यापार तथा (3) विदेशी मुद्रा की कमाई पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) स्थिति को सामान्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : 1965 के अन्त में निजी क्षेत्र की एक इस्पात मिल ने सरकारी क्षेत्र की इस्पात मिलों तथा निर्यात के लिए प्राप्त किये जा रहे सम्भरण की कीमतों की तुलना में अधिक ऊंची कीमतों पर कुछ खान मालिकों से संविदे किये। परिणाम-स्वरूप परवर्ती कीमतों में भी वृद्धि करने के लिए खान-मालिकों द्वारा मांग की गई। 1-1-66 से से निर्यात अयस्क के लिए कीमत में कुछ वृद्धि कर दी गई है और सामान्य रूप से खान मालिकों ने अपने संभरण जारी रखे हैं। किन्तु खान-मालिकों के एक वर्ग ने, मूल्य को और अधिक बढ़ाने पर जोर देना जारी रखा और मार्च के दौरान संभरण करना बन्द कर दिया। किन्तु इस का निर्यात अथवा इस्पात मिलों के लिए किये जाने वाले संभरणों पर प्रभाव नहीं पड़ा जिन्होंने कुछ प्रत्यक्ष खरीदें भी की हैं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम और सरकारी क्षेत्र की इस्पात मिलें व्यापार से सम्पर्क बनाये हुए हैं ताकि संभरण जारी रहने का विश्वास दिलाया जा सके।

कारों का निर्माण

3772. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री लीलाधर कटकी :

श्री रा० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने में निर्मित इस्पात की कारों के निर्माण के लिये उपयोग में लाया जा सकता है ; ओर

(ख) यदि हां, तो इस से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा निर्मित इस्पात की कुछ किस्मों का इस्तमाल कारें बनाने में पहले से ही किया जा रहा है। कारों की बॉडी बनाने वाली चादरों तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं का भी विकास किया जा रहा है।

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा मोटर गाड़ी उद्योग को चालू वर्ष में 2 करोड़ रु० के मूल्य का संभरण किया जायेगा।

रेलवे कर्मचारी

3773. **श्री युद्धवीर सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे में कितने स्टेशन ऐसे हैं, जहां पर स्टशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों, चीफ बुकिंग क्लर्कों, चीफ पार्सल क्लर्कों अथवा चीफ गुड्स क्लर्कों का वेतन-क्रम एक ही है ;

(ख) प्रत्येक रेलव में ऐसे कितने स्टेशन हैं जहां पर स्टेशन मास्टर रेल गाड़ियों को स्टेशन पर लेने और वहां से भेजने का काम करते हैं तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारी, जैसे चीफ गुड्स क्लर्क, चीफ पार्सल क्लर्क, चीफ बुकिंग क्लर्क अथवा हैड ट्रैफिक क्लर्क केवल पर्यवेक्षक कर्मचारी हैं ; और

(ग) प्रत्येक रेलवे में और प्रत्येक डिवीजन में ऐसे कितने स्टेशन हैं, जहां पर स्टेशन मास्टरों का वेतन-क्रम उनके चीफ गुड्स क्लर्कों, चीफ पार्सल क्लर्कों, चीफ बुकिंग क्लर्कों अथवा हैड ट्रैफिक क्लर्कों से कम है तथा इस का रेलवे के कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

3774. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या उद्योग मंत्री 26 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1387 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल के उस इंजीनियर के सम्बन्ध में जिस की भारी हथौड़े की चोट के फलस्वरूप मृत्यु हो गई थी, पुलिस जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी, हां।

(ख) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० के 'बी' ग्रेड के एक कारीगर के विरूद्ध पुलिस ने 22 नवम्बर, 1965 को भोपाल के जिला और सेशन न्यायालय में एक आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियुक्त 28 जनवरी, 1966 को न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था।

Hindi Stenographers in Railway Departments

3775. **Shri Rajdeo Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint Hindi Stenogrphers in such Railway Offices as are having 60 per cent or more Hindi-knowing staff; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). In accordance with the Government's policy, the existing stenogrphers in Railway Offices are being trained in Hindi Stenography also. They will be utilised for stenographic work in Hindi as required. At present there is one post of Hindi Stenographer in the Ministry of Railways and two posts on Northern Railway.

Training in Hindi Typing and Hindi Shorthand

3776. **Shri Raj Deo Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether arrangements have been made in the Railway Offices for teaching Hindi and giving training in Hindi Typewriting and Hindi Shorthand at the Departmental level, where such arrangements have not been made by the Ministry of Home Affairs; and

(b) if not, the manner in which this programme will be completed within the period stipulated by the orders of the President ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). Departmental arrangements for teaching Hindi have been made at a number of stations where facilities for training have not been provided by the Ministry of Home Affairs. Besides, departmental classes for training in Hindi typewriting and Hindi shorthand have been organised at Ajmer and for training in

Hindi type-writing at Kota, Jaipur and Baroda on the Western Railway. The question of providing facilities for such training at certain other stations jointly for the staff of the Railways and the Posts and Telegraph Department is also being examined.

Officers on Zonal Railways

3777. **Shri Rajdeo Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the total number of:—

(i) Metric Officers;

(ii) Efficiency Officers ;

(iii) Emergency Officers; and

(iv) Hindi Officers appointed on various Zonal Railways at present ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (i) 11

(ii) 14

(iii) 8

(iv) Nil.

Explosion at Kotah Junction

3778. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two railway employees were injured in January, 1966 at Kotah Junction while a passenger train bound for Baroda was leaving Kota Juntion when some explosive material was hammered under a bridge at a crossing when the train was passing over it; and

(b) if so, the details of the incident?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). No such explosion occurred in January, 1966 but on 12-3-66 a cracker exploded on Kotah station platform No. 2, causing slight injuries to two railway employees. They were treated in the Railway Hospital. Police investigation is in progress.

Milk Vendors

3779. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yudhvir Singh :
Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 500 milk vendors coming from outside Delhi staged a demonstration before his residence and before the residence of the Minister

NOTE.—Generally, the work of Hindi Section is entrusted to other officers as part of their duties.

of State in the Ministry of Home Affairs and demanded that the timing of 2 ATD train leaving Delhi at 8·50 A. M. should be changed to 7·00 A. M.;

(b) whether they also complained that the Controller at Tundla allows the trains to depart late just to harass them; and

(c) the steps taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) In the time table in force from 1-4-1966, 2 ATD Passenger has been given an earlier departure by 20 minutes ex-Delhi. A still earlier departure was not operationally feasible, nor will it be convenient to all the users. Every effort is being made to ensure punctual running of this and other trains used by the Milk Vendors.

Investigation of the alleged complaint against the Train Controller at Tundla in reference to an incident at Maripat station on 11-3-1966 has shown that the action of the Controller on duty was justified.

Railway Guards in Ratlam Division

3780. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Yudhvir Singh:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that only those Guards who have to deal with public or money are transferred after every five years;

(b) whether it is also a fact that this rule does not apply in case of 'B' scale guards in Ratlam Division; and

(c) if so, the reasons for which they are transferred?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

दिल्ली रेलवे स्टेशन का पूछताछ कार्यालय

3781. श्री बूटा सिंह:
श्री गुलशन:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन के पूछताछ कार्यालय में बड़ी संख्या में टेलीफोन आते हैं;

(ख) क्या वहां केवल पांच टेलीफोन हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पांच वर्ष पहले पांच और टेलीफोनों की मंजूरी दी गई थी परन्तु वे अभी तक नहीं लगाये गये है ; और

(घ) यदि ह तो इस के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता । फिर भी, दिल्ली जंक्शन स्टेशन पर पूछताछ और आरक्षण दोनों कार्यालयों के लिए टलीफोन की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर रेल प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

केरल में लघु ढलाई-घर

3782. **श्री वारियर** :

श्री वासुदेवन नायर :

श्री केप्पन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के पंजीकृत लघु ढलाई-घरों में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : छोटे उद्योगपतियों और उनके कर्मचारि ों को ढलाई पद्धति में प्रशिक्षण देने की सुविधायें भारत सरकार के उत्पादन केन्द्र, एत्तुमानूर (केरल राज्य) में उपलब्ध हैं । इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि छः मास है तथा प्रशिक्षणार्थियों को 40 रु० प्रति मास छात्रवृत्ति दी जाती है । चालू वर्ष में साठ प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने का विचार है ।

खोपरे का आयात

3783. **श्री वारियर** :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के तेल मिल मालिकों से खोपरे के आयात के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यावेदन में गैर अनुसूचित क्षेत्र के तेल मिलों को खोपरे का आवंटन करने के लिये आधारभूत अवधि 1964 तक बढ़ा देने का जो सुझाव दिया गया था उसे स्वीकार कर लिया गया है । भविष्य में राज्य व्यापार निगम की मार्फत स्वयं उपभोक्ताओं को जब कभी आयातित खोपरे का आवंटन किया जायेगा तो उसका हिसाब बढ़ी हुई आधारभूत अवधि के आधार पर उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार अनसूचित मिलों के बारे में किया जाता है ।

निर्यात संवर्धन परिषदें

3784. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन परिषदों और पण्य समितियों के प्रधानों तथा मन्त्रियों का सम्मेलन 21 मार्च, 1966 अथवा उसके आसपास दिल्ली में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में यदि कोई सिफारिशें की गई है तो क्या ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) निर्यात संवर्द्धन परिषदों के अध्यक्षों और सचिवों की एक बैठक 21 मार्च, 1966 को दिल्ली में हुई थी।

(ख) यह उन बैठकों में से एक थी जो समय समय पर हुआ करती हैं और जिनमें निर्यात संवर्द्धन परिषदों द्वारा अनुभव की जाने वाली उन कठिनाइयों पर विचार किया जाता है जो निर्यात बढ़ाने के लिये विभिन्न योजनाएं अमल में लाने में उपस्थित होती है। बैठक की मुख्य सिफारिश इस प्रकार हैं :—

(1) कपड़ों के अलावा उन वस्तुओं के विषय में विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये जिनका एक विशिष्ट अभिकरण के माध्यम से पश्चिमी यूरोप को पर्याप्त परिमाण में निर्यात किया जाने लगे ।

(2) एक ऐसी समिति नियुक्त की जाय जो प्रशुल्क वापसी की प्रणाली को संक्षिप्त करे और प्रशुल्क करों में परिवर्तन होने के साथ वापसी की दरों में भी अपने आप विनियमन कर देने की व्यवस्था करे ।

(3) पूर्ण संयन्त्रों का निर्यात करने के लिये एक संघ बनाया जाय।

(4) निर्यात संवर्द्धन परिषदों को चाहिये कि वे निर्यातकों/निर्माताओं को उपलब्ध ला ों के विषय में समझाने के लिये महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में विचार गोष्ठियों गौर परिसंवादों का आयोजन करें और बाद में व्यापार चेम्बरों आदि स्थानीय अभिकर ों द्वारा इस सम्बन्ध में काम जारी रखें ।

(5) भारतीय चल चित्र निर्यात निगम के माध्यम से कुछ क्षेत्रों को भारतीय फिल्मों का निर्यात करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये ।

चावल की भूसी से तेल निकालना

3785. श्री दशरथ देव : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में चावल की भूसी से तेल निकालने के सम्बन्ध कोई प्रयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में औद्योगिक बस्ती

3786. श्री दशरथ देव : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में इस समय तक कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं ;

(ख) उनमें कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ औद्योगिक बस्तियों, विशेषतः त्रिपुरा के अरुन्धती नगर में स्थित औद्योगिक बस्ती का इस समय ह्रास हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) दो ।

(ख) 30-9-1965 तक हुई प्रगति निम्न प्रकार थी :—

बस्ती का नाम	कारखानों के शेड पूरे हो गये	कब्जा किये गये	काम कर रहे	काम कर रहे एकक	रोजगार	अर्द्धवार्षिक उत्पादन
						रु०
अरुन्धतीनगर जिला अगरतला .	19	18	14	14	170	4,78,560 (14 एककों द्वारा बताया गया)
उदयपुर . (त्रिपुरा) .	14	6	5	2	46	32,000 (दो एककों द्वारा बताया गया)

(ग) और (घ) : त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में प्लाईवुड और वेनियरिंग मिलें

3787. **श्री दशरथ देव:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में सरकार द्वारा प्लाईवुड और वेनियरिंग मिलें खोली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी मिलें खोली गई ; और

(ग) इन पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : सरकार ने त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र में ऐसी कोई भी मिलें स्थापित नहीं की हैं। फिर भी शांतिबाजार, त्रिपुरा में 180 लाख वर्ग फीट प्रतिवर्ष के हिसाब से व्यापारिक प्लाईवुड बनाने के लिए एक प्राइवेट पार्टी की योजना को अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस दे दिया गया है ।

लुग्दी-कागज निगम

3788. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक लुग्दी-कागज निगम बनाने के बारे में निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : देश में लुग्दी-कागज/अखबारी कागज उद्योग का विकास करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कागज निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मैसूर राज्य में रेलवे पुल

3789. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में तितपुर नगर में स्थित वर्तमान रेलवे फाटकों के स्थान पर उन फाटकों के निकट दो रेलवे पुल—एक निचला पुल और दूसरा ऊपरी पुल बनाने के लिए सरकार को बार बार अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) क्या मैसूर सरकार उक्त पुलों के सड़क निर्माण कार्य सम्बन्धी काम को आरम्भ करने के लिए तैयार है ;

(ग) इन निर्माण कार्यों पर कितना खर्च होने का अनुमान है और इन अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) ये निर्माण कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) जी हां।

(ख) अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(ग) नियमानुसार रेल प्रशासन खर्च का अनुमान तैयार करने का काम तभी हाथ में ले लेते हैं जब सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा कोई योजना प्रायोजित की जाती है। इसलिए खासतौर पर इन पुलों के सम्बन्ध में आये हुए अभ्यावेदनों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है लेकिन शिकायत करने वालों को यह बता दिया गया है कि इन योजनाओं को प्रायोजित करने के लिए वे राज्य सरकार को कहें।

(घ) सवाल नहीं उठता।

श्री भारती कपड़ा मिल, पांडिचेरी

3791. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी के श्री भारती कपड़ा मिल के काम-काज की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकार उक्त मिल को अपने अधिकार में लेकर उसको स्वयं चलाये ; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

अर्जनतीना के साथ व्यापार करार

3792. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामपुरे :
श्री फिरोडिया :
श्री राम हरख यादव :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत तथा अर्जनतीना के बीच एक व्यापार करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) उस देश से किन वस्तुओं का आयात किया जायेगा और उस देश को कौन सी वस्तुएं निर्यात की जायेंगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। भारत तथा अर्जनतीना के बीच 26 मार्च, 1966 को एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ख) इस करार में दोनों देशों के मध्य व्यापार, टैरिफ और जहाजरानी के विषय में एक दूसरे के प्रति अत्यन्त अनुकूल राष्ट्र जैसा व्यवहार करने की व्यवस्था की गई है। दोनों देशों के मध्य व्यापार का विकास और विस्तार करने के लिए समय समय पर परामर्श करने की भी करार में व्यवस्था की गई।

(ग) दोनों देशों से निर्यात के लिए उपलब्ध सूचियों का शीघ्र ही आपस में विनिमय किया जायगा।

पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात

3793. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी यूरोपीय तथा समाजवादी देशों को बहुत सी वस्तुओं का अब उतना ही निर्यात किया जा सकता है जितना कि 1964-65 में किया जाता था ; और

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुएं कौन-कौन सी हैं और उन का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : 1965 में खराब फसल होने के कारण 1966 में कुछ कृषि वस्तुओं, जैसे कि तेल की खली, चाय, चावल, दालें, तेल तथा तेलहन, काजू की गिरियां, तम्बाकू तथा काफी, के अधिक उंचे निर्यात लक्ष्य रखना सम्भव नहीं है। पूर्वी यूरोप के सभी दशों ने 1966 में अधिक ऊंचे निर्यात लक्ष्य रखने के बारे में हमारी कठिनाइयों को महसूस किया है और इस नीति को स्वीकार कर लिया है।

Conference of Railway Coolies

3794. Shri Brij Raj Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhaivya :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a conference of Railway Coolies was held on the 27th and 28th March, 1966 and a memorandum was submitted to Government; and

(b) if so, the nature of their demands and the decision taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Neither the Government are aware of any such conference having been held, nor have they received any memorandum so far.

(b) Does not arise.

Conference of General Managers of Steel Plants

3795. **Shri Rameshwaranand: Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Onkar Lal Berwa: Shri Brij Raj Singh:**

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a two-day conference of the General Managers of Public Sector Steel Plants was held on or about the 27th March, 1966; and

(b) if so, the subject discussed therein?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh): (a) A meeting was held on the 26th March at Calcutta, under the chairmanship of the Secretary, Ministry of Iron and Steel, at which General Managers of the Public Sector and Private Sector Steel Plants, representatives of the Commerce Ministry, Hindustan Steel Ltd., and others were present.

(b) The pattern of production and possibilities of export of steel in 1966-67 were discussed in this meeting.

भटिंडा जंक्शन पर प्लेटफार्म पर सायबान (शैड)

3796. **श्री गुलशन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भटिंडा जंक्शन में यात्रियों के लिए किन-किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ प्लेटफार्मों पर कोई भी सायबान (शेड) नहीं है और यात्रियों को चिलचिलाती गर्मी में खड़ा रहना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) भटिंडा जंक्शन स्टेशन पर यात्रियों के लिए निम्न लिखित सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है—पक्के प्लेटफार्म, प्लेटफार्मों पर छतें, तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय, पहले और दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, विश्रामालय, विभिन्न प्लेटफार्मों को मिलाने वाले ऊपरी पैदल पुल, पूछताछ कार्यालय, उपाहार गृह, प्लेटफार्मों पर बेंचें, जलशीतक, शौचालय और स्नानघर आदि।

(ख) जी नहीं। कुछ प्लेटफार्मों पर छतें नहीं हैं यह बात सही नहीं है लेकिन कई प्लेटफार्मों पर पूरे क्षेत्र में छत नहीं है।

(ग) फिरोजपुर की ओर के मुख्य बड़ी लाइन के प्लेटफार्म पर 1500 वर्गफुट में और मीटर लाइन प्लेटफार्म के 3000 वर्गफुट में हाल ही में छत लगायी गयी हैं। मीटर लाइन और बड़ी लाइन के मिले जुले प्लेटफार्मों के लिए 1500 वर्ग फुट में अतिरिक्त छत लगाने की मंजूरी दे दी गयी है।

पंजाब मेल

3797. **श्री गुलशन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में 'पंजाब मेल' भटिंडा स्टेशन पर कितने दिन ठीक समय पर पहुंची और कितने दिन देर से पहुंची ; और

(ख) भटिंडा में 'पंजाब मेल' के देर से पहुंचने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1965 में बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस से फिरोजपुर जाने वाली नं० 37 पंजाब मेल भटिंडा स्टेशन पर 145 दिन ठीक समय पर और 220 दिन देर से पहुंची और फिरोजपुर से बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस जाने वाली नं० 38 पंजाब मेल भटिंडा स्टेशन पर 318 दिन ठीक समय पर और 47 दिन देर से पहुंची।

(ख) गाड़ियों के देर से पहुंचने के कारण इस प्रकार हैं—मई, जून और सितम्बर, 1965 में आपाती यातायात बहुत अधिक बढ़ जाना, भारी वर्षा के कारण लाइनों का टूट-फूट जाना, गाड़ियों की रफ्तार पर पाबन्दी लगाना, खतरे की जंजीरे खींचना, कुहरे वाला मौसम और परिचालन सम्बन्धी अन्य कठिनाइयां, जैसे दुर्घटनाएं, सिगनलों और कांटों की खराबी आदि।

रेलवे के पुर्जों तथा सामान का निर्माण

3798. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री रामपुरे :
श्री फिरोदिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के निजी उद्योगपतियों से रेल के वे पुर्जे तथा सामान, जिनका इस समय आयात किया जाता है, बनाने के लिये कहा है ;

(ख) क्या सरकार ने उद्योगपतियों को इस सम्बन्ध में कोई सहायता तथा प्रोत्साहन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति उद्योगपतियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : एक विवरण नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 6059/66।]**

चाय बोर्ड

3799. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर 1965 में चाय बोर्ड के बहुत से कर्मचारियों पर दोषारोपण किया गया था और कुछ अन्य कर्मचारि मुअत्तिल किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे ;

(ग) कितने कर्मचारियों पर मुकदमें चलाये जा रहे हैं और कितने व्यक्ति यों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) प्रत्येक मामला अब किस स्थिति में है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) घोर अवचार तथा अनानुशासन के कारण।

(ग) इन कर्मचारियों में से किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

(घ) मुअत्तिल किये गये 10 कर्मचारियों के विरुद्ध औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 6-1-1966 से विभागीय जांच हो रही है।

दोषारोपित किए गए अन्य 25 व्यक्तियों के मामले, जोकि मुअत्तिल नहीं किए गए हैं, मुअत्तिल किए गए 10 कर्मचारियों के विरुद्ध जांच समाप्त हो जाने के पश्चात, प्रारम्भ किये जायेंगे।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लुमडिंग-मरियानी सेक्शन पर माल गाड़ी का पटरी पर से उत्तर जाना

3800. श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्रीमती रेणुका बडकटकी

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 मार्च, 1966 को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लुमडिंग-मरियानी सेक्शन पर विद्रोही नागाओं की प्रत्यक्षतः तोड़-फोड़ की कार्यवाही के कारण एक एक्सप्रेस मालगाड़ी पटरी पर से उतर गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यह सच है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रेलवे लाइन से दो फ़िश प्लेट हटाये जाने के कारण, 22 मार्च, 1966 को (न कि 23 मार्च, 1966 को), रात में लगभग 9 बजकर 45 मिनट पर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के चोंगाजान और नावोजान स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस मालगाड़ी नं० 905 अप पटरी से उतर गयी थी।

(ख) डीमापुर की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126-ए के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन की जा रही है। उस क्षेत्र में सुरक्षा के उपाय भी मजबूत कर दिये गये हैं।

पंजाब में बिना जोड़ की ट्यूबों का निर्माण

3801. श्री किन्दर लाल:
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिना जोड़ की टयुबो क निर्माण के लिये पंजाब में एक परियोजना स्थापित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित की जायेगी ; और

(ग) उस पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब में इसके स्थान के बारे में अभी निश्चय नहीं किया गया है।

(ग) लगभग 9 करोड़ रु०।

तैयार खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन योजना

3802. **श्री गुलशन :**

श्री प० हु० भील :

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में तैयार खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत विभिन्न समवायों के आयात करने के आदेश में कोई कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; **और**

(ग) क्या सरकार को प्रभावित समवायों से अभ्यावेदन मिले हैं ; यदि हां, तो उनका निपटारा किस प्रकार किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोई नहीं।

मैसूर में ट्रैक्टरों का निर्माण

3803. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मसूर राज्य में ट्रैक्टर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो कारखाना कब स्थापित हो जायेगा ; और

(ग) उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या): (क) मेसूर राज्य में बिजली से चलने वाले हल बनाने के लिये एक नया उपक्रम स्थापित करने के हेतु एक योजना के लिये स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) इस कारखाने के 1967 में स्थापित हो जाने की संभावना है।

(ग) इस योजना पर 1 करोड़ रु० लागत लगने की संभावना है।

कुर्सेला रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

3804. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के कटिहार-बरौनी सेक्शन पर कुर्सेला रेलवे स्टेशन पर 29 मार्च, 1966 को एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम नाथ) : (क) यह दुर्घटना कटरिया और कुर्सेला स्टेशनों के बीच हुई।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 3500 रु० की क्षति का अनुमान है।

आयात नीति

3805. **श्रीमती अकम्मा देवी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वर्ष 1966-67 की आयात नीति के बारे में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस नीति की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं तथा उस नीति के अन्तर्गत इस बात के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है कि देश में उद्योग द्वारा पूरी क्षमता से उत्पादन करने के लिये अपेक्षित कच्चे माल तथा आवश्यक पुर्जों की नियमित तथा समय पर सप्लाई की जाय तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन में जितनी वृद्धि करने का निश्चय किया गया है उतनी वृद्धि की जा सके; और

(ग) उस वर्ष में इस नीति का व्यापार सन्तुलन स्थिति पर क्या प्रभाव होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। आयात नीति की घोषणा 30 मार्च, 1966 को की गई थी।

(ख) इस नीति की मुख्य विशषताएं तथा अन्य ब्यौरा नीति की घोषणा करने वाली प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30 मार्च, 1966 तथा सार्वजनिक सूचना सं० 41-आई० टी० सी० (पी एन)/66 और सं० 47-आई० टी० सी० (पी एन)/66 क्रमशः दिनांक 30 मार्च, 1966 एवं 7 अप्रैल, 1966 में दी गई हैं।

(ग) 1966-67 की व्यापार सन्तुलन स्थिति हमारे द्वारा किये गये निर्यात कार्य पर निर्भर होगी।

निर्यात के सम्बन्ध में प्रदर्शनी

3806. **श्रीमती अकम्मा देवी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग के अधिवेशन के साथ साथ 22 मार्च, 1966 को निर्यात के सम्बन्ध में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था;

(ख) प्रदर्शनी में कितनी परिषदों तथा संस्थाओं ने भाग लिया; और

(ग) प्रदर्शनी के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) 28 संस्थाओं ने, जिनमें निर्यात संवर्धन परिषदें, वस्तु बोर्डें, राज्य व्यापार संगठन आदि शामिल थे, भारतीय निर्यात उत्पाद प्रदर्शनी में भाग लिया।

(ग) इकाफे सत्र में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों/पर्यवेक्षकों को भारत के विभिन्न प्रकार के निर्यात योग्य माल से मुख्यत: परिचित कराने के लिये इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इकाफे सत्र के दौरान अर्थात् 22-3-66 से 4-4-66 तक बहुत से दर्शक, जिनमें इकाफे के प्रतिनिधि, भारत स्थित विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि, संसद सदस्य, व्यापारी तथा अन्य इच्छुक व्यक्ति शामिल थे, प्रदर्शनी को देखने आये। दर्शकों ने यह विचार व्यक्त किया है कि प्रदर्शनी बहुत ही शिक्षाप्रद थी और वे प्रदर्शनी में रखे गई बहुत सी नयी वस्तुओं की किस्म और विविधता से प्रभावित हुये। कुल मिलाकर इसने अनुकूल प्रभाव डाला है।

केन्द्रीय रेशन बोर्ड

3807. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसूर सरकार ने प्रार्थना की है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मुख्यालय को बम्बई से हटा कर बंगलौर में भेज दिया जाना चाहिये क्योंकि 80 प्रतिशत रेशम का उत्पादन मैसूर राज्य में होता है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात की नालियों का निर्यात

3808. **श्री फिरोडिया** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की नालियों के निर्यात के बारे में आस्ट्रेलिया सरकार के साथ सरकार ने बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, नहीं। इस्पात की नालियों में आस्ट्रेलिया द्वारा दिलचस्पी ली जाने पर रूरकेला इस्पात कारखाने ने लोहा तथा इस्पात मन्त्रालय की मार्फत आस्ट्रेलिया स्थित हमारे हाई कमिश्नर को अपेक्षित इस्पाती नलिकाओं के विवरण, मूल्य और माल देने की समय अनुसूची सूचित कर दी थी। परन्तु तब से इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

इस्पात की पटरियों का निर्यात

3809. **श्री फिरोडिया** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात की पटरियों को बेचने के लिये ईरान की सरकार से बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : इस्पात की पटरियों की बिक्री के बारे में भारत सरकार ने ईरान सरकार से कोई बात-चीत नहीं की है। एक भारतीय फर्म ने ईरानी स्टेट रेलवेज़ को 30,000 टन इस्पात की पटरियों का सम्भरण करने के लिए एक टेण्डर भेजा था। उनका टण्डर सबसे कम मूल्य का था परन्तु पटरियों की लम्बाई वांछित विशिष्टियों के अनुसार न होने के कारण वे आडर नहीं ले सके। इस के लिए फिर से टेण्डर मांगे जाएंग।

पम्पों का आयात

3810. **श्री फिरोडिया** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पम्प निर्माता संस्था ने पम्पों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) पुराने आयातकों द्वारा पम्पों का आयात किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा ऐसे पम्पों के आयात के लिये दिये जाने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाता है जिनका दश में निर्माण नहीं होता और प्रायोजक अधिकारी जिनकी सिफारिश करते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(एक) सियालकोट सीमा से भारतीय सेना के पीछे हटाये जाने के समाचार

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I had given notice of this Calling Attention on the 7th instant whereas it is being taken up on the 15th instant. I want to know the reasons for this abnormal delay.

Mr. Speaker : He raised similar objection yesterday also. I have looked into it. The concerned Ministry takes one or two days in furnishing the facts. 8th, 9th and 10th were holidays. On the 11th and 12th there were other Calling Attention notices on the order paper. Again 13th being a holiday, the hon. Members' Calling Attention notice was put on the order paper of 14th instant.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Two Calling Attention notices could have been taken up keeping in view of its importance.

Mr. Speaker : In the end, not now.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपने कुछ समय पहले कहा था कि बहुत सी ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। मैं यह मानता हूं कि वे सारे के सारे महत्वपूर्ण नहीं होते। परन्तु जब आप यह महसूस करें कि ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं वास्तव में महत्वपूर्ण हैं तो क्या आप ऐसी सूचनाओं के लिये कुछ दिन निर्धारित करने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसी अवस्था में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। मैं माननीय मंत्री को सभा पटल पर विवरण रखने के लिये कह सकता हूं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiaya : Sir, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon.

"Reported withdrawal of Indian troops from the Sialkot Border"

रक्षा मंत्री (श्री वाय० बी० चव्हाण) : ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत दोनों देशों के सशस्त्र सैनिकों को 25 फरवरी, 1966 तक उन ठिकानों पर वापस जाना था जहां पर वे 5 अगस्त, 1965 को थे। सेनाएं विधिवत् पीछे हटा ली गई थीं।

पाकिस्तान के जिला सियालकोट और भारतीय राज्य के जम्मू तथा काश्मीर के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर छोटे छोटे तीन क्षेत्रों के बारे में, जिनका कुछ क्षेत्रफल लगभग 36 एकड़ है, कुछ मतभेद था। तदनुसार, भारत के चीफ आफ आर्मी स्टाफ तथा पाकिस्तानी आर्मी के सी०-इन-सी० के बीच हुए समझौते की व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय कमांडरों द्वारा इस मामले पर विचार किया गया और ठिकानों में जो कुछ समायोजन करना आवश्यक था वह कर दिया गया।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : According to the position as on the 15th August, 1947 this area falls in our territory. Then why Government have agreed to the withdrawal of our forces from that area and its occupation by Pakistani forces. We say that is our territory and Pakistan also claims it. The Pakistani forces should not be allowed to occupy that area by terming it as a disputed area. Keeping this in view, will Government show that map to the Members of Parliament as to what was the position on the 15th August? Are Government prepared to take a delegation of members there to explain the whole thing?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में इन दो भिन्न स्थितियों को समझना चाहिये। अब जो कार्यवाही की गई है वह ताशकन्द समझौते के अनुसरण में की गई है और लगान संबंधी कागजात के अनुसार यह 36 एकड़ भूमि हमारी सीमा में पड़ती है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। यह कार्यवाही विवाद के किसी कानूनी समझौते के आधार पर नहीं की गई है। 5 अगस्त 1965 से पहले जो स्थिति थी उसके अनुसार सेना हटायी जानी है और वही हम कर रहे हैं।

Shri Bade (Khargone) : May I know whether it is a fact that many officers were killed there and then the commanders of both sides held a discussion and they came to the conclusion that it is a disputed land? After that President Ayub made a reference to it in his statement. Our Prime Minister went to U.S.A. and U.S.S.R. Political pressure was put on her there. Is it a fact that the decision taken by our officers that the land in question belonged to us was changed subseqently?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किसी के दबाव का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में भूमि पर वास्तविक स्थिति के बारे में प्रश्न सर्वप्रथम तब उठाया गया था जब श्री स्वर्ण सिंह तथा उनके अन्य सहयोगी बातचीत के लिये रावलपिण्डी गये थे। हमने उत्तर दिया था कि इस बारे में तथ्यों का पता लगाना पड़ेगा। भारत के चीफ आफ आर्मी स्टाफ तथा पाकिस्तान के कमाण्डर-इन-चीफ के बीच हुई बातचीत के आधार पर यह निर्णय किया गया कि इस बारे में स्थानीय कमाण्डरों को ही 5 अगस्त की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप से निर्णय करना पड़ेगा। स्थानीय कमाण्डरों में बातचीत हुई और उसी के आधार पर सेनाएं हटाई गई हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (होशियारपुर) : हमने ताशकन्द समझौते के अनुसरण में पाकिस्तान को 36 एकड़ भूमि दान कर दी है, तो क्या पाकिस्तान ने भी इसके अनुसरण में हमें कोई भूमि दान की है अथवा क्या सारी सीमा के साथ साथ हमारी और भूमि छोड़ी गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत भूमि छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ताशकन्द समझौत में विवादास्पद प्रश्नों पर नहीं विचार किया गया था और न ही उन्हें स्वीकार किया गया था। ताशकन्द घोषणा में तो केवल यह दिया हुआ है कि सेनाएं 5 अगस्त की स्थिति पर चली जानी चाहिये। ये दो भिन्न चीजे हैं; हमारे द्वारा या पाकिस्तान द्वारा कोई भूमि छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : जब प्रथम बार यह उत्तर भेजा गया था कि हमारी सेना अपनी भूमि पर है, क्या उस समय हमारे कमाण्डरों तथा अन्य अधिकारियों से परामर्श नहीं किया गया था ? जहां तक 5 अगस्त की वास्तविक पोजीशन का सम्बन्ध है बाद में उत्तर में परिवर्तन क्यों किया गया ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रथम बार अथवा दूसरी बार विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं है; यह तो एक क्रम है। दोनों ओर के स्थानीय कमाण्डरों के बीच बातचीत के आधार पर स्थिति में जो भी परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया, वही किया गया।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : संयुक्त राष्ट्र महा सचिव ने उन्हें प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कहा था कि भारतीय तथा पाकिस्तानी सेनाएं पूर्णतया हटा ली गई हैं। उसके पश्चात् संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों ने उसका खण्डन किया था और श्री भुट्टो ने भी यह शिकायत की थी कि सेनाएं हटाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। क्या प्रेक्षकों के वक्तव्य तथा श्री भुट्टो की शिकायत को दृष्टि में रखते हुए यह कार्यवाही की गई थी या एक तरफा ही यह निर्णय लिया गया था ? ऐसा क्यों किया गया था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह निर्णय एकतरफा नहीं लिया गया था। आरम्भ में वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ सन्देह था। किसी के शिकायत करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। जैसा मैंने कहा हमें इस शिकायत का पता तभी चला जब हमारे विदेश मंत्री अपने सहयोगियों सहित रावलपिण्डी गये थे। हमें यह बताया गया कि इस मामले में कुछ सन्देह है। हमने कहा कि हम तथ्यों का पता लगाएंगे और स्थानीय कमाण्डरों को सही स्थिति का पता लगाने के लिये कहा गया।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Are Government defending our borders or the Tashkent Spirit?

Shri Y. B. Chavan : We are defending both.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : May I know whether some high ranking military officers had made it clear to the Defence Ministry that they were not withdrawing from the land in question as it was on our side prior to 5th August also and therefore the question of withdrawal from that land did not arise at all? May I know whether by this withdrawal, we have not presented a wrong picture about us to the world and strengthened the position of Pakistan and weakened our own position?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न के बाद के भाग में तो माननीय सदस्य ने इस स्थिति के बारे में अपने निष्कर्ष बताए हैं। परन्तु यह सही नहीं है। भारत की स्थिति दुर्बल करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भारत तथा पाकिस्तान दोनों ही अपनी 5 अगस्त की स्थिति के अनुसार सेनाएं हटाने के लिये वचनबद्ध थे। सेना अधिकारियों द्वारा सेनाएं हटाने से इन्कार करने अथवा इन्कार न करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Prakash Vir Shastri : My question was that the military authorities had informed that this land was under our occupation prior to 5th August.

Shri Y. B. Chavan : The final decision was taken by them. This matter was discussed by the local commanders on both the sides. There might have been some misundertstanding in the beginning. But the final decision was taken as a result of discussion between the commanders on both the sides.

Shri S. M. Banerjee : The hon. Minister has said that there was some misundertstanding about this land, and this was the reason that our armed commanders were of the opinion that this land was in our occupation prior to 5th August. This decision was taken by the Local commanders of both the sides according to the hon. Minister's statement. May I know how much more land will be surrendered in faithfully implementing the Tashkent Declaration and to maintain peace between the two countries or to buy it? Will these details be placed before the House?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 5 अगस्त से पहले की पोजीशन तक हटने का निर्णय सरकार ने किया था। हम इस तथ्य से नहीं मुकर सकते। परन्तु 5 अगस्त से पहले जो स्थिति थी उसके बारे में निर्णय तो स्थानीय कमाण्डरों द्वारा ही किया जाना था।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : If this 36 or 40 acre land was in the occupation of Pakistan prior to 5th August as has been stated by the hon. Minister, I want to know when it passed into Pakistan's hands.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरी राय में यह विवाद 1950 से 1959 की अवधि में उठा था। मेरे पास सही तिथि नहीं है। यह 1957 में या इसके लगभग उत्पन्न हुआ था। लगान संबंधी कागजात के आधार पर यह भूमि हमारी है।

श्री दी० चं० शर्मा : ब्यौरा चाहे कुछ भी हो, तथ्य यह है कि हमारे राज्यक्षेत्र का एक भाग दान कर दिया गया है। क्या इसका सही सही कारण बताया जायेगा ?

Shri Madhu Limaye : On the 15 August, 1947, this land belonged to us. Then war broke out in Kashmir and there was a cease-fire on 21st December, 1948. I wanted to know when this land was occupied by Pakistan after the cease-fire. This has not been answered.

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह भूमि पाकिस्तान को दान कर दी गई है तो मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

Shri Madhu Limaye : Kindly listen to me for a second. You should ask the hon. Minister...... **(Interruptions).****

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The hon. Minister has used the word disputed in his statement. This word should be expunged from his statement as is the general practice.

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
**Not Recorded.

Mr. Speaker : When I order expunction, it is objected to. **(Interruptions).** The hon. Minister has answered the supplementary question.

Some Hon. Members : It has not been answered.

Mr. Speaker : He has answered it thrice. What else can I ask him?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : When did Pakistan occupy it? What answer has been given to this question?

Mr. Speaker : I have not to answer it **(Interruptions).****

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Since the commanders are going to meet again shortly, would this area be considered as a disputed area or as an area under Pakistan's possession?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक स्थानीय कमाण्डरों के बीच बातचीत का संबंध है, जब भी कोई समस्या उत्पन्न होगी वे बातचीत करेंगे। विभिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हो सकती है केवल राज्यक्षेत्र के बारे में ही नहां अपितु गश्तों आदि संबंधी प्रश्न भी उठ सकते हैं। 'विवाद' शब्द से मेरा अर्थ यह नहीं है कि हम इसे एक विवाद करार देते है यह भूमि लगान संबंधी कागजात के अनुसार हमारी है। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्यों ने एक बहुत ही सही प्रश्न पूछा था और आपने भी उसे दोहराया था कि यह 36 एकड़ भूमि पाकिस्तान के अधिकार में कब चली गई। मंत्री महोदय ने नहीं तो उत्तर देने के लिये समय मांगा है और नहीं यह कहा है कि लोक-हित में इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। क्या माननीय मंत्री बार बार यह प्रश्न पूछे जाने पर भी इसे टाल सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं टाल सकते। The hon. Minister has said that he has not got the exact date or year with him at present. Does he mean by this the date when it went into Pakistan's possession?

Shri Y. B. Chavan : Yes, Sir.

सदस्य की पैरोल पर रिहाई
RELEASE OF MEMBER ON PAROLE
(श्री बीरेन दत्त)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे हज़ारीबाग सेंट्रल जेल के अधीक्षक से दिनांक 12 अप्रैल, 1966 का निम्नलिखित पत्र मिला है :

"मुझे सूचना देनी है कि 11 अप्रैल, 1966 को 4–20 म० प० पर लोक सभा सदस्य श्री बीरेन दत्त को उनकी रिहाई की तारीख से 15 दिन के लिये पैरोल पर रिहा कर दिया गया है।"

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not Recorded.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : क्या सभा को किसी माननीय सदस्य की पैरोल पर रिहाई आदि संबंधी सूचना देने में अधिकारियों द्वारा देर नहीं की जानी चाहिये। मैं श्री बीरेन दत्त को सभा में देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आपने यह विनिर्णय दिया हुआ है कि नजरबन्दी की अवधी में भी पैरोल पर रिहा किये गये माननीय सदस्य सभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं। और मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार सभा का सत्र समाप्त होने से पहल सभी नजरबन्द सदस्यों को रिहा कर दे ताकि वे सभा की बैठकों में भाग ले सकें। श्री बीरेन दत्त की रिहाई की सूचना सब से पहले इस सभा को दी जानी चाहिये थी। इस मामले में सरकारी अधिकारियों ने यह सूचना देने में देरी की है।

अध्यक्ष महोदय : इस पत्र पर 12 अप्रैल की तिथि पड़ी हुई है और यह कल शाम प्राप्त हुआ था। यदि कोई देरी हुई है तो मैं पता लगाऊंगा।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : हमें बड़ी प्रसन्नता है कि श्री बीरेन दत्त को सभा की बैठकों में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है। श्री उमानाथ को पैरोल पर रिहाई के बावजूद भी सभा की बैठकों में भाग लेने से रोका गया था और इससे आपके विनिर्णय का उल्लंघन हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा हो चुकी है। इसे अब नहीं उठाया जा सकता।

श्री हेम बरुआ : इससे एक मूलभूत विषय उत्पन्न हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि श्री बीरेन दत्त आ गये हैं, इस आधार पर श्री उमानाथ का मामला पुनः नहीं उठाया जा सकता।

सभा से बाहर दिये गये सरकारी वक्तव्यों के बारे में
RE : STATEMENTS OF GOVERNMENT MADE OUTSIDE THE HOUSE

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Sir, I wrote to you yesterday about important statement made by Government, when the Parliament is in session.......

Mr. Speaker : I will send its reply today.

Shri Prakash Vir Shastri : All important statements should be made first in Parliament. The decision regarding Punjabi Suba has been reported in the Press.

Mr. Speaker : Shastriji, no decision has yet come. I would have informed you.

ध्यान दिलानें वाली सूचना कें बारे में
RE : CALLING ATTENTION NOTICE

अध्यक्ष महोदय : मुझे 'दिल्ली बन्द' के बारे में एक ध्यान दिलाने वाली एक सूचना मिली है। गृह-कार्य मंत्री इस बारे में आज पांच बजे एक वक्तव्य देंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना के समारोह सेवा की शर्तें तथा विविध (संशोधन) विनियम, 1966

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना के समारोह सेवा की शर्तें तथा विविध (संशोधन) विनियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 28 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 3–ई में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6043/66।]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : मैं श्री संजीवय्या की ओर से निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति :–

(एक) अधिसूचना संख्या एफ० 2(5)/65-एफ एण्ड सी एस जो दिनांक 13 जनवरी, 1966 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिस के द्वारा दिल्ली सीमेन्ट नियंत्रण आदेश, 1963 विखण्डित किया गया।

(दो) जी० एस० आर० 5 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1965 के पांडिचेरी राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा पांडिचेरी सीमेन्ट नियंत्रण आदेश, 1963 विखण्डित किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6044/66।]**

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता, के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6045/66।]**

(4) (एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल प्रिमो पाईप फैक्टरी लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, के 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की केरल सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6064/66।]**

नेशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1964–65 का प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदयिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : मैं श्री श्यामधर मिश्र की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के

7—56 L. Sabha/66

[श्री शिन्दे]

अन्तर्गत नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली, के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हुं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6047/66।]**

विधेयक पर राय
OPINIONS ON BILL

श्री अ० सि० सहगल (जजगीर) : मैं भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के सुप्रबन्ध तथा तत्संगत मामलों की जांच का उपबन्ध करने वाले विधेयक, जो 3 सितम्बर, 1965 को सभा के निदेश से उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, सम्बन्धी पत्र संख्या 2 सभापटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान मुझे राज्य सभा के सचिव ने सूचित किया है कि राज्य सभा ने अपनी 7 अप्रैल, 1966 के बैठक में व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक, 1966 पारित किया।

व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक
MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL

राज्य सभा द्वारा पारित

सचिव : मैं राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक, 1966 की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

सभा की बैठकोंसे सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

सोलहवां प्रतिवेदन

श्री खाड़ीलकर (खेड) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमान् जी, हम मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों के पारित किये जाने सम्बन्धी कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहे और पीछे रह गये है।

आपने पहले ही 28 अप्रैल, 1966 को अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त करने की घोषणा कर दी है। मुझे कई सदस्यों से पत्र प्राप्त हुए है जिन में मांग की गई है बड़े बड़े मंत्रालयों की मांगों पर अवश्य चर्चा होनी चाहिये। मैं इन सुझावों पर विचार कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांगों पर यहां चर्चा की जाये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा अवश्य होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी चाहिये। मैं आप से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आपने राज्य-सभा के सभापति से राज्य-सभा के प्राक्कलनों की पड़ताल के बारे में बातचीत की है। उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है। यह भी बताया जाये कि क्या इस सत्र की अवधि बढ़ाई जा रही है, यदि हां, तो कितने दिन के लिये ?

अध्यक्ष महोदय : कार्य मन्त्रणा समिति की आज बैठक हो रही है। उसमें निर्णय होगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सरकार को आपात कालीन स्थिति तथा भारत रक्षा नियमों के बारे में वक्तव्य देना चाहिये। इस बारे में समाचार पत्रों में तरह तरह की बातें प्रकाशित हो रही हैं।

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा सोमवार से आरंभ होनी चाहिये और इसके लिये तीन दिन मिलने चाहिये। दूसरे श्री गोपालन का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। वे बन्दी हैं। हम गृह-कार्य की मांगों पर चर्चा के समय इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : विद्रोही नागाओं द्वारा तथाकथित गणराज्य दिवस मनाये जाने के बारे में प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री के वक्तव्यों में परस्पर विरोध है। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री हेम बरुआ को आश्वासन देता हूं कि मैं इस पर ध्यान दे रहा हूं। और इस बारे में शीघ्रता से काम होगा।

Shri Prakash Vir Shastri : My desire is that the decision about the appointment of Punjab Commission as well as Tashkent Agreement should be considered by this House.

Mr. Speaker : I cannot ask the Government about it without notice, if the notices have been given then these will be taken into consideration.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मंत्रालय की मांगों को विचार करने से रोका नहीं जाना चाहिए। और दूसरा मेरा निवेदन यह है कि पंजाबी सूबा और हरियाना के प्रश्नों पर यहां सभा में विचार किया जाना चाहिए।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : Sir, Government should make a clear statement about the formation of Haryana.

श्री सत्य नारायण सिंह : किसी भी मंत्रालय की मांगों को रोका नहीं जायेगा, परन्तु गृह कार्य मंत्रालय की मांगों को प्राथमिकता दी जायेगी। सत्र की अवधि को बढ़ाने के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, परन्तु इस बारे इस मास के अन्त तक म सभा भी कुछ जानकारी दे सकूंगा। आपात के बारे में यदि सरकार ने कोई निर्णय किया तो सदन को उसकी सूचना दी जायेगी। श्री लोहिया का प्रश्न मैंने अपने सहयोगी वैदेशिक कार्य मंत्री को भेज दिया है।

पंजाब के मामले में सरकार ने अभी कोई अन्तिम निणय नहीं किया है। मामले पर चर्चा हो रही है और मंत्रिमंडल की बैठक में उसपर विचार हो रहा है। यदि अखबारें में कुछ छप जाता है तो क्या किया जा सकता है। इस बारे में जब कोई निणय सरकार करेगा तो संसद के समक्ष विवरण प्रस्तुत किया जायगा।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES
चौथा प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमान जी, सदन के समक्ष विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं । इसके बारे में विरोधी दल के नेताओं ने आपसे बात कर ली है, अत: आशा है कि इसे बिना चर्चा किए एक मत से स्वीकार कर लिया जायगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विशषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन, जो 30 मार्च, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, समिति को पुन: सौंपा जाये।"

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

कि विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन, जो 30 मार्च, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, समिति को पुन: सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन को समिति के पास वापिस भेजा जाता है।

अनुदानों की मांगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों सहित आगे चर्चा होगी।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): कल मैंने वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कुछ बातों का जबाब दिया था। दो एक बातें मैं इस संदर्भ में अब कहूंगी। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि लूप प्रकृति इस दिशा में अन्तिम नहीं है। इस से तुरन्त लाभ नहीं होता। रामबाण की तरह तो कोई तरीका सिद्ध हो नहीं सकता। सरकार सभी प्रकार के समान तरीकों का प्रयोग कर रही है। उद्देश्य यह है कि ऐसा तरीका अपनाया जाय कि जिससे यथा सम्भव कम अवधि में जन्मन्दर में कमी करा सके। अन्य तरीकों के मुकाबले में लूप का एक लाभ है। उसे निकाला जा सकता है तथा पुन: सन्तान उत्पत्ति की जा सकती है। बन्धनकारक हो जाय तो ऐसा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हम लूप की सिफारिश कर रहे हैं। यदि एक दो बच्चों के बाद एक या दो बच्चों की किसी को इच्छा हो तो वह इसे प्राप्त करने का प्रमाण कर सकता है। तीन अथवा इससे अधिक बच्चे हो जाय तो हम बन्धीकरण की सलाह देते हैं। इस पर यदि वे लोग बन्धीकरण नहीं चाहते तो वे परम्परागत गर्भ निरोधक ढंगों को अपना सकते है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

गर्भ-निरोधक गोलियों का यहां तक सम्बन्ध है, वह भी प्रभाव तो करती है परन्तु सरकार ने उन्हें व्यापक आधार पर स्वीकार नहीं किया है। उसमें कुछ बात ऐसी है जिनका मैं उल्लेख करना

चाहती हूं। पहली बात यह है कि मास के 21 से 23 दिनों में, जब गर्भ धारणा की सम्भावना होती है तो प्रतिदिन गोली खानी पड़ती है। मेरे विचार में औरतों को प्रतिदिन गोली खाने के लिये कहना उनसे ज्यादती करना होगा। दूसरे, इसके कुछ प्रतिशत प्रभाव भी होते है जैसे दिखाई देना बन्द हो जाय। पश्चिम देशों से ऐसे समाचार उपलब्ध हुए है तीसरे यह भी कि यह महंगा सौदा है। इस पर लगभग 10 रुपये मासिक व्यय हो जाता है। चौथे यह कि यदि गलगंड रोग, हृदय रोग, जिगर रोग, गुरगे का रोग, मधुमेह रोग हो तो इस गोली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। मतलब यह हुआ कि गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करने से पूर्व पूरी डाक्टरी जांच की आवश्यकता है। अंततोगत्वा यह बात भी सर्वविदित है कि गोली खाना बन्द कर दिया जाय तो उर्वरकता अधिक हो जाती है। उसके मुकाबले में लूप एक ही बार लगाया जाता है और फिर इसके बाद किसी अन्य उपचार की अपेक्षा नहीं रहती ।

कालिजों में दाखिलें की बात भी इसी सन्दर्भ में आगई है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जहां कही प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाता है वहां मेडिकल कालिजों में 50 प्रतिशत और इससे भी अधिक महिलाओं को प्रवेश दे दिया जाता है। अत: मेडिकल कालिजों में महिलाओं के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाय यह कोई अच्छी बात नहीं। हम तो इस दिशा में योग्यता के आधार पर ही प्रवेश की सिफारिश करेंगे। इस बारे में यह उल्लेखनीय है कि महिलाओं को प्रतिवर्ष 500 छात्रवृत्तियां दी जाती है जिसे योग्य परिवारों की योग्य महिलाओं मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर सके ।

इस बारे में यह भी निवेदन है कि चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने केवल चिकित्सा व्यवस्था के लिए 900 करोड़ रुपये की मांग की है जिससे हम प्रत्येक जिले में एक अस्पताल की व्यवस्था कर सके। परन्तु हो सकता है कि हमें केवल 160 करोड़ रुपये ही मिले। जो भी इस दिशा में राशि उपलब्ध है हमारा प्रयास यह है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाय। जब तीसरी योजना आरम्भ हुई थी तो देश में मलेरिया के 391 यूनिट काम कर रहे थे। उनमें से 244 यूनिट अपना काम पूरा कर चुके है और अब व उस काय की देखरेख कर रह हैं। इसका अथ यह है कि 51.8 प्रतिशत काम पूर्णतया समाप्त हो चुका है। इस समय लगभग 88 प्रतिशत जनता का मलेरिया से पूर्ण बचाव हो गया है और केवल 14.2 प्रतिशत कार्य करना शेष है।

तीसरी योजना के अन्तर्गत चेचक उन्मूलन का काय बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया था। 80 प्रतिशत से अधिक लोगों को टीके लगाये गये है। इस दिशा में उन्मूलन का कार्य काफी सन्तोषजनक ढंग से आगे बढ़ा है। इस बात का हमें भारत पर हुए चीनी आक्रमण के समय लगा। वह यह कि कुकरे होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को सेना में भर्ती नहीं किया गया है। इसे देख कर हमने सारे देश भर में कुकरे नियन्त्रण का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में जहां यह रोग अधिक जोरो पर था हमने इसकी रोकथाम के भरसक प्रयन किये है। आशा है कि चौथी योजना के अन्तर्गत प्रभावशाली ढंग से कार्य कर के हम मलेरिया, चेचक और कुकरे इत्यादि रोगों पर पूर्णतया नियन्त्रण कर लेंगे। धन की कमी थी। मलैरिया पर नियत धन राशि से कुछ अधिक खर्च हो गया था। अत: हम कोठ और क्षय रोग पर इतना खर्च नहीं कर सके जितना कि हम करना चाहते थे। तीसरी योजना के दौरान हमनें कोढ़ के लिए दस प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये थे तथा 547 सर्वेक्षण शिक्षा तथा उपचार यूनिट और कोढ़ कार्य के लिए 45 नियन्त्रण यूनिट भी स्थापित किये गये थे। इसके अतिरिक्त तीसरी योजना के अन्तर्गत प्रथम बार हमने यह कार्य स्वयंसेवक संस्थाओं पर छोड़ा है। ये तीस स्वयंसेवक संस्थाओंने बहुत अच्छा कार्य इस दिशा में किया है इस बारे में यह भी उल्लेखनीय है कि चिंगलपेट में स्थापित केन्द्रीय कोढ़ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था के हमारे विज्ञानकों ने यह पता लगाया है कि यदि हम कोढ़ से पीड़ित रोगियों का घर पर ही रोग निरोधक उपचार करने से इस रोग को रोका जा सकता है। इसी तरह अफीका के कुछ विज्ञाननों ने भी यह पता किया है कि बी० सी० जी० का टीका भी कोढ़ को रोक सकता है। हम इन साधनों की ओर ध्यान देने का प्रयास कर रहे

[डा० सुशीला नायर]

हैं। इस समय लगभग पांच लाख रोगियों की चिकित्सा की जा रही है, परन्तु इस बारे में कुछ कार्य करना अभी शेष है भारत में 20 से 22 लाख लोग कोढ़ के रोगी है। इस रोग के लिए जापानी सहायता से आगरा में एक नया अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है।

जहां तक क्षय रोग का सम्बन्ध है, तीसरी योजना के आरम्भ में सात प्रशिक्षण और प्रदर्शन केन्द्र थे। अब 15 केन्द्र हैं। 307 क्लिनिक्स थे जो अब बढ़ कर 427 हैं। इसी प्रकार तीसरी योजना के आरम्भ में हम ने विभिन्न 64 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया था। अब प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 1234 है। हमने हाल ही में क्षय रोग विरोधी औषधि मुफ्त देनी आरम्भ कर दी है। क्षय रोग के घर पर उपचार के अच्छे परिणाम निकले है और इस के लिये अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये।

सारे हिमालय क्षेत्र में लाखों लोग गलगंड के रोग से पीड़ित हैं। तीसरी योजना में हमने साम्भर झील से आयोजीतकृत नमक का बड़े पैमाने पर उत्पादन आरम्भ कर दिया है। इस से इस रोग की रोक-थाम तथा उपचार किया जा सकता है। कलकत्ता में एक अन्य संयंत्र लगाया गया। और आयोजित-नमक की समस्त आवश्यकताओं को शीघ्र ही पूरा करना सम्भव होगा।

हैजे का रोग पादी नी समस्या से सम्बन्धित है। चौथी योजना में हम 8 राज्यों के 48 या 49 जिलों में जहां हैजे का रोग जोरों पर है पानी की व्यवस्था करने, सफाई और स्वास्थ्य शिक्षा की समस्या के कार्यक्रम को बड़े पमाने पर शुरू करने का कार्य करेंगे। जिससे हमारे लिये चौथी योजना में हैजे से रोग की अच्छा तरह से रोकथाम करना सम्भव होगा। इसी बीच हमारे वैज्ञानिक ने हैजे के उपचार के कुछ तरीकों का विकास किया है। जिस से कुछ विशेष प्रकार का उपचार करने से हैजे से गम्भीर रूप से ग्रस्त रोगियों को भी बचाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। तीसरी योजना के आरम्भ में 2013 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे। योजना के अन्त में 4796 केन्द्र थे। आरम्भ में 416 केन्द्रों में कोई डाक्टर नहीं था। अन्त में 890 केन्द्रो में कोइ डाक्टर नहीं था। इसे 20.7 प्रतिशत केन्द्रों में अब डाक्टर नहीं थे अब 18.5 प्रतिशत केन्द्रों में डाक्टर नहीं है। हम राज्य सरकारों को डाक्टरों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता और कुछ कठिन या ग्रामीण क्षेत्रीय भत्ता देने के लिये कह रहे है।

सरकार ने फसला किया है कि वह डाक्टरों और नर्सों के लिये मकान बनाने में उनकी सहायता करेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए उनके पास उचित स्थान हों। हमने यह पता लगाने के लिये बड़ी खोज की है कि डाक्टर गांवों में क्यों नहीं जाना चाहते। एक तो रहन सहन की कठिन परि-स्थितियां है और दूसरे वे वहां पर बुद्धिजीवी लोगों से दूर हो जाते हैं। हम एक ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे जिला मुख्यालय से लोग कुछ निश्चित अवधि के बाद जिलोमें प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में जायेंगे। इस समय 85 मेडिकल कालेज हैं और इन कालेजों के प्रोफसर और अध्यापक पन्द्रह दिन में एक बार इन केन्द्रो में जायेंगे ताकि ये लोग यह न समझें कि वे बुद्धिजीवी लोगों से दूर हैं। हम एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लागू करना चाहते हैं जिससे उन्हें रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिये वास मुख्यालय में लाया जा सकेगा। लेकिन वास्तव में ग्रामीण सेवा को सामान्य सेवा में पूर्ण रूपसे मिलाने से ही वास्तविक लाभ होगा। हम ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। यदि डाक्टर अधिक हो तो कुछ कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। इन तीन योजनाओं में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने के सम्बन्ध में हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। योजना में निश्चित 75 के स्थान पर 85 कालिज खोले है। पिछले वर्ष 8000 विद्यार्थियों के दाखिले की योजना की तुलना में लगभग 10,000 विद्यार्थी दाखिल हुए हैं। डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिय हम अपने डाक्टरों को स्नातकोत्तर शिक्षण देने की योजना पर जोर दे रहे है। हमें आशा है कि चौथी योजना में हम तीस नये मेडिकल कालेज बनायेंगे और 8000 नये विद्यार्थियों को दाखिल कर सकेंगे ताकि चौथी योजमा के अन्त तक 18000 से 19000 तक विद्यार्थियों को दाखिल किया जा सकेगा। उनमें से कम से कम एक-चौथाई व्यक्तियों के लिये हर वर्ष स्नातकोत्तर शिक्षण

और शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिये अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था के अतिरिक्त पांडिचेरी में एक और स्नातकोत्तर संस्था स्थापित की है। और हम हैदराबाद, महाराष्ट्र और मद्रास में रीजनल संस्थाएं स्थापित करेंगे लेकिन ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त धन होगा। इतना ही कुछ अच्छे मेडिकल कालेजों में भी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक छात्रवृत्ति देने का सम्बन्ध है, हमने तीसरी योजना में 43 स्नातकोत्तर विभाग स्थापित किये और उस अवधि में 1200 से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी। इस समय भारत में डिग्री पाठ्यक्रम के लिये 2000 और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये लगभग 700 व्यक्तियों के लिये व्यवस्था है। चौथी योजना में इसको दुगुना कर दिया जायगा। अपने युवकों और युवतियों को विदेश न जाने के लिये हमें यहां पर देश में उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा। हम नर्सिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आज देश में 86,000 डाक्टर हैं लेकिन नर्सें कुल 45,000 हैं। अन्य देशों में एक डाक्टर के पीछे तीन नर्स हैं। हम शीघ्र स्थिती सुधारने के लिये हर संभव कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लडकियां नर्सें नहीं बनना चाहती अथवा वे शिक्षित नहीं होती। सहायक नर्स-मिडवाइफ प्रशिक्षण को बढ़ाया जा रहा है और इसका विस्तार किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने का लडकियों को अवसर मिल सके। हम हैल्थ विज़िटर पाठ्यक्रम का भी विस्तार कर रहे हैं ताकि उनको पदोन्नति के असवर दें और वे आगे आयें। 45,000 नर्सों में 27000 को तीसरी योजना में प्रशिक्षण किया गया। 18000 पहले ही प्रशिक्षित थीं। तीसरी योजना में 3974 स्नातकोत्तर डाक्टरों को प्रशिक्षित किया गया। आशा है कि चौथी योजना में 45,000 नर्से और इतने ही सहायक नर्से और मिडवाइफ और बन जायेंगा।

स्वास्थ्य के लिये केवल अस्पताल और प्रशिक्षित डाक्टर होना ही काफी नहीं है। इसके लिये पोषक खाद्य-पदार्थ की, उत्तम स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता है। मैं मानती हूं कि स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में हम कुछ अधिक कार्य नहीं कर सके हैं। लोग की शताब्दियों पुरानी अस्वच्छता की आदत को दूर करने के आन्दोलन में शिक्षा प्राधिकारी, कार्मिक, संघ सामाजिक कार्य कर्ताओं और धार्मिक नेताओं को कार्य करना चाहिये। लोगों के दिलों में स्वच्छता के प्रति जागृति पैदा करनी होगी। यदि मक्खियों और मच्छरों के पैदा होने के स्थानों को समाप्त किया जा सकता है तो बहुत कुछ लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हमें आशा है कि आप सबके सहयोग से चौथी योजना में स्वास्थ्य शिक्षा आन्दोलन को व्यापक रूप दिया जा सकेगा।

डा० मा० श्री अणे (नागपूर) : इन नर्सों में से कितनी नर्सों को गांवों में भेजा जायेगा?

डा० सुशीला नायर : हम उनको जिला अस्पताल के स्तर पर प्रशिक्षण देने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उनको जिले में ही रखा जा सके। बहुत सी पंचायतों ने उनकी देखभाल करने को कहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल बनाने का एक बृहद कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के पूरा होने पर रुपया बिना खर्च किया नहीं पड़ा रहेगा। यह खुशी की बात है कि अस्पताल में स्तर ऊंचा है: इससे और अस्पताल को भी स्तर ऊंचा करने में प्रेरणा मिलेगी।

राजस्थान को स्थानीय विकास कार्यों के लिये 20 लाख रुपये पिछले वर्ष और 20 लाख रुपये इस वर्ष दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त जल संभरण योजनाओं के लिये भी काफी धन दिया गया है। उदाहरणत: पहली और दूसरी दोनों योजनाओं में उन्होंने जल-संभरण पर 185 लाख रुपया खर्च किया और केवल तीसरी योजना में 230 लाख रुपया खर्च किया। इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपये यूनिसेफ से प्राप्त सहायता में से भी दिये गये। चौथी योजना में इस कार्य के लिये लगभग 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

समूचे पानी के संभरण का स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है, हमारे पास को ग्रामीण क्षेत्र के लिये पाइप जलसंभरण योजना का काम है। जहां कहीं कुएं नहीं खोदे जा सकते वहां हम

[डा० सुशिला नायर]

पानी की व्यवस्था करते हैं। हरिजनों और आदिम जातियों क्षेत्रों की ओर यह मंत्रालय ध्यान नहीं देता। यह काम समाज कल्याण मंत्रालय का है। इसी प्रकार कुएं खोदने की जिम्मेदारी सामुदायिक विकास मंत्रालय की है। सूखाप्रभावित क्षेत्रों में जल संभरण योजनाओं का काम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का है।

प्रथम योजना में नगरीय क्षेत्रों में हमने 272 योजनाओ को मंजूरी दी। दूसरी योजना में 233 योजनाओं को मंजूरी दी गयी और तीसरी योजना में 31-12-1965 तक 519 योजनाओं को मंजूरी दी गयी। इसी प्रकार जो भी धन उपलब्ध हुआ वह लगभग सब का सब खर्च कर दिया गया। खर्च की प्रतिशतता पहली योजना में 65 प्रतिशत, दूसरी योजना में 80 प्रतिशत और तीसरी योजना में लगभग 80 प्रतिशत रही।

ग्रामोण क्षेत्रों में हमने अपने साधनों के भीतर काफी काम किया है। लगभग 95 प्रतिशत तक धन खर्च किया गया है। हमने प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जहां हालत बहुत खराब थी। जैसे पहाड़ी क्षेत्र और कुछ ऐसे क्षेत्र जहां साधारण कुएं नहीं खोदे जा सकते। हमें इस कार्य को पूरा करने के लिये लगभग 600 करोड़ रुपये चाहिये लेकिन हमें 120 करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया गया है जिसमें से 40 करोड़ रुपये सामुदायिक विकास मंत्रालय को दिये जायेंगे।

नगरीय जल-संभरण योजनाओं के लिये 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यदि आश्वासन के मुताबिक पैसा मिल गया तो हमें जल-संभरण के लिय 371 करोड़ रुपये मिल सकेंगे। हमने 600 करोड़ रुपये इस कार्य के लिये मांगे हैं।

हमारी मेहतारों की दशा सुधारने में आत्यधिक रुचि है। मेहतरों को उपकरण आदि देने का काम हरिजन कल्याण विभाग का है जो समाज कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत है। इस बारे में हम स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों के सम्मेलन में समय समय पर बातचीत करते रहे हैं। जहां कहीं सम्भव है, हमने शुष्क शौचालयों के कुछ डिजाइने तैयार किये हैं जिससे हरिजन भाईयों को यह सब कठिनाई नहीं होगी। इनकी क्रियान्विति विभिन्न स्थानों पर स्थानीय निकायों द्वारा की जायेगी।

सफाई का सबसे अच्छा तरीका शुष्क शौचालयों के स्थान पर पानीवाले "वाटर-बोर्न" शौचालय बनाना है। लेकिन यह काम एक रात में नहीं हो सकता। इसमें समय लगेगा और इसलिये हमने अच्छे किस्म के शुष्क शौचालयों का नमुना तैयार किया है। मल्कानी समिति ने भी पानी वाले "वाटर-बोर्न" शौचालय बनाने की सिफारिश की है।

वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित ढ़ंग से ही आयुर्वेद समस्या को सुलझाया जा सकता है। भारत सरकार ने इस बारे में सारा कार्य राज्यों पर छोड़ दिया है। हम किसी प्रकार की कोई समानता लाग नहीं कर सकते। हम एसी व्यवस्था करना चाहेंग जिससे प्रशिक्षण कायक्रम का एक स्तर हो। इतने समय में हम आयुर्वेद में अनुसंधान और उच्च प्रतिक्षण पर जोर दे रह हैं। जामनगर में राजकुमारी अमृत कौर ने एक संस्था स्थापित की है। उसमें लोगोंन कहा है कि उसमें अनुसंधान नहीं हो रहा है। हकने बनारस में डा० उदुपा के नेतृत्व में एक संस्था स्थापित की है। उनके मार्गदर्शन में इस संस्था में बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। उन्होंने इसमें बड़े अच्छे व्यक्ति रखे हैं जो बडा अच्छा कार्य कर रहें हैं।

तीसरी योजना में हमने आयुर्वेद और अन्य प्रकार की औषधियों की अविलम्बनीय और मूलभूत जरूरतों की ओर ध्यान देने का प्रयत्न किया है। उदाहरणतः हमने आयुर्वेद और युनानी औषधियों पर नियंत्रण लागू किया है जिससे लोग जो कुछ चाहें प्राप्त कर सकें और उन्हें अपमिश्रित औषधियां न मिले। इसी प्रकार हमने होमियोपथिक औषधियों पर होमियोपैथिक नियंत्रण लागू किया है। पहले इस नियंत्रण को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा था। अब इसको क्रियान्वित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त हमने आयुर्वेदिक के लिए फार्मेसी सम्बन्धी समिति स्थापित की है जिससे वर्तमान औषधियाँ व्यवस्थित रूप में एक पुस्तिका में संकलित की जा सकें और लोगों को पता चल सके कि उसे कैसे प्राप्त किया जाये। बदारस-स्थित स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान संस्था के अतिरिक्त एक दूसरा दिल्ली में तिब्बिया कालेज में और तीसरा त्रिवेन्द्रम में खोलने का विचार है।

यूनानी सलाहकार तथा आयुर्वेदिक सलाहकार दो अलग-अलग समितियाँ हैं। आयुर्वेद तथा यूनानी के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम समितियाँ हैं। इसी तरह अलग अनुसंधान समितियां हैं जिनकी सिफारिश पर हम धन देते हैं। यूनानी तथा आयुर्वेदिक कालेजों के बारे में राज्य सरकार कार्य करती हैं परन्तु जहां तक इसमें उच्च प्रशिक्षण तथा अनुसंधान का सम्बन्ध है इसके लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है और जिसके लिये हम दिल्ली और अलीगढ में कुछ न कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

सारे देश में अनेक अच्छे अच्छे पौधे हैं जिनका हमने वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना चाहा था जिसके लिए हमने अल्पाइन और हिमालय क्षेत्र में औषधीय पौधों का सर्वेक्षण संस्था बनाई है। इसकी एक शाखा हरिद्वार में है, दूसरी रानीखेत में, दक्षिण भारत में भी एक शाखा है और इसी तरह इसकी दूसरी शाखाएं भी खोलने का विचार है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक समझा गया कि इन वनस्पति औषधियों का विस्तृत अध्ययन किया जाये। इसके लिए हमने औषधि अनुसंधान की विभिन्न शाखाएं स्थापित की हैं।

वैद्य, फार्मेसीविज्ञ और वनस्पति शास्त्री इन जड़ी बूटियों की जाँच और उनका अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने पूना के निकट कोटरुड़ में जवाहरलाल नेहरू औषधीय पोधों का उद्यान तथा जड़ी बूटी उद्यान लगाया है जो अच्छा काम कर रहा है। हमारी यह भी योजना है कि नासिक के निकट औषधीय पौधों का एक बाग 500 एकड़ भूमि पर लगाया जाये। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला में जाँच भी की जा रही है जिनसे आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

मैं सभा को यह आश्वासन दिलाती हूं कि हम भी अनुसंधान कराने के बहुत इच्छुक हैं और योजना की अवधि में अनुसंधान के लिये रखे गये धन में से कुछ भी निकालने के लिये हमारा विचार नहीं है। वास्तव में अनुसंधान पर व्यय बढ़ाया गया है। आरंभ में बजट में लगभग 40 लाख रुपये अनुसंधान के लिये रखे गये थे। जबकि पिछले वर्ष राशि 1 करोड़ 6 लाख रुपये थी। हमने एक अनुसंधान सेवा वर्ग भी बनाया है और कुछ ऐसी नौकरियाँ रखी है जिससे बाहर से आने वाले नवयुवक सीधे लगाये जा सकें और उन्हें नौकरियां शीघ्र न मिलने के कारण परेशानी न हो। हमने सेवा निवृत्त लोगों को भी अनुसंधान की योजनाओं में लगाया है।

इसके अतिरिक्त हैदराबाद में पोषाहार अनुसंधान कार्य और मद्रास में क्षय रोग संबंधी अनुसंधान केन्द्र की ओर विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस अनुसंधान कार्य को लेकर उसे क्रमानुसार प्रकाशित किया है और हमारे वैज्ञानिकों का यह कार्य बहुत अच्छा समझा गया है। हाल ही में हमने रजिस्टर्ड पैथोलॉजी की एक नई संस्था बनाई है। औद्योगिक औषधि और स्वास्थ्य के अध्ययन के लिये भी एक संस्था स्थापित कर रहे हैं। अतएव सदन को मैं आश्वासन देती हूं कि हमें अनुसंधान अति प्रिय है और हम कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे अनुसंधान कार्य में बाधा पहुंचे।

हमारा यही प्रयत्न चल रहा है कि फैलने वाले रोगों, रोके जा सकने वाले रोगों को यथासंभव शीघ्रता से नियंत्रण में लाये जाये, लोगों को अच्छी उपचार तथा रोग रोकने की सेवा दी जाये जिससे उन्हे हम यथासंभव स्वस्थ रख सकें। जब यह कार्य संभव नहीं होता तो उन्हें इलाज की सुविधा देते हैं। इसके लिए हमने औषधि नियंत्रण अधिनियम तथा खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम की क्रियान्विति में सुधार किया है और अब औषधियों की किस्म तथा उनके मूल्यों के बारे में पहले से कम शिकायतें मिली हैं।

[डा० सुशीला नायर]

मैं उन व्यापारियों के प्रति भी जिन्होनें अन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने पर भी औषधियों के मूल्य स्थिर रखने में हमें सहयोग दिया अपना आभार प्रकट करती हूं । महाराष्ट्र के खुदरा दुकानदारों ने केवल 10 प्रतिशत लाभ लेकर, जबकि उन्हें 30 प्रतिशत लाभ उठाने की गुंजाइश थोक दुकानदारों द्वारा दी जाती है, औषधियों बेचने का आश्वासन देकर एक उदाहरण उपस्थित किया है । पेटेन्ट विधेयक का इस मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है परन्तु हमें इस विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के विषय में पूर्णतया रूचि है ।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : I welcome the efforts which she is making for this purpose. Yesterday I had suggested to open centres for physical exercises, for imparting instructions in Brahmacharya and to make efforts also for the cause of yogabhyas.

Dr. Sushila Nayar : I have already stated that we also welcome the propagation of Brahmacharya. As regards yogabhyas we have a Committee for nature cure and we have started centres for physical exercises for Central Government employees and there we have made arrangements for 'asans'.

डा० चन्द्रभान सिंह ने कल कहा था कि आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट आफ साइन्सेंस ने दूसरे मेडिकल कालेजों के लिये अध्यापकों की व्यवस्था नही की गई परन्तु ऐसा नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटोती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/
All the cut-motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई/*The following Demands in respect of Ministry of Health and Family Planning were put and adopted :*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
41	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय . .	20,72,000
42	चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य	13,49,24,000
43	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	40,27,000
127	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	9,75,78,000

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांग संख्या 70 से 74 और 134 पर विचार करेगी ।

वर्ष 1966-67 के लिए श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
70	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय . . .	58,93,000
71	खानों का मुख्य निरिक्षक . . .	34,52,000
72	श्रम और नियोजन . . .	10,60,16,000
73	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	10,14,73,000
74	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में का अन्य राजस्व व्यय	63,27,000
134	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में का पूंजी परिव्यय .	9,24,92,000

Shri Buta Singh (Moga) : I have stood up to oppose the Demands for grants of the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation. The prices of essential commodities are shooting up very fast and the poor labourers, peasants and mill workers are bearing the burden of the rising prices.

Today we are facing the most acute problem of textile workers. Now about 32 thousand mill and factory workers are out of employment. It is mainly due to the worst and weakest labour policy of Government, who have not given up their attitude of safeguarding the interests of capitalists only. The Government have not yet agreed to introduce the Bonus Bill completely amended with a view to remove all the defects therein.

I would like to draw the attention to another point also that the condition of down-trodden and backward classes, whose leader is Shri Jagjivan Ram, is still worst and even in independent India they are leading a life worse than that of animals. The work of the Department of Scheduled Castes and Backward Classes which was set up by the Central Government has been transferred from one Ministry to another. Originally this Department was functioning under the Ministry of Home Affairs which directly deal with the State Governments and have great significance. This is also an important subject but it was transferred from that Ministry alongwith the administration of Employees State Insurance and Employees Provident Fund Schemes. It is urged that the Department of Social Security should also be attached to the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, since this Ministry is headed by a leader who can protect their interests in a better way.

I want to draw your attention to certain matters which are resulting in bad situation, layout of mills and 'Bund' agitation in every state. The question of Dearness allowance is most serious. In this regard Government have not so far adopted any firm policy. That is why there have been labour disputes and consequently the production has been retarded in the country. Till now the attitude of Government officials has also been harmful since they have not been doing their duties of protecting the interests of labouring class. Government should fix the basis for granting Dearness allowance after reviewing the present living conditions and rising prices.

[Shri Buta Singh]

We were informed that fair price shops had been set up in private and Government factories for making available essential commodities to the workers at fair prices. But in fact it has been done on paper only and wherever any such shop has been opened, there is no difference between the prices charged in such shop and in the open market. Actually the essential commodities should have been supplied by these shops comparatively at cheaper rates. Such shops should supply essential commodities to the workers even at subsidized rates. Then only it would be a right path for achieving socialistic pattern of society.

The Ministry has not so far implemented the Employees State Insurance scheme fully. Thousands of labourers engaged in plantations in hill areas have still been deprived of the benefits of this Scheme. These labourers have no medical facility. The Ministry should, therefore, implement this scheme in a more comprehensive way.

During his speech at Kanpur the Hon. Minister gave an assurance that a wage Board would be set up for sweepers with a view to improve their lot. I hope that he will see that this is done. Similarly wage Boards should be set up for those labourers and artisans also who have been deprived of this facility. Artists of All India Radio also come into this category since these artists are engaged on casual basis and at any time they are removed from service without assigning any reason.

The policy of Government has been unsuccessful in respect of providing housing facility to labourers. Top priority should be given to the housing of labourers in all small and big units in both public and private sectors. Government should also provide them all other facilities like transport etc. The labourers showed their deep sense of patriotism during the last armed conflict with Pakistan. The industrialists have been asked to submit their claims for compensation but thousands of labourers who suffered at great deal during this conflict with Pakistan, have not been given employment.

The employment policy of Government is also defective. Whether Government have ever tried to maintain a National Register of those who have been thrown out of employment? Thousands of skilled workers and construction workers are thrown out of their jobs every year. Government should find out a solution as to how these construction workers are utilized in a better way.

The Central Government has not done anything for persons who have been uprooted as a result of recent Indo-Pakistan conflict and has left them on the mercy of State Governments which are inefficient on account internal groupism among the State Ministers. I have received number of letters stating that Government are not fulfulling their promises for compensation. There is unprecedented corruption and nepotism in the Department of Rehabilitation. All assistance should be provided to these people who have suffered as a result of Indo-Pak. conflict.

Huge sums of money are allocated for the farmers but actually they are not benefitted. The real India resides in villages but there the people do not have even basic amenities. We want that the lot of farmers and landless labourers, who live in mud houses, should be improved. I want to draw the attention of Hon. Minister to the pitiable condition of landless labourers whose number runs in crores.

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि	
70	1	श्री यशपाल सिंह	दण्डकारण्य विकास योजना के कार्यचालन में सुधारों की आवश्यकता ।	100	रुपये
70	2	श्री यशपाल सिंह .	बर्मा और श्रीलंका से लौटाये गये लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता ।	100	,,
70	3	श्री यशपाल सिंह .	हाल के भारत-पाक संघर्ष के दौरान विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता ।	100	,,
70	4	श्री यशपाल सिंह	भविष्य निधि के स्थान पर पेंशन योजना लागू करने की आवयकता ।	100	,,
70	5	श्री यशपाल सिंह .	उद्योगों को अपने कर्माचारियों के लिए बोनस देने के लिये राजी न करना ।	100	,,
70	6	श्री यशपाल सिंह	खनिकों के लिए अधिक अच्छे प्रबन्ध करने की आवश्यकता ।	100	,,
70	7	श्री ह० प० चटर्जी	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को मुआवजा देने की आवश्यकता ।	100	,,
70	8	श्री ह० प० चटर्जी .	पूर्वी पाकस्तान से आये शरणार्थियों को दिये गये ऋण आदि को बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता ।	100	,,
70	9	श्री ह० प० चटर्जी .	पश्चिमी बंगाल में अनधिकार वासियों की बस्तियों के उचित विकास की आवश्यकता ।	100	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
70	10	श्री हृ० प० चटर्जी .	पश्चिमी बंगाल में पी०एल कम्पों और अन्य बस्तियों रहने वाले शरणार्थियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
70	11	श्री हृ० प० चटर्जी .	पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल आये शरणार्थियों को रोजगार और भूमी देने की आवश्यकता ।	100 ,,

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री काशिनाथ पाण्डे (हाटा) : मैं मंत्रालय को उसकी सेवानिवति पेंशन तथा परिवार पेंशन योजना के लिए धन्यवाद देता हूं। परन्तु भविष्य निधि योजना से लाभ पाने वाले कर्मचारी ही इस योजना के अन्तर्गत आते हैं। देश में इस समय उद्योगों में लगभग 80 लाख तथा दुकानों में लगभग 20 से 26 लाख कर्मचारी लगे हुए हैं। भविष्य निधि योजना में केवल 44 लाख कर्मचारी ही लाभ उठाएंगे। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि मंत्रालय पहले यह सोचे कि इस भविष्य निधि योजना में अधिक से अधिक क्षेत्र कैसे लाया जाए। पिछले वर्ष भी मैंने सुझाव दिया था कि भविष्य निधि योजना में दुकानों के कर्मचारी भी सम्मिलित किये जाएं। यदि इन कर्मचारियों के लिये काम के घंटे भी निर्धारित कर दिये जाते हैं। तो काम के इन उचित घंटों का पालन देखने के लिए एक बड़ी व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ती है। दुकानों में लगे कर्मचारियों को 8 घंटे से अधिक समय तक काम करना पड़ता है अतएव मंत्रालय इस बात पर गम्भीरता से विचार करें कि बाकी कर्मचारी जो उद्योगों या दुकानों में लगे हैं उन्हें इस प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत लाया जाये।

चूस करने वाले नियोजकों की ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। भविष्य निधि के लिए लगभग 2 करोड़ रुपया कर्मचारियों से वसूल कर लिया गया पर न तो यह रकम और न नियोजकों का अपना अंशदान उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा कराया गया। सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह भविष्य निधि के लिए कर्मचारी तथा नियोजन का अंशदान उपयुक्त स्थान पर जमा करवाये। पहले भी इसी सभा में इस पर चर्चा हुई थी और निश्चय किया गया था कि कर्मचारी की ओर से कोई भूल नहीं है क्योंकि वह तो अपना अंशदान वेतन से कटवा देता है। इस लिए उसके सेवानिवृत्त होने या नौकरी से अलग होने पर उसे अपना अंशदान तथा नियोजक का अंश मिलना चाहिए जिसके लिए सरकार ने एक निधि भी बनाई थी परन्तु हाल ही में बोर्ड आफ ट्रस्टीने यह निश्चय किया कि यदि नियोजन ने भविष्य निधि की रकम जमा नही करायी हो तो कर्मचारी केवल अपने वतन से जमा कराये गये अंशदान की रकम पाने का हकदार हैं। यह बहुत अनुचित बात है और इससे कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न होगा।

इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारियों के मामले का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इस मामले भी नियोजकों ने न तो अपना अंशदान और न ही कर्मचारियों के वेतन से काटा

गया उनका अंशदान जमा कराया है जिसके परिणामस्वरूप यह निगम कर्मचारियों को सुविधाएं उपलब्ध करने से इंकार कर रहा है। अतएव सरकार इस धन को जमा करवाये और जो नियोजक इसका पालन नहीं करने उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे।

एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय बेरोजगारी की समस्या को हल करे। यद्यपि आयोजना आयोग ने बहुत बड़े क्षेत्र को सम्मिलित किया है परन्तु श्रम मंत्रालय पर बेरोजगारी दूर करने की जिम्मेवारी है। आयोजना बनाने वालों की परिकल्पना के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना में रोजगार ढूंढने वाले 2.30 लाख नये व्यक्ति होंगे और लगभग 1.4 व्यक्तियों के लिए रोजगार की कमी है। मंत्रालय इस ओर ध्यान है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इन बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए नए अवसर पैदा करे। देश में बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ते रहना एक खतरनाक बात है।

एक ओर तो हम यह कहते हैं कि उन लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो बेकार हैं और नौकरी की तलाश में हैं। दूसरी ओर कई उद्योगों में लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। यह एक गम्भीर मामला है और मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिये।

मंत्रालय द्वारा कई उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने के कारण हम उसके कृतज्ञ हैं। विद्युत उपक्रमों तथा मोटर परिवहन उद्योगों में लगे कर्मचारियों के लिए भी मजूरी बोर्ड यथा सम्भव शीघ्र नियुक्त किय जाने चाहियें। उत्तर प्रदेश में वेतन सुधार समिति नियुक्त की गई है। विद्युत उपक्रमों के श्रमिकों इस बात पर आग्रह करते हैं कि उस समिति की सिफारिशें उन पर भी लागू की जायें।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र लाये जा रहे हैं। इस अधिनियम को नये क्षेत्रों में लागू करने से पहले महानिदेशक को उन क्षेत्रों का दौरा करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि उस व्यवस्था से उचित सुविधायें मिलें। उदाहरण के लिये मिर्जापुर में श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्या यह योजना उन लोगों के परिवारों पर भी लागू की जा सकती है, जिन्हें स्वयं उचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है ?

जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, श्रम विधियां उदारतापूर्वक लागू की जा रही है परन्तु राज्यों में विधियों के पालन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ राज्यों में कुछ ऐसे सरकारी उपक्रम हैं जिन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम भी लागू नहीं हैं।

बोनस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत वह अधिनियम उन उपक्रमों पर लागू नहीं होता जो विभागीय रूप में चलाये जाते है। इसका परिणाम यह होता है कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारो के बहुत से उद्योगों में बहुत से श्रमिकों को कुल लाभों से वंचित रहना पड़ता है। श्रम मंत्रालय को इस मामले में कुछ करना चाहिये। यदि बोनस अधिनियम उन श्रमिकों पर लागू नहीं किया जा सकता तो सरकार को प्रोत्साहन योजनाओं आदि जैसे हल ढूंढने चाहियें।

कृषि श्रमिक मुख्यतः ग्रामों में रहते हैं। चाहे हम अधिनियम भी पारित करें और चाहे न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत यथासम्भव अधिक क्षेत्र भी लाये जायें तो भी कोई कृषक इतना अधिक देने के योग्य नहीं हो सकता। यदि उन श्रमिकों पर बोनस अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता तो सरकार को प्रोत्साहन योजनायें आदि बनानी चाहिये ताकि काम करने के लिये अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके। मेरा सुझाव यह है कि जब तक कृषि के लिए वित्तीय सहायता न दी जाये तब तक कृषक तथा किसान अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। कृषि श्रमिकों की स्थिति तब तक पहले जैसे रहेगी जब तक किसानों और कृषकों की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। हमें इस विषय में गंभीर विचार करना चाहिये। हमें कृषि मजदूरों की भुगतान में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना चाहिये ताकि खेतिहरों की दशा में सुधार हो सक और साथ ही कृषि मजदूरों से अच्छा व्यवहार हो सके।

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : उस समय समूचे देश में श्रमिक सरकार की श्रम विरोधी नीति का विरोध कर रहे हैं जिसके कारण श्रमिकों की स्थिति दिन प्रति दिन खराब हो रही है। आपातकाल की स्थिति और भारत रक्षा नियमों का लाभ उठाकर सरकार और मालिकों ने मजदूरों को दबा लिया है यद्यपि उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है।

श्रमिकों को उनकी मजूरी से वंचित किया जा रहा है। बोनस अधिनियम इस प्रकार बनाया गया है कि मालिकों को सहायता हो और वे मुकदमेंबाजी कर सकें। बोनस शेयरों पर कर समाप्त करने का अर्थ रक्षित धन बढ़ाना है और पहले रक्षित धन पर 6 प्रतिशत लाभ की गणना के स्थान पर 8.5 प्रतिशत गणना करना है। इसका अर्थ बोनस सूत्र के अन्तर्गत उपलब्ध फालतू धन कम करना है। कुछ उद्योगों के लिए वित्त मंत्री ने नई विकास छूट की घोषणा की है। वास्तव में उद्योगों को यह रियायतें श्रमिकों के बोनस में से ही दे जायेंगी। उन्हें प्रथम भार कहा जा सकता है। मालिकों को 10 प्रतिशत लाभांश पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। वर्तमान प्रस्ताव से श्रमिकों को कोई लाभ नहीं हुआ है।

अब समय आ गया है जब कि बोनस अधिनियम में उचित संशोधन किया जाये। 20 प्रतिशत अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। अधिकतम सीमा कोई नहीं होनी चाहिये। श्रम सम्मेलन ने यह माना था कि श्रमिकों को उचित मजूरी दी जाये और महंगाई भत्ते को निर्वाह व्यय सूचनांक के साथ सम्बद्ध किया जाये लकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया है। निर्वाह व्यय सूचनांक का हिसाब लगाने में भी बहुत कपट किया जाता है। उसके इलावा हमें आधुनिक आंकड़े नहीं मिल रहे हैं।

1957 के श्रम सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि सभी उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त किये जाने चाहियें। मजूरी बोर्ड स्थापित कराने के लिए श्रमिकों को लम्बा संघर्ष तथा आम हड़ताल करनी पड़ती है। सरकार ने 1957 में इंजीनियरी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करना स्वीकार कर लिया था। बोर्ड जनवरी, 1965 में स्थापित किया गया। इस उद्योग को अन्तःकालीन राहत देने के सम्बन्ध में बोर्ड का प्रतिवेदन श्रम मंत्रालय के विचाराधीन पड़ा है। मंत्रालय बहुमत के प्रतिवेदन को स्वीकार करने से डरता है। श्रमिकों में बहुत असन्तोष है। उन्होंने यह निर्णय किया है कि यदि उसे तुरन्त पूर्ण रूप से लागू न किया गया तो उनके लिए आम हड़ताल के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। मंत्री महोदय को इस मामले पर विचार करना चाहिये और बहुमत का निर्णय मानना चाहिये।

सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अर्थात् परिवहन, सिंचाई, रेलवे, वाणिज्य आदि की अपनी अपनी श्रम नीतियां हैं। यदि श्रम मंत्रालय किसी विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपने के लिए भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो श्रम मंत्रालय की क्या आवश्यकता है। इस मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों के बारे में श्रम समस्याओं में हस्तक्षेप करने की शक्ति होनी चाहिये।

यदि सरकार सरकार के संरक्षण तथा नियोजकों के संरक्षण में स्थापित कार्मिक संघों को प्रोत्साहन देना बन्द नहीं करेगी, तो उनमें एकता नहीं स्थापित हो सकती। सैंकड़ों श्रमिक अभी भी जेलों में पड़े है। वे सभी सच्चे और ईमानदार श्रमिक हैं। मज़दूर संघों को दबाने के लिए भारत रक्षा नियमों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

तकनीकी संस्थायें श्रम मंत्रालय के अधीन नहीं होनी चाहियें। उन्हें शिक्षा मंत्रालय के अधीन लाया जाय क्योंकि यह तकनीकी प्रशिक्षण का विषय है। उन संस्थाओं का प्रबन्ध बहुत खराब है।

ठेके पर श्रम की प्रणाली के बारे में हाल ही के श्रम सम्मेलन में विचार किया गया था और यह कहा गया था कि उस सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। ठेके पर श्रम की प्रणाली की यथासम्भव शीघ्र समाप्त किया जाना चाहियें। श्रमिकों के हित में यह बहुत आवश्यक है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

पचासीवां प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पचासीवें प्रतिवेदन से, जो 12 अप्रैल, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पचासीवें प्रतिवेदन से, जो 12 अप्रैल, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was Adopted.*

स्वास्थ्य (भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की सामयिक डाक्टरी परीक्षा) विधेयक

HEALTH (PERIODICAL MEDICAL CHECK-UP OF PRESIDENT AND PRIME MINISTER OF INDIA) BILL

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, में समय-समय पर डाक्टरी परीक्षा और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, में समय-समय पर डाक्टरी परीक्षा और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was Adopted.*

डा० चन्द्रभान सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुछेद 80, 87 और 176 का संशोधन)

(Amendment of Articles 80, 87 and 176)

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was Adopted.*

Shri Kishan Pattnayak : Sir, I introduce the Bill.

8—56 L.S./66

हिंदु विधुर पुनर्विवाह विधेयक
HINDU WIDOWERS' RE-MARRIAGE BILL

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the remarriage of Hindu Widowers.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू विधुरों के पुनर्विवाह का उपबन्ध करने वाले विधयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was Adopted.*

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद 59, 66, 158 आदि का संशोधन)
(Amendment of Articles 59, 66, 158 Etc.)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was Adopted.*

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*
(अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)
(Amendment of Articles 75 and 164)

श्री हिर विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 75 तथा 164 के बारे में दिलाया था।

[**श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए**
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

इस विधेयक का उद्देश्य अनुच्छेद 75 तथा 164 में संशोधन करना है ताकि हम स्वस्थ तथा अच्छी परम्परायें बना सकें। संविधान में यह स्पष्ट उल्लख किया जाना चाहिये कि संघ का प्रधान मंत्री लोक-सभा का निर्वाचित सदस्य होना चाहिये और राज्यों के मुख्य मंत्री विधान सभा के सदस्य होने चाहिये।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल विचित्र प्रकार से बना हुआ है। उसके 16 सदस्यों में से 9 लोक-सभा के और 7 राज्य सभा के हैं। संसार का कोई संसदीय लोकतन्त्र इस अनुपात पर गर्व नहीं कर सकता। उन सात मंत्रियों में से तीन जब मंत्री बने थे तब वे किसी भी सभा के सदस्य नहीं थे।

खेद की बात है कि पराजित उम्मीदवारों को मंत्रीमण्डल के मंत्री अथवा राज्यों के मुख्य मंत्री नियुक्त करके हम बुरी परम्पराएं और प्रथाएं स्थापित कर रहे हैं। वे संसदीय प्रजातंत्र के सिद्धान्त और संविधान के विरुद्ध हैं। 1952 में एक व्यक्ति को चुनाव हारने के बाद बम्बई राज्य का मुख्य मंत्री बना दिया गया था। हमें भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहियें।

इस वाद-विवाद के समय यहां मंत्रीमण्डल का कोई सदस्य उपस्थित होना चाहिये था। ब्रिटेन में 1902 से हाऊस आफ लार्ड्स का कोई सदस्य प्रधान मंत्री नहीं रहा है। 1923 में इंगलैंड में यह प्रश्न उठा था कि क्या हाऊस ऑफ लार्ड्स का कोई सदस्य प्रधान मंत्री बन सकता है। उस समय हाऊस आफ कॉमन्स के अधिकांश सदस्यों का यह मत था कि वह समय समाप्त हो गया है जब हाऊस आफ कॉमन्स से बाहर का कोई व्यक्ति घरेलू नीतियों का संचालन कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रि-मंडल सामूहिक रूप में लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए यह बात संविधान के उपबंधों के पीछे जो भावना है इसकी मज़ाक है कि मंत्रिमण्डल तो लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी हो और प्रधान मंत्री लोक-सभा का सदस्य ही न हो। यह एक सिद्धान्त का, परम्परा का और उचित प्रथा का प्रश्न है। यह भी नहीं होना चाहिए कि आपात स्थिति के कारण देश में उप-चुनाव न किये जायें। मैं समझता हूं कि आपातकाल सरकार के गुनाहों पर परदा डालने के लिए है। और फिर आपात के बावजूद भी उप-चुनाव हो सकते हैं। ब्रिटेन में ऐसा हुआ है। यदि श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव लड़ कर लोक-सभा की सदस्या बनती और फिर प्रधान मंत्री बनती तो मैं समझता हूं कि इस सभा की प्रतिष्ठा और बढ़ती। तब वह सभा के नेता का स्थान भी ले सकती थीं। मुझे आशा है कि आपातकाल के बावजूद भी इस सभा में सभी वर्गों के सदस्य सरकार को इस बात पर मजबूर करेंगे कि उप-चुनाव किये जायें।

कनाडा में सरकारी विभागों के सभी मंत्रियों के लिए हाउस आफ कामन्स का सदस्य होना अनिवार्य है। आयरलण्ड में डल आयरियन के सदस्य ही कार्यपालिका परिषद के सदस्य बन सकते हैं। न्यूज़ीलेण्ड में तो केवल एक सदन है। फ्रांस में हमारे विचार में संसदीय लोकतंत्र है ही नहीं। पश्चिम जर्मनी में भी जिसे संघीय चान्सलर नामनिर्दिष्ट किया जाता है उसका बाद में 'बण्डस्टाग' द्वारा चुना जाना आवश्यक है। ब्रिटन में प्रधान मंत्री उसे चुना जाता है जो हाउस आफ कामन्स का सदस्य हो।

मेरे विधेयक में दो संशोधन पेश किये जाने हैं: एक श्री यशपाल सिंह द्वारा और दूसरा श्री विश्वनाथ पाण्डेय द्वारा। मैं इन दोनों संशोधनों का स्वीकार करता हूं।

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह राज्य-सभा पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं है। राज्य-सभा का हम सम्मान करते हैं परन्तु उसके लिए श्रद्धा की भावना नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि राज्य-सभा और लोक-सभा में बड़ा अन्तर है। राज्य-सभा के सदस्य कई समितियों के सदस्य नहीं बन सकते। धन विधेयकों और वित्तीय मामलों में राज्य सभा की शक्तियां नगण्य हैं। बजट पर वहां चर्चा नहीं हो सकती। यह श्रेय लोक-सभा को प्राप्त है कि यहां चार बार मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट किया गया। राज्य सभा में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। इसलिए उचित यही है कि प्रधान मंत्री इस सभा का सदस्य अवश्य हो। अन्त में मैं यह कहूंगा कि यदि कोई सदस्य मेरे विधेयक का समर्थन नहीं करता तो स्वयं उसके लिए यह हास्यास्पद बात होगी और यही बात मैं सभा के बारे में कह सकता हूं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 30 सितम्बर, 1966 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

9—56 L. S./66

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को इस पर 30 अक्तूबर, 1966 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

सभापति महोदय : यह दोनों संशोधन प्रस्तुत हुए।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : जहां तक इस विधेयक के मूलभूत सिद्धान्त का प्रश्न है इस बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। मैं इस का पूरी तरह समर्थन करूंगा।

आरम्भ में मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाऊंगा कि स्वयं सरकार संविधान में 18 से अधिक संशोधन कर चुकी है। गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा 1964 में 16 संविधान संशोधन विधेयक पेश किये गये। 1965 में भी इतने ही पेश किये गये। 1966 में यह पांचवां विधेयक इस आशय से पेश किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में यह विचार व्यक्त किया था कि लगभग पांच वर्ष की अवधि बीत जाने पर संविधान का पुनरीक्षण करना समझदारी की बात होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक समिति गठित की जाये जो सभी संविधान (संशोधन) विधेयकों पर विचार करे और फिर सरकार इस विषय पर निर्णय करें कि आगामी चुनावों के बाद यह सभा संविधान सभा के रूप में इस समूचे मामलों का सर्वांगीण पुनरीक्षण करे।

इस विधेयक के सिद्धान्त से तो मैं सहमत हूं परन्तु इस के खंडों के साथ मैं सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि 25 प्रतिशत मंत्रिमंडल के सदस्य राज्य सभा से हों। इसमें मेरा संशोधन यह है कि यदि किसी कारण एक राज्य सभा के सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह छः मास के अन्दर चुनाव लड़े। प्रधान मंत्री को चाहिए था कि वह इस पद को ग्रहण करने से पहले ही राज्य सभा से त्याग पत्र दे देती और छः मास के अन्दर चुनाव द्वारा आती। आपात के विषय में मेरी धारणा यह है कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और उप-चुनाव करनी चाहिए। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि सरकार इस विषय में एक निश्चित नीति की घोषणा कर दे और कह दे कि वह इस विचार से पूर्णतः सहमत है। स्वयं स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरु ने राज्य सभा से नियुक्त सभी मंत्रियों को स्पष्टतः कह दिया था कि उन्हें चुनावों द्वारा लोक-सभा का सदस्य बना होगा। सरकार को इसी सिद्धान्त के अनुसार घोषणा कर देनी चाहिए। इस समय केवल इतना ही आवश्यक है कि सरकार इस सिद्धान्त के अनुसार नीति की घोषणा कर दे। इस विधेयक को वर्तमान रूप में पास करना मैं उचित नहीं समझता। राज्य सभा के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं होना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है। श्री माथुर के भाषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वयं कांग्रेस दल के सदस्य उस विषय में क्या विचार रखते हैं। इस विधेयक में मुख्य बात यह है कि प्रधान मंत्री लोक-सभा का सदस्य होना चाहिए।

निर्वाचन आयोग के निर्णय को हम स्वीकार नहीं कर सकते। आयोग ने सत्ताधारी दल की इच्छानुसार और आपात का नाम ले कर उप-चुनाव बन्द करवा दिये हैं। यह बड़ी अजीब सी बात है। क्या प्रधान मंत्री के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह श्री लाल बहादुर शास्त्री के रिक्त स्थान के लिए चुनाव लड़ती? परन्तु उन्होंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा क्योंकि उस दशा में आपात की प्रतिसंहरण करना एक व्यवहार्य बात हो जाती। यदि हम चाहते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार सन्तुलन कायम रहे तो यह आवश्यक हो जाता है कि प्रधान मंत्री जनता की प्रतिनिधि सभा का सदस्य हो। यह सिद्धान्त का प्रश्न है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इस सभा में भी एसा हुआ है कि ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में भी ऐसा ही होता है कि औपचारिक अवसरों पर स्वयं प्रधान मंत्री सभा की भावनायें व्यक्त करें। परन्तु यह किस कदर भद्दी बात है कि इस सभा की भावना को एक ऐसा व्यक्ति व्यक्त करें जो इस सभा का सदस्य ही न हो।

हम सब को याद होगा कि प्रथम संसद में स्वर्गीय श्री चारुचन्द्र बिस्वास ने, जो उस समय विधि मंत्री थे, एक गलत कदम उठाया था। वह चूंकि राज्य-सभा के सदस्य थ इसलिये उस सभा द्वारा उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था कि वह इस सभा में कुछ न कहें। श्री बिश्वास इस सभा से उठ कर चले गये थे। तब पंडित जवाहरलाल ने बीच में पड़ कर कोई फैसला करवाया था।

सभापति महोदय : क्या आपका यह कहना है कि एक मंत्रिमंडल के सदस्य इस सभा में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके थे?

श्री ही० ना० मुकर्जी : जी हां। मंत्रिमंडल के एक सदस्य राज्य सभा के सदस्य होने के कारण और उस सभा के अनुशासन का पालन करते हुए यहां प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके थे और यहां से उठ कर चले गये थे। इस तरह की बात नहीं होने देनी चाहिए।

केन्द्रीय मंत्री और मुख्य मंत्री प्रतिनिधि सभाओं के सदस्य होने चाहिए। श्री माथुर ने भी जोरदार शब्दों में इस बात का समर्थन किया है। संसदीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए इसके बहुत बड़े परिणाम होते हैं। उत्तर प्रदेश और बहु-भाषी बम्बई राज्य के मुख्य मंत्रियों को चुनावों में सफलता नहीं मिली परन्तु वह अनुचित ढंग से सत्ताधारी बन गये। और इसी तरह यदि प्रधान मंत्री की चुनने में भी मुख्य मंत्रियों का हाथ रहे तो संसदीय लोकतंत्र के लिए यह बात खतरनाक होगी। यह संविधान सभा की गलती थी कि उसने एक निश्चित उपबन्ध नहीं रखा कि प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री प्रतिनिधि सभाओं के सदस्य अवश्य हो। परन्तु उससे लाभ उठा कर यदि ऐसा किया जाता है तो देश के लोकतंत्रात्मक भविष्य के लिए खतरा है।

इसलिए हमें इस विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिए। श्री हाथी को चाहिए कि वह आश्वासन दें कि सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और वह इस बारे में अवश्य कार्यवाही करेगी।

Shri Ram Sevak Yadav : (Barabanki): I beg to move that the time allotted for this Bill be extended by two hours.

श्री खाड़ीलकर (खेड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक के लिए नियत समय को एक घण्टा और बढ़ा दिया जाये।"

सभापति महोदय : मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक के लिए नियत समय को एक घण्टा और बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The Motion was adopted.*

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्री कामत ने हमारे संसदीय लोकतंत्र की बहुत निराशाजनक तस्वीर खींची है परन्तु मैं समझता हूं कि हमारा लोकतंत्र संसार भर में किसी भी संसदीय लोकतंत्र की अपेक्षा कम सुदृढ़ एवं प्रभावी नहीं है।

इतनी अधिक संख्या में संविधान (संशोधन) विधेयक पेश होने का कारण यह है कि ऐसे विधेयक पेश करना अत्यन्त सुकर है।

प्रधान मंत्री पर कोई आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने चुनाव इस कारण नहीं लड़ा क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा उप-चुनाव निलम्बित किये हुए हैं।

[श्री दी० चं० शर्मा]

एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में परास्त उम्मीदवारों पर इतना ज़ोर क्यों दिया जाता है। हमारे लोकतंत्र में चुनावों में परास्त होना कही बेहतर है क्योंकि परास्त उम्मीदवार किसी बड़ निगम के अध्यक्ष बन सकते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं, या और नहीं तो कहीं न कहीं राजदूत बना दिये जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हम अपनी राज्य सभा की तुलना हाउस आफ लार्डस् से नहीं कर सकते। इन दोनों में बड़ा अन्तर है। इसलिए हमारे देश में लोक-सभा और राज्य-सभा में अन्तर नहीं होना चाहिए। परन्तु में यह समझता हूं कि जो भी मंत्री आदि राज्य सभा से बनाये जाते हैं वह रियायती मंत्री आदि होते हैं। मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री आदि लोक-सभा के सदस्य होने चाहिएं चूंकि लोक-सभा ही जनता की प्रतिनिधि सभा है। केवल 20 प्रतिशत मंत्रिमंडल के सदस्य राज्य सभा से लिये जाने चाहिए ताकि राज्य सभा वाले यह न समझे कि उनकी अवहेलना की गई है।

Shri Ram Sevak Yadav : This shameful incident has occurred for the first time in 18 years that a Member of Rajya Sabha has become the Prime Minister of India. A convention which is being followed in England for the last 45-50 years has been thrown to the winds here and yet very often we talk of conventions and in this context we refer to England.

Article 75 of the Constitution says that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People. When a Member of Rajya Sabha has become the head of the Council of States we will go to the extent of saying that this Government is headless. This is no Government at all. This happening is unparalleled in the world. Our Prime Minister could win the election, had she so desired, only as Prime Minister and not otherwise.

Mr. Chairman : There should be no personal references.

Shri Ram Sevak Yadav : Our Prime Minister could fight election from Phulpur when she became a Minister in late Shri Sashtri's Cabinet. But she did not do so. That clearly shows. . . .

Mr. Chairman : We are at present discussing a constitutional point. The way the hon. Member is speaking shows that he is speaking against a person. It should not be so.

Shri Ram Sevak Yadav : Even now there is a vacant seat but she does not choose to fight election. This is against healthy democratic convention. Therefore, I support the proposed Bill.

At the same time I want to point out that Legislative Councils and Rajya Sabha have become a blot on Indian democracy and they are undermining it. Legislative Conucils and Rajya Sabha should, therefore, be dissolved and this back-door entry should be stopped. This back-door entry is a source of a number of evils.

While making the laws, the interests of the public are always safeguarded. So when corruption is there it should be put an end to. In the present circumstances it has become very difficult for the common man to contest even the general elections. Therefore the interests of the public should be protected and malpractices removed.

It is a fact that Rajya Sabha and Vidhan Parishads are superfluous bodies. They are no more required and should be done away with. In the interest of healthy

democratice conventions in our country, we must have only Lok Sabha at the Centre. When Rajya Sabha will not be there then the question whether we should have Ministers from Rajya Sabha or not will not arise at all.

श्री खाडीलकर (खेड) : मैं विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं। यह प्रश्न कि इस विधेयक का उद्देश्य संविधान में संशोधन करके या कोई प्रथा स्थापित करके पूरा किया जाय, सभा पर छोड़ दिया जाना चाहिये। ब्रिटेन में तो प्रथा से ही काम चल रहा है। यदि हम भारत के संविधान पर विचार करें और अब तक की प्रथा को देखें तो हमें पता चलता है कि सभा के नेता, प्रधान मंत्री, हमेशा इस सभा अर्थात लोक सभा के सदस्य होते हैं। इसलिये मुझे सन्देह हैं कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है।

कई बार मैं सोचता हूं कि संविधान बनाने वालों ने लोगों की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर संविधान बनाया होगा परन्तु सोलह वर्ज के अनुभव से यह मालूम हुआ है, जैसे मेरे मित्र श्री माथुर ने अभी कहा है, कि संविधान को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है।

एक दिन म भूतपूर्व विधि मंत्री से बातचीत कर रहा था। वह भी मेरे साथ सहमत थे कि अब समय आ गया है जब कि वर्तमान संविधान पर पुनर्विचार करने के लिये एक छोटी सी समिति बनाई जानी चाहिय। चूंकि वह निजी बातचीत थी इसलिय कुछ विशेष परिणाम न निकल सके और श्री माथुर न कहा कि इस के लिय तो समूचे ढंग से पुनर्विचार करना चाहिये। अतः श्री कामत का विधयक इस बात का द्योतक है कि अब समय आ गया है जब संविधान के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

इस के अलावा एक दूसरा पहलू भी है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रधानों के बीच सम्बन्ध कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे ह। संविधान में केन्द्र तथा राज्यों की शक्तियों ठीक ठीक बताई हुई ह। कुछ समवर्ती शक्तियां भी हैं। अन्तिम अधिकार हमारा है। परन्तु यह भावना जोर पकड़ रही है कि केन्द्र द्वारा राज्यों की शक्तियां छीनी जा रही है। अतः संविधान में पुनर्विचार अवश्य किया जाना चाहिय। इस पहलू को ध्यान म रखते हुए मेरे ख्याल से एसा करना बहुत आवश्यक है। अब म एक उदाहरण दूंगा। जब चम्बरलन को युध्द में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने के लिये बाध्य किया गया और उन्होंने त्यागपत्र दिया तो यह प्रस्ताव बहुत जोर पकड़ रहा था कि लार्ड हैलीफैक्स को प्रधान मंत्री बना दिया जाय। परन्तु उन्होंने स्वयं आग बढ़ कर कहा कि मैं इस कार्य को करने के लिय असमर्थ हूं अतः श्री चर्चिल को प्रधान मंत्री बनाया जाये। अन्ततोगत्वा श्री चर्चिल प्रधान मंत्री चुने गये और उन्होंने यद्ध में विजय पाई। इस लिय यदि आप अच्छ नेता चुनना चाहते हैं तो उन को चुनना चाहिये जिनको जनता का समथन प्राप्त हो और जिनका लोगों के साथ सम्पर्क बना हुआ हो और इस प्रयोजन के लिये एक अच्छी प्रथा स्थापित की जानी चाहिए। किसी भी हालत में मंत्रिपरिषद का नेता तथा उसके अधिकांश सदस्य दूसरे सदन से नहीं होने चाहिये।

श्री ब० कु० दास (कंटई) : सभापति महोदय, मेरे सभी पूर्व वक्ताओं ने श्री कामत के इस विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन किया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKAR *in the Chair*]

परन्तु जब संविधान बनाया जा रहा था तो भी श्री कामत सक्रिय थे। उस समय उनको यह त्रुटि दिखाई नहीं दी। अब यह विचार किया जाना चाहिये कि इसमें त्रुटि है भी या नहीं। आखिरकार संविधान में यह पहले ही उपबन्ध है कि मंत्रिपरिषद् लोक-सभा के लिये उत्तरदायी होगा न कि राज्य सभा के प्रति। मेरे विचार से तो यह निदश ही पर्याप्त है तथा संविधान में और संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आस्ट्रेलिया जसे अन्य देशों के संविधान में भी एसा कोई उपबन्ध नहीं है जसा प्रस्तावक महोदय करना चाहते हैं।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

यूनाइटेड चेम्बर ऑफ ट्रेड यूनियन द्वारा हड़ताल का आव्हान

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में बिक्री कर बढ़ाने के सरकार के निश्चय के विरोध में यूनाइटेड चेंबर आफ ट्रेड यूनियन्स द्वारा अप्रैल 1966 की हड़ताल के आव्हान का दिया जाना"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हमें आशा थी कि वित्त मंत्री वक्तव्य देंगे परन्तु हैरानी की बात है कि गृह-कार्य मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री नन्दा : मैं वक्तव्य देने के लिये तैयार हूं। मैंने वित्त मंत्री से भी प्रार्थना की है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उत्तरदायित्व दोनों का ही है। कोई भी मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा पड़ौसी राज्यों में कर की दरों में समानता लाने के प्रश्न पर योजना आयोग ने सितम्बर, 1965 में विचार किया था। इस संदर्भ में उन्होंने पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी जिसने 56 वस्तुओं पर समान बिक्री कर लगाने के लिये प्रस्ताव किये थे।

दिल्ली सलाहकार समिति के सदस्यों ने इन प्रस्तावों पर अनौपचारिक रूप से विचार किया। यह अनुरोध किया गया था कि दिल्ली मुख्यतः नगरीय क्षेत्र है और इस में पृष्ठ भूमि बहुत कम है। अतः बिक्री कर की दरों के समायोजन की योजना में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि इस का भार समान रूप से पड़े। 1957 में केन्द्रीय बिक्री कर लागू करते समय इस पहलू पर अच्छी तरह से विचार किया गया था। दिल्ली से एक दूसरे राज्य में ऐसे सामान की बिक्री करने के बारे में, जिसे आयात करने और उस में बिना किसी परिवर्तन किये पुनः निर्यात करने पर केन्द्रीय बिक्री कर लगता था, केन्द्रीय बिक्री कर को घटा कर ½ प्रतिशत कर दिया गया था। उस समय केन्द्रीय बिक्री कर एक प्रतिशत था। 1963 में जब बिक्री कर बढ़ा कर दो प्रतिशत कर दिया गया तो यह दर बढ़ा कर एक प्रतिशत कर दी गई। अतः दिल्ली को अन्तर्राज्य व्यापार के बारे में पहली ही एक प्रतिशत की रियायत थी। इस रियायत को अब भी जारी रहने देने का विचार है।

बिक्री कर के पुनरीक्षण के प्रश्न पर राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने के संदर्भ में विचार करना पड़ता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये दिल्ली की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। पहली बात यह है कि कुछ किस्मों के व्यापार पर अन्तर्राज्य बिक्री कर की रियायती दरों की अनुमति दी गई है। दूसरी बात यह है कि अन्य कई वस्तुओं पर स्थानीय बिक्री कर में एक से दो प्रति शत छूट की अनुमति दी गई है।

जैसे मैं पहले कह चुका हूं योजना आयोग ने जो प्रस्ताव बनाये हैं उनमें न केवल दिल्ली में अपितु पड़ौसी राज्यों में कुछ वस्तुओं पर कर बढ़ाने की सिफारिश की गई है। उदाहरणार्थ पंजाब को 34 वस्तुओं पर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 24, 24 वस्तुओं पर कर बढ़ाना पड़ेगा। दिल्ली में प्रस्तावित परिवर्तनों का 25 वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा परन्तु फिर भी दिल्ली में अधिकांश वस्तुओं पर एक

से दो प्रतिशत का लाभ होगा। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि पड़ौसी राज्यों की तुलना में दिल्ली में लगभग 14 वस्तुओं पर अधिक कर है। पड़ौसी राज्य अब इन वस्तुओं पर कर की दरें बढ़ायेंगे। जिससे दिल्ली को उतना लाभ होगा।

दिल्ली में प्रति व्यक्ति व्यय और प्रति व्यक्ति आय दोनों ही अधिक हैं। अतः इस क्षेत्र के लोगों को इस क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से अपने अपने उचित अंशदान के लिये तैयार रहना चाहिये। यह बड़ी खेद की बात है कि इस बात की प्रशंसा नहीं की जा रही है कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिये साधन जुटाने के साथ साथ दिल्ली में व्यापार के उचित हिस्सों की सुरक्षा की गई है। मुझे फिर भी विश्वास है कि वे ऐसा रास्ता नहीं बनायेंगे जो इस क्षेत्र के व्यापारिक हितों अथवा अर्थव्यवस्था के लिये न तो लाभजनक हो और न ही न्यायसंगत हो।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने यूनाइटेड चेम्बर आफ ट्रेड यूनियन्स को हड़ताल न करने की जो अपील की है मैं उसकी भी सराहना करता हूं। परन्तु यदि वे उन की इस अपील की परवाह नहीं करते ह तो क्या सरकार ने उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा करने के लिये कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री नन्दा : पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 'यूनाइटेड चम्बर आफ ट्रेड यूनियन्स' नहीं है बल्कि व्यापार संस्था है जिसे अपील की गई है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं ने कार्मिक संघ कहा था क्योंकि लोक सभा सचिवालय ने जो मुझे पत्र दिया है उस पर कार्मिक संघ (ट्रेड यूनियन्स) लिखा हुआ है।

श्री नन्दा : अब मैं उसकी व्याख्या करता हूं। चूंकि यह शब्द उपभोक्ताओं से सम्बन्धित है इस लिये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं ने वक्तव्य में बताया है कि जब अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है तो कुछ भाग उपभोक्ताओं को भी देना पड सकता है। क्योंकि इस के अन्तर्गत उपभोक्ता वस्तुय बहुत कम आती है इस लिये उपभोक्ताओं के खर्च का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

Shri S. M. Banerjee : In fact this Sales Tax is rather a Purchase Tax. This tax has been wrongly named as Sales Tax because it is the consumer who has to pay it. Then is it not a fact that the prices of consumers commodities have already increased by ten to twenty per cent., and it is feared that there will be further increase in the prices. This tax will be imposed not only in Delhi but in other States also. Therefore the institutions of small shopkeepers should be called for negotiations so that this may not happen that the prices are increased and the consumers have to pay them. I want to know whether any steps are being taken so that there may not be misunderstanding?

Shri Nanda : It was decided previously that there should be the same level in Delhi as well as in other states. Then later on it was decided that in Delhi it should be less by one or two per cent. All the interested parties were called and this decision taken. They agreed to it. It was only after that that a change came. We negotiated after that and can negotiate again because we do not want that a strike may take place. Nobody is going to benefit out of this strike.

The second question was regarding the consumers prices. We will have to take steps for that.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, people earning Rs. 200 and 300 per month have to suffer on account of tax schemes of Government but big persons evade the taxes.

Mr. Speaker : Please don't speak out of the context.

Shri Madhu Limaye : I was saying that only the big persons get benefit out of the tax schemes of the Government. The small shopkeepers and the consumers will have to undergo losses as a result of the sales tax which is going to be imposed in Delhi. I would therefore like to know from the hon. Minister whether this proposal will not be kept pending till a decision is taken regarding the future of Delhi?

Shri Nanda : This question is not related to the subject being discussed.

Shri Madhu Limaye : How is it not related?

Shri Nanda : The How. Members saying that there is no representation is not correct. There are many M.P.s of Delhi sitting over here. Therefore this question does not arise out of that.

Shri S. M. Banerjee : All the M.P.s are against this.

Shri Nanda : There can be light exemption here or there but there is a limit for exemption. A decision has been taken and now it is to be implemented. As for as small shopkeepers are concerned it does not apply to them.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Delhi is not only the political capital of India but it is also becoming the chief industrial centre after Partition. I have not been able to follow the policy of the Home Minister to raise the rate in Delhi if these were high in the neighbouring States? If the rates were to be brought at the same level then these could have been reduced in the neighbouring states. If that was not possible then why only four States were selected, the policy could have been overhauled in all the States. I would like to know if production tax can be imposed in stead of Sales tax because it is the small business man who has to undergo loss on accounts of sales tax. I would like to know whether Government is contemplating in that direction, if so, when a decision is likely to be taken?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सुझाव को कार्य रूप दिया जा सकता है।

Shri Nanda : A suggestion has been given that excise duty should be levied on production.

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने पूछा है कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है?

Shri Nanda : It is a suggestion. The rates have been increased not only here but in Sates also. If this scheme is not materialised they cannot be given rupees four crores annually.

Shri R. S. Pandey (Gunna) : In case there will be a "Delhi Bandh" will it not affect the students of the area?

Shri Narda : I hope there those who are contemplating in that direction will think about their children.

An Hon. Member : All the parties are joining hands in it. Your party is also there.

Shri Nanda : All the parties get together these days.

Shri Madhu Limaye : One should get together especially for such purposes.

Shri Nanda : The reason for that is known to everybody.

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)

(Amendment of Articles 75 and 164)

श्री ब० कु० दास : मैं ऑस्ट्रिया गणराज्य के बारे में कह रहा था। वहां भी दो सदन हैं। वहां पर प्रधान मंत्री अथवा अन्य मंत्रियों के लिये यह जरूरी नहीं है कि वे लोक सभा के सदस्य हों। इस तरह के और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं जहां ऐसे उपबन्धों का होना जरूरी नहीं है। अत: यदि संविधान में यह संशोधन कर दिया गया तो दूसरे सदन से प्रधान मंत्री नहीं बन सकेगा। परन्तु यदि आवश्यकता पड़ जाय जैसे आजकल पड़ी है तो मुश्किल हो जायेगी। इसलिये इस प्रकार का अनिवार्य उपबन्ध नहीं होना चाहिये।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : जब ग्लैडस्टन सेवानिवृत्त हुए और मारक्विस ऑफ सैलसबरी, जो ब्रिटिश जनता में बहुत लोकप्रिय थे, प्रधान मंत्री बने तो यह आम चर्चा होने लग गई थी कि क्या यह उचित है कि एक व्यक्ति जो कि लोक सभा (हाउस आफ कामन्स) का सदस्य नहीं है वह प्रधान मंत्री हो। अत: मेरा विचार है कि श्री कामत का यह सुझाव बहुत अच्छा है कि प्रधान मंत्री लोक सभा का निर्वाचित सदस्य होना चाहिये। अत: विधेयक के पहले भाग को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। संसदीय प्रजातंत्र की उचित क्रियान्विति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि प्रधान मंत्री लोक सभा का सदस्य हो। राष्ट्र की प्रभुसत्ता लोक सभा में दिखाई देती है। केवल लोकसभा ही अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रि-परिषद को हटा सकती है। परन्तु प्रधान मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है जब तक कि वह लोक सभा का सदस्य न हो।

इस के अलावा लोक सभा का वित्तीय मामलों में भी ज्यादा हक है। इस लिये इन सभी पहलुओं के देखते हुए यह अच्छा होगा यदि प्रधान मंत्री लोक सभा से बनाया जाये।

यह विधेयक उचित समय पर प्रस्तुत किया गया है और सभा के सभी वर्गों को इस का समर्थन करना चाहिये। यह अच्छी बात होगी कि संविधान में यह उपबन्ध होगा कि प्रधान मंत्री लोक सभा का निर्वाचित सदस्य होना चाहिये। इस से लोक तंत्रात्मक संगठन अधिक व्यावहारिक और वास्तविक हो जायेगा।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : I am thankful to Shri Kamath for having brought forward this bill before the House. The Members of Lok Sabha alone are representatives of the people and are responsible to them. There is a manifest on the basis of which the Members of Lok Sabha are elected. The Members of Rajya Sabha are not elected on the basis of a manifesto. Therefore the Members of Lok Sabha are responsible to the people. Hence if democracy is to flourish in our country, Lok Sabha must have an important position.

Now I want to draw your attention that in 1957 the late Prime Minister Pandit Nehru had established a convention that cabinet Minister should be Members of Lok Sabha. An exception was made in the case of Shri Govind Ballabh Pant because he was an old man and was not able to go before the people. It is unfortunate that we are now ignoring that convention.

[Shri Raghunath Singh]

Shri Ram Sewak Yadav has cast an aspersion on our Prime Minister that she has not contested the election. I want to remind him that our Prime Minister could not get a chance to contest a bye-election because of emergency. It was not proper on his part to say that she did not want to face the electorate.

In brief I can conclude that none who is defeated in an election should be appointed a Cabinet Minister. We should respect democratic traditions in order to preserve democracy in our country.

श्री शिकरे (मरमागोआ) : सरकार को श्री कामत द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये। यदि सरकार इसको स्वीकार नहीं कर सकती तो उसको कम से कम इस विधेयक की भावना को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये। इस विधेयक में भी 25 प्रतिशत मंत्री राज्य-सभा से लेने की व्यवस्था की गई है।

यह बात नहीं कि प्रधान मंत्री हार के डर के कारण इस सभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं बल्कि इसलिये कि वह एसा कोई उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहती हैं जिससे कि उनको बाद में पछताना पड़े।

केवल मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर उपरी सदन (अपर हाउस) नहीं हैं। हमारी सरकार वहां भी उपरी सदन बनाने वाली है। म सरकार से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वह ऐसी प्रथाएं स्थापित न करें जिससे कि यदि उनसे कभी सत्ता छिन जाये और वह विरोधी पक्ष में आ जाये, तो उनको पछताना पड़े।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : हमने देश में बहुत से बलिदानों तथा कठिनाइयों के पश्चात लोकतन्त्र की स्थापना की है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए चाहे हम किसी भी दल के सदस्य क्यों न हो हमें लोकतन्त्रात्मक पद्धति को बनाये रखना चाहिये।

मैं अपने माननीय मित्र श्री कामत को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारा ध्यान ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाया है। हम देश में समाजवाद पर आधारित लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। देश के वर्तमान संविधानिक ढांचे को देखते हुए मै नम्रता तथा जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि लोक सभा ही लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मै राज्य सभा अथवा उसके सदस्यो के मान को घटा रहा हूं। लोक सभा में बहुमत के विचारों को ही देश के अधिकांश लोगों के विचार समझा जाना चाहिये। इन सब बातों को देखते हुए यह आवश्यक है कि प्रधान मंत्री लोक सभा के सदस्य हों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधान मंत्री चाहे किसी भी चुनाव क्षेत्र से क्यों न खड़ी हो वह अवश्य जीत जायेंगी। हमें स्वस्थ प्रथाएं स्थापित करनी चाहियें क्योंकि हमारे बहुत से मित्र इन बातों को लोगों में विकृत रूप में पेश करते हैं जिससे लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायता नहीं मिलती है।

मैं विधेयक की भावना से पूरी तरह सहमत हूं और चाहता हूं कि सरकार इसको स्वीकार करे अथवा इस बारे में कुछ करे ताकि इस सिद्धान्त को बनाये रखने में सहायता मिले।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : We should not only maintain dignity of our Constitution or have faith in it, but we should develop such healthy conventions also even at the cost of some inconveniences, so that posterity may not find it difficult to follow the path of democracy. By introducing the Bill, Shri Kamath has represented the spirit of the country and it is obvious from the full support that

Shri Kamath has received that our country desires that Prime Minister as well as other cabinet Ministers should be chosen from the Lok Sabha, a body directly elected by the people. It will be in the interest of democracy as well as social structure of the Society. From the beginning, I am in favour of the principle that there is no need of a Upper House either in the Centre or in States. Besides being a financial burden on the country, these are becoming means for bringing in candidates defeated by the vote of the people by the back door. This is not the true spirit of democracy.

श्री मानसिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक की भावना से तो सहमत हूं परन्तु संविधान (संशोधन) विधेयक से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। नेता चुनने का प्रश्न सभा के सदस्यों पर ही छोड़ा जाना चाहिये।

संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति छः महीने के लिये नेता चुना जा सकता है अथवा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है चाहे वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न हों। इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी के नेताओं का चुनाव लोगों द्वारा सामान्य चुनाव में किया जाना आवश्यक है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हारे हुए मंत्रियों को राज्य सभा में लाकर पुनः मंत्री बनाने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये और यदि कोई व्यक्ति राज्य सभा में नाम निर्देशन के पश्चात इस सभा का नेता चुना जाता है तो उसको छः महीने के पश्चात चुनाव लड़ना चाहिये।

संविधान के अनुच्छेद 75 खण्ड (3) के अनुसार मंत्रि परिषद लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। इस लिये मंत्रि-परिषद के विरुद्ध पास किये गये अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ होगा कि नेता के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया गया है।

मैं विधेयक की भावना से सहमत हूं परन्तु इसके लिये संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हमें स्वास्थ परम्परायें स्थापित करनी चाहिये और ऐसा सम्भवतः सत्तारूढ़ दल द्वारा ही किया जा सकता है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I congrautulate Shri Kamath for the most important Bill that he has brought forward. This Bill should be accepted without any controversy.

At times very ignorant persons are nominated to the Rajya Sabha who are not even aware of the location of their House and they by mistake sometimes sit in this House. They do not even know how to cast the vote. It has been proved in the election of Prime Minister, when two votes were declared invalid. Keeping in view the prevailing circumstances in the country, I don't feel the necessity of even the legislative assemblies. It is a burden on our country which is very poor. Work of the Government can be done more efficiently if the post of the leader of the House as well as that of the Prime Minister are held by one person.

It is a mockery of democracy that Prime Minister sits in the House without the right to vote.

Shri Sheo Narain (Bansi) : There is a provision in our Constitution that the leader of the House can be a member of either of the two Houses. Anyone can be a Minister and anyone can be a leader.

Some of my friends from opposition have raised an objection that she is sitting in this House in the capacity of Prime Minister without contesting election for this House. I would like to tell those critics that she can be got elected with overwhelming majority from any constituency in India. But as the general elections

[Shri Sheo Narain]

are approaching and also because of emergency she did not consider it proper to contest a bye-election. However, the spirit behind the Bill is comendable and it would be a correct and healthy convention that the Cabinet Ministers are those elected directly by the people.

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 18 एप्रैल, 1966/28 चैत्र, 1888 प्रातः ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 18, 1966/ *Chaitra* 28, 1888 *(Saka).*

भा०स०मु०ना०—वि 5—56 लेक सभा/66—6-9-67—600

P.L.S. 48.LIII.40-66(N)
600

© 1966 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित ।

© 1966 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK.

56 L. S./66